





**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2.4.1

Average percentage of full time teachers against sanctioned posts during the last five years.

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Summary-Sheet

Criteria	2 – Teaching Learning & Evaluation						
Key Indicator	2.4: Teacher Profile and Quality						
Metric	2.4.1: Average percentage of full time teachers against sanctioned posts during the last five years						
Average percentage of full time teachers and sanctioned posts	Year	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
	No. of full time teachers	87	88	90	86	77	
	No. of sanctioned posts	90	90	90	93	93	

Note:

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,

Description	Relevant link
1) Breakup of sanctioned post and filled post for last 5 years attested by principal is attached. (Appendix-I)	https://dpvipracollege.in/wp-content/uploads/2022/05/2.4.1.pdf
2) List of faculty members authenticated by head of institute is attached for 5 years. (Appendix-II)	
3) Appointment letter of faculty members are attached as per above list. (Appendix-III)	


IQAC Co-ordinator

D.P. Vipra College
BILASPUR (C.G.)

IQAC Coordinator



PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

Principal

OFFICE OF THE PRINCIPAL
D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)
 NAAC ACCREDITED "A" GRADE
 PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

2.4.1 Average teaching experience of full time teachers in the same institution (Data for the latest completed academic year in number of years)

2016-2017

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. MRS. SUNANDA TIJARE	AAQPT9723P	ASST. PROFESSOR	1979	PERMANENT	ECONOMICS	38	YES
DR. K.B.SINGH	AEPPS2613J	ASST. PROFESSOR	1980	PERMANENT	SOCIOLOGY	36	YES
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	33	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	32	YES
DR.R.D.PANDEY	AGRPP8192P	ASST. PROFESSOR	1987	PERMANENT	ECONOMICS	33	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	26	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	19	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	19	YES
MR.SUBIR SEN	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	14	YES
SONAL TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	14	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	14	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	14	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HITORY	14	YES

DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
BALRAJ MOTWANI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCOLOGY	14	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	14	YES
DR. SHARAD DEWANGAN	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	14	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	14	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	14	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	14	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	14	YES
MRS. SMT.SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	14	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	14	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	14	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	14	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	14	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	14	YES
DR. RAGHUNANDAN PRASAD SHARM	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	14	YES
SHWETA SHRIWASTAV	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	14	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	14	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	14	YES
DR. SUCHI CHAUDHARY	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCOLOGY	14	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	14	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	14	YES
DR. PRIYANK MISHRA	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	14	YES

DR.DURGASHARAN CHNDRA	AGKPC4131C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	14	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	14	YES
MR. VISHWASH VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	6	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	BOTANY	5	YES
MR. LAVRAJ VISHWAKARMA	AWQPV4796E	ASST. PROFESSOR	2012	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	4	YES
SUMIT KUMAR SONI	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
PRITI PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
VIJETA SINGH THAKUR	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
HEMPUSHPA CHANDRA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
NEHA MISHRA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2013	CONTRACTUAL	HINDI	3	YES
MRS. REENA TAMRAKAR	AVYPT3766D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
SURBHI DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICRO BIO	1	YES
DEEPIKA DARSHAN	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MISS. VOLGA VYAS	ASRPV5923A	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	1	YES
NISHA BANJARE	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOPGRAPHY	1	YES
MEGHA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
ANSHUL GAURAHA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOPGRAPHY	1	YES
NAMAN GUPTA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
SHAILY OJHA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
ANANYA BHATTACHARYA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
DR. ANCHAL SHRIWASTAV	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
AKAKSHA TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	BIO CHEMISTRY	1	YES
MUNAVVARI	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES

MRS. ASHA RAI	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
DISHA DHUPPAD	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
JYOTI SHRIWAS	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
POONAM SHUKLA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
ANUPAMA TOPPO	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
ANAMIKA DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
ANJANA BOSS	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
JAIS VARGIS	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
RUMY SARKAR	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
RASHMI SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICRO BIO	1	YES
CHANDRASHEKHAR VYAS	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
AKANNKSHA SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	BIOTECH	1	YES
NEHA RAJAK	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
NAMRATA PRADHAN	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MONIKA SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	PSYCHOLOGY	1	YES
GURUVINDAR KAUR	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	HISTORY	1	YES
RASHMI SHRIWAS	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	PSYCHOLOGY	1	YES
PREETI GUPTA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
NAMRATA JOLHE	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
SURYA SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES

2017-2018

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. MRS. SUNANDA TIJARE	AAQPT9723P	ASST. PROFESSOR	1979	PERMANENT	ECONOMICS	39	YES

DR. K.B.SINGH	AEPPS2613J	ASST. PROFESSOR	1980	PERMANENT	SOCIOLOGY	37	YES
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	34	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	33	YES
DR.R.D.PANDEY	AGRPP8192P	ASST. PROFESSOR	1987	PERMANENT	ECONOMICS	34	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	27	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	20	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	20	YES
SUBIR SEN	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	15	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	15	YES
SONAL TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	15	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	15	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	15	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	15	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HITORY	15	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	15	YES
BALRAJ MOTWANI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCHOLOGY	15	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	15	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	15	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	15	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	15	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	15	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	15	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	15	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	15	YES
MRS. SMT.SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	15	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	15	YES

MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	15	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	15	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AIJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	15	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	15	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	15	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	15	YES
DR. SUCHI CHAUDHARY	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCHOLOGY	15	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	15	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	15	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	15	YES
DR.DURGASHARAN CHNDRA	AGKPC4131C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	15	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	15	YES
MR. VISHWASH VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	7	YES
MISS.RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	1	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2013	CONTRACTUAL	HINDI	4	YES
LAXMIPRASAD KARSH	NA	ASST. PROFESSOR	2016	PERMANENT	HINDI	1	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	6	YES
POONAM SHUKLA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
NAMRATA PRADHAN	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
RUMI SARKAR	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
PHUSHPA PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
PRAGYA BHATT	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
NEHA BOLE	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
MR. LAVRAJ VISHWAKARMA	AWQPV4796E	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	5	YES
ANIL KUMAR SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	1	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	BOTANY	6	YES

ANAMIKA DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
NISHAL DENIEL GIR	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
SHRADDHA AGRAWAL	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MUNVVARI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
POOJA SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
MEGHA UPADHAYAY	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
SHRISTI VERMA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PSYCHOLOGY	1	YES
RASHMI SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	1	YES
MISS. VOLGA VYAS	ASRPV5923A	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	1	YES
HIMANSHU TRIVEDI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	1	YES
AKANKSHA SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	1	YES
AKANKSHA TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	BIOCHEMISTRY	1	YES
ANSHUL GORHA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
SUMIT KUMAR SONI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
NISHA BANJARE	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
ANCHAL SRIVASTAVA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
SHAILI OJHA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
EKTA MISHRA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
RITU PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
ASHA RAI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
SWETA SRIWAS	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
POOJA BHAGWANI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MISS. ANJU HALWAI	AORPH1416C	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ENGLISH	2	YES
KAJAL THAKUR	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
NEETA TIWARY	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES

NISHTHA VERMA	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
JENNIFER LOUIS	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
ZUMANA RAJAS	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PSYCHOLOGY	1	YES
KENA DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ELECTRONICS	1	YES
GURVINDER KAUR	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	HISTORY	1	YES
MRS. REENA TAMRAKAR	AVYPT3766D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
ANJALI VAISHNAV	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
BHAGWAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES

2018-2019

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. MRS. SUNANDA TIJARE	AAQPT9723P	ASST. PROFESSOR	1979	PERMANENT	ECONOMICS	40	YES
DR. K.B.SINGH	AEPPS2613J	ASST. PROFESSOR	1980	PERMANENT	SOCIOLOGY	38	YES
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	35	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	34	YES
DR.R.D.PANDEY	AGRPP8192P	ASST. PROFESSOR	1987	PERMANENT	ECONOMICS	35	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	28	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	21	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	21	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	16	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	16	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	16	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	16	YES

DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	16	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	16	YES
BALRAJ MOTWANI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCHOLOGY	16	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	16	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	16	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	16	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	16	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	16	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	16	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	16	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	16	YES
MRS. SMT.SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	16	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	16	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	16	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	16	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	16	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	16	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	16	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	16	YES
DR. SUCHI CHOUDHARI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCHOLOGY	16	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	16	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	16	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	16	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	16	YES
MR. VISHWASH VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	8	YES
MISS.RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	4	YES

DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2013	CONTRACTUAL	HINDI	5	YES
LAXMIPRASAD KARSH	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HINDI	16	YES
MR.SUBIR SEN	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	16	YES
DR.DURGASHARAN CHNDRA	AGKPC4131C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	14	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	7	YES
DR. SUMIT KUMAR SONI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
MRS. REENA TAMRAKAR	AVYPT3766D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	2	YES
MONIKA SINGH THAKUR	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MISS. ARCHANA THAKUR	BAYPT7755G	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HINDI	2	YES
JUMANA RAJAS	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	PSYCHOLOGY	1	YES
MAYANK KUMAR CHANDRA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MR. LAVRAJ VISHWAKARMA	AWQPV4796E	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	6	YES
ABHISHEK SINGH	GMLPS5779D	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
AMRITA PANDEY	CREPP820N	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
MISS. ANUPMA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
NEHA BOLE	BMOPB0769G	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
MR. GENDLAL BANJARE	CCPPB0172H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	3	YES
MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
ANJALI VAISHNAV	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
BHAGWAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
AASHA RAY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
SAUJANYA TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	1	YES
RITU UPADHAYAY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
MUNAVVARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
KENA DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ELECTRONICS	1	YES
NISHAL DENIEL GIR	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES

MR. YUPESH KUMAR	AHEPY8376L	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HISTORY	1	YES
RASHMI SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	1	YES
MISS. VOLGA VYAS	ASRPV5923A	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	3	YES
MR. NIRAJ SONI	MIVPS9521H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	3	YES
AKANKSHA SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	1	YES
SUNITA SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOCHEMISTRY	1	YES
NAMRATA JOLHE	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
ANAMIKA DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	BOTANY	7	YES
EKTA MISHRA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
SHELI OJHA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
MISS. ANJU HALWAI	AORPH1416C	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
JHARNA PATEL	DFDPP3742H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
ANJANA BOSE	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
GAYTRI VERMA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	PSYCHOLOGY	1	YES
RAJDEEP SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
KAJAL DWIVEDI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
MISS. HEMA VASTRAKAR	AYPPV9089B	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
VANDANA BHAGAT	CXXPP9335H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
DEEPMALA KUSHWAHA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
KANCHAN PANIK	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
ANUJA JANI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
PRACHI TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
ASMANA BAGHEL	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
ABHISHEK PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER	1	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	2	YES

2019-2020

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. K.B.SINGH	AEPPS2613J	ASST. PROFESSOR	1980	PERMANENT	SOCIOLOGY	39	YES
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	36	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	35	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	29	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	22	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	22	YES
DR.R.D.PANDEY	AGRPP8192P	ASST. PROFESSOR	1987	PERMANENT	ECONOMICS	36	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	14	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	14	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	14	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	14	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HITORY	14	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	14	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	18	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	18	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	18	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	18	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	18	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	18	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	18	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	18	YES

MRS. SMT.SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	18	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	18	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	18	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	18	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	18	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	18	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	18	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	18	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	18	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	18	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	18	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	18	YES
MR. VISHWASH VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	9	YES
MISS.RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	4	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2013	CONTRACTUAL	HINDI	6	YES
DR. BALRAJ MOTWANI	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCHOLOGY	17	YES
DR. SUCHI CHOWDHARY	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PSYCHOLOGY	17	YES
MR.SUBIR SEN	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	17	YES
DR.DURGASHARAN CHNDRA	AGKPC4131C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	17	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	8	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	3	YES
MRS. REENA TAMRAKAR	AVYPT3766D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	3	YES
MR. YUPESH KUMAR	AHEPY8376L	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HISTORY	1	YES
MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
MRS. ASHA RAI	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
MISS. ARCHANA THAKUR	BAYPT7755G	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES

MISS. ANJU HALWAI	AORPH1416C	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MISS. JHARNA PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MR. SANTOSH KU. DHRUW	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
MR. MUDIT MISHRA	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MR. GENDLAL BANJARE	CCPPB0172H	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	3	YES
MRS. NEELIMA KESHARWANI	BNHPK82379	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ECONOMICS	2	YES
MISS. RITU PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
MISS. ANUPMA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MISS. NEHA BOLE	BMOPB0769G	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MISS. MINITA KHANUJA	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MISS. VANDANA BHAGAT	CXXPP9335H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MISS. MONIKA VERMA	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MRS. P. USHA BHARTI	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MR. BRIJESH KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
BHAGWAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	2	YES
MISS. VARSHA RANI DUBEY	BPUPD9611N	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
MISS. SAPNA MISHRA	DDZPM0780G	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
MISS. AKANSHA RATHORE	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	PHYSICS	1	YES
MISS. VOLGA VYAS	ASRPV5923A	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	4	YES
MR. NIRAJ SONI	MIVPS9521H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	3	YES
MISS. MADHU VARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MR. MAYANK CHANDRA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	3	YES
MISS. VARSHA RANI PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	BOTANY	8	YES
MISS. ANAMIKA DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
MISS. PRACHI TIWARI	AOWTT4758C	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	3	YES

MISS. BARKHA HALWAI	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
MR. TARUN KU. VISHWAS	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
MR. LAVRAJ VISHWAKARMA	AWQPV4796E	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	10	YES
MR. SOUJANYA TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	1	YES
MISS. AKANSHA SHARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	1	YES
MISS. NEHA MEGHANI	BKDPM5201K	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	BIOCHEMISTRY	2	YES
MISS. RITIKA VISHWAKARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MISS. SNIGHDHA CHOWDHARY	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MRS. BHARTI SAHU	FXUPS7821H	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MISS. ANKITA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. GURUDEO KUMAR	GDHPK3053D	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. SHISHIR SHUKLA	CBXPS7309N	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MANAGEMENT	3	YES
MRS.AMRITA PANDEY	NA	ASST.PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES


2020-2021

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. K.B.SINGH	AEPPS2613J	ASST. PROFESSOR	1980	PERMANENT	SOCIOLOGY	41	YES
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	38	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	37	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	31	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	24	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	24	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	18	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	18	YES

DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	18	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	18	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	18	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	18	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	18	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	18	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	18	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	18	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	18	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	18	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	18	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	18	YES
MRS. SMT.SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	18	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	18	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	18	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	18	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	18	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	18	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	18	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	18	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	18	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	18	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	18	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	18	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2016	PERMANENT	HINDI	5	YES
MR. VISHWASH VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	4	YES

MISS.RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	4	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	5	YES
MRS. REENA TAMRAKAR	AVYPT3766D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	5	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	BOTANY	11	YES
MR. LAVRAJ VISHWAKARMA	AWQPV4796E	ASST. PROFESSOR	2011	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	10	YES
MR. YUPESH KUMAR	AHEPY8376L	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HISTORY	3	YES
MISS ANUPMA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MR. BRIJESH KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MR. BHAGVAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	4	YES
MISS.PRACHI TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	3	YES
MR. SHISHIR SHUKLA	CBXPS7309N	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	MANAGEMENT	2	YES
MISS. HEMA VASTRAKAR	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MR. NIRAJ SONI	MIVPS9521H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	3	YES
MR. NARESHWAR NIRNENJAK	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	PYSCHOLOGY	1	YES
MR. MAYANK CHANDRA	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	3	YES
MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	4	YES
MR. GENDLAL BANJARE	CCPPB0172H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	3	YES
MRS. NEELIMA KESHARWANI	BNHPK82379	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ECONOMICS	2	YES
MRS. BHARTI SAHU	FXUPS7821H	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MR. GURUDEO KUMAR	GDHPK3053D	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MRS. NEHA MEGHANI	BKDPM5201K	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	BIOCHEMISTRY	2	YES
MISS. SAPNA MISHRA	DDZPM0780G	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	PHYSICS	2	YES
MRS. ASHA ROY	NA	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	PHYSICS	5	YES
MISS. VARSHA RANI DUBEY	BPUPD9611N	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ENGLISH	2	YES
MRS. ANJU HALWAI	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	ENGLISH	4	YES

MISS. ARCHANA THAKUR	BAYPT7755G	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HINDI	3	YES
MISS. VOLGA VYAS	ASRPV5923A	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	MICROBIOLOGY	5	YES
MISS. ANJALI SONA	GNUPS4527K	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MR. ISHWAR SURYAWANSHI	DOMPS5036D	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MISS. RICHA SHARMA	DRNPS2940Q	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MRS. ANKITA MISHRA	BQUPM4294D	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. YOGESH DHRUV	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	SCIENCE	1	YES
MR. KAILASH DEWANGAN	GLZPD2858D	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES
MISS. VARSHA SINGH	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MISS. AMITA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. JITENDRA KUMAR SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	MATHS	1	YES
MR. TOPESHWAR YADAV	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	BOTANY	1	YES
MR. LOKESH KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
MISS. UMA DHIRHE	EKKPD9759M	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
DR.R.D.PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	1987	PERMANENT	ECONOMICS	34	YES
DR.DURGASHARAN CHNDRA	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	18	YES
MR.SUBIR SEN	NA	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	18	YES


Principal
D. P. Vipra College,
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix I

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvpracollege@gmail.com

Letter No. 2 /Estb/Post/2016-17

17.08.2016

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the Session 2016-17.

S. N.	Post with Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Psychology	2
11	Asst. Prof. Microbiology	4
12	Asst. Prof. Botany	4
13	Asst. Prof. Zoology	4
14	Asst. Prof. Maths	4
15	Asst. Prof. Physics	5
16	Asst. Prof. Chemistry	7
17	Asst. Prof. Electronics	2
18	Asst. Prof. Computer Science	10
19	Asst. Prof. Public Administration	2
20	Asst. Prof. Biochemistry	2
21	Asst. Prof. Biotechnology	2
Grand Total		90

* Excluding the post of Principal, 90 posts of Assistant Professor approved.

Principal

D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL

D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

Chairman

D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

प्रशासन समिति

डी.पी.विप्रा महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.ग.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

NAAC ACCREDITED "A" GRADE

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

Letter No./ Q /Estb/Post/2017-18

14.06.2017

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the Session 2017-18.

S. N.	Post with Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Psychology	2
11	Asst. Prof. Microbiology	4
12	Asst. Prof. Botany	4
13	Asst. Prof. Zoology	4
14	Asst. Prof. Maths	4
15	Asst. Prof. Physics	5
16	Asst. Prof. Chemistry	7
17	Asst. Prof. Electronics	2
18	Asst. Prof. Computer Science	10
19	Asst. Prof. Public Administration	2
20	Asst. Prof. Biochemistry	2
21	Asst. Prof. Biotechnology	2
Grand Total		90

* Excluding the post of Principal, 90 posts of Assistant Professor approved.

Principal

D. P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

Chairman

D. P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

उपस्थान समिति

डी.पी.विप्र महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

NAAC ACCREDITED "A" GRADE, ISO-9001:2015 Certified

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

Letter No./ Q /Estb/Post/2018-19

22.06.2018

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the Session 2018-19.

S. N.	Post with Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Psychology	2
11	Asst. Prof. Microbiology	4
12	Asst. Prof. Botany	4
13	Asst. Prof. Zoology	4
14	Asst. Prof. Maths	4
15	Asst. Prof. Physics	5
16	Asst. Prof. Chemistry	7
17	Asst. Prof. Electronics	2
18	Asst. Prof. Computer Science	10
19	Asst. Prof. Public Administration	2
20	Asst. Prof. Biochemistry	2
21	Asst. Prof. Biotechnology	2
Grand Total		90

* Excluding the post of Principal, 90 posts of Assistant Professor approved.

Principal

D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL

D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

Chairman

D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष
प्रशासन समिति

**डी.पी.विप्रा महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)**



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

NAAC ACCREDITED "A" GRADE, ISO-9001:2015 Certified

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com


Letter No./ *Q* /Estb/Post/2019-20


24.9.2019

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the Session 2019-20.

S. N.	Post with Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Psychology	2
11	Asst. Prof. Microbiology	4
12	Asst. Prof. Botany	4
13	Asst. Prof. Zoology	4
14	Asst. Prof. Maths	4
15	Asst. Prof. Physics	5
16	Asst. Prof. Chemistry	7
17	Asst. Prof. Electronics	2
18	Asst. Prof. Computer Science	10
19	Asst. Prof. Public Administration	2
20	Asst. Prof. Biochemistry	2
21	Asst. Prof. Biotechnology	2
22	Asst. Prof. Management	3
Grand Total		93

* Excluding the post of Principal, 93 posts of Assistant Professor approved.


Principal
D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)


Chairman
D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
अध्यक्ष
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्रा महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.प्र.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

NAAC ACCREDITED "A" GRADE, ISO-9001:2015 Certified

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

Letter No./  /Estb/Post/2020-21

09.06.2020

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the Session 2020-21.

S. N.	Post with Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Psychology	2
11	Asst. Prof. Microbiology	4
12	Asst. Prof. Botany	4
13	Asst. Prof. Zoology	4
14	Asst. Prof. Maths	4
15	Asst. Prof. Physics	5
16	Asst. Prof. Chemistry	7
17	Asst. Prof. Electronics	2
18	Asst. Prof. Computer Science	10
19	Asst. Prof. Public Administration	2
20	Asst. Prof. Biochemistry	2
21	Asst. Prof. Biotechnology	2
22	Asst. Prof. Management	3
Grand Total		93

* Excluding the post of Principal, 93 posts of Assistant Professor approved.

Principal

D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL

D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

Chairman

D. P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष
प्रशासन समिति
डॉ. पी. विप्रा महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.प्र.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix II

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001




OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

GRANT RECEIVED ASST.PROFESSOR LIST SESSION- 2016-17

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	Dr. Mrs. Sunanda Tijare	Assistant Professor	Economics
2	Dr. K.B. Singh	Assistant Professor	Sociology
3	Dr. Vimal Kumar Patel	Assistant Professor	Geography
4	Dr. Sadhana Shome	Assistant Professor	Sociology
5	Dr. Ramadhar Prasad Pandey	Assistant Professor	Economics
6	Dr. Mrs. Anju Shukla	Assistant Professor	Sociology
7	Dr. Sanjay Kumar Tiwari	Assistant Professor	English
8	Dr. K.K. Sharma	Assistant Professor	Economics


PRINCIPAL
Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL


D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

NON- GRANT RECEIVED ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2016-17

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
9	Mr. Subir Sen	Assistant Professor	Commerce
10	Dr. R.N. Yadav	Assistant Professor	Geography
11	Mr. Sonal Tiwari	Assistant Professor	Commerce
12	Dr. M.L.Jaiswal	Assistant Professor	Botany
13	Dr. Vivek Ambalkar	Assistant Professor	Physics
14	Dr. Sushma Sharma	Assistant Professor	Sociology
15	Dr. Taru Tiwari	Assistant Professor	History
16	Mr. Khagendra Soni	Assistant Professor	Commerce
17	Mr. Balraj Motwani	Assistant Professor	Psychology
18	Dr. Sunita Yadav	Assistant Professor	Political Science
19	Dr. Sharad Dewangan	Assistant Professor	Commerce
20	Mr. A. Sri Ram	Assistant Professor	Commerce
21	Mr. Jayanta Roy	Assistant Professor	Commerce
22	Dr. Renu Nayar	Assistant Professor	Chemistry
23	Dr. Manish Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
24	Dr. Oorja Ranjan Sinha	Assistant Professor	English
25	Dr. Ashish Sharma	Assistant Professor	English
26	Dr. M.S. Tamboli	Assistant Professor	Political Science
27	Mrs. Snehlata Mishra	Assistant Professor	Mathematics
28	Dr. Shubhrajya Pandey	Assistant Professor	Microbiology
29	Mrs. Shruti Somvanshi	Assistant Professor	Biotechnology
30	Mr. Deepak Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
31	Mr. Nidhish Choubey	Assistant Professor	Electronics
32	Dr. Rashmi Sharma	Assistant Professor	History
33	Dr. Raghunandan Prasad Sharma	Assistant Professor	Botany
34	Miss. Shweta Shrivastav	Assistant Professor	Zoology
35	Dr. Abha Tiwari	Assistant Professor	Political Science
36	Mr. Ashutosh Pandey	Assistant Professor	Mathematics
37	Dr. Suchi Chaudhari	Assistant Professor	Psychology
38	Mrs. Rajni Kujur	Assistant Professor	Sociology

39	Dr. Shikha Pahare	Assistant Professor	Botany
40	Dr. Priyank Mishra	Assistant Professor	Commerce
41	Mrs. Smriti Rani Prakash	Assistant Professor	History
42	Dr. Durgasharan Chandra	Assistant Professor	Physics
43	Mrs. Toshima Mishra	Assistant Professor	Zoology



Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL


D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2016-17

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
44	Mrs. Kiran Dubey	Assistant Professor	Public Administration
45	Mr. Vishwas Victor	Assistant Professor	Computer Science
46	Mr. Sumit Kumar Soni	Assistant Professor	Geography
47	Miss. Priti Patel	Assistant Professor	Hindi
48	Miss. Vijeta Singh Thakur	Assistant Professor	Physics
49	Miss. Hempushpa Chandra	Assistant Professor	Physics
50	Miss. Neha Mitra	Assistant Professor	Hindi
51	Dr. Suruchi Mishra	Assistant Professor	Hindi
52	Miss. Reena Tamrakar	Assistant Professor	Geography
53	Mrs. Surbhi Dubey	Assistant Professor	Microbiology
54	Miss. Deepika Darshan	Assistant Professor	Commerce
55	Miss. Volga Vyas	Assistant Professor	Microbiology
56	Miss. Nisha Banjare	Assistant Professor	Geography
57	Miss. Megha Pandey	Assistant Professor	English
58	Mr. Pradeep Jaiswal	Assistant Professor	Chemistry
59	Mr. Anshul Gauraha	Assistant Professor	Geography
60	Miss. Naman Gupta	Assistant Professor	Commerce
61	Miss. Shaily Ojha	Assistant Professor	Hindi
62	Miss. Ananya Bhattacharya	Assistant Professor	Physics
63	Mr. Motilal Patle	Assistant Professor	Botany
64	Dr. Anchal Shrivastav	Assistant Professor	Hindi
65	Miss. Akansha Tiwari	Assistant Professor	Biochemistry
66	Miss. Munnavari	Assistant Professor	Mathematics
67	Mrs. Asha rai	Assistant Professor	Economics
68	Mrs. Disha Dhupad	Assistant Professor	Computer Science
69	Mrs. Jyoti Shriwas	Assistant Professor	Computer Science
70	Miss. Poonam Shukla	Assistant Professor	Computer Science
71	Mr. Lavraj Vishwakarma	Assistant Professor	Zoology
72	Miss. Anupama Toppo	Assistant Professor	Economics
73	Miss. Anamika Dubey	Assistant Professor	Botany

74	Miss. Anjana Bose	Assistant Professor	English
75	Mr. Jais Vargis	Assistant Professor	English
76	Miss. Rumi Sarkar	Assistant Professor	Computer Science
77	Miss. Rashmi Sharma	Assistant Professor	Microbiology
78	Mr. Chandrashekhar Vyas	Assistant Professor	Chemistry
79	Miss. Akannksha Sharma	Assistant Professor	Biotechnology
80	Mrs. Neha Rajak	Assistant Professor	Computer Science
81	Miss. Namrata Pradhan	Assistant Professor	Computer Science
82	Miss. Monika Sharma	Assistant Professor	Psychology
83	Mrs. Guruvindar Kaur	Assistant Professor	History
84	Miss. Rashmi Shriwas	Assistant Professor	Psychology
85	Miss. Preeti Gupta	Assistant Professor	Computer Science
86	Miss. Namrata Jolhe	Assistant Professor	Chemistry
87	Miss. Surya Sharma	Assistant Professor	Mathematics


Principal
D.P. Vipra College
BIRNIGIRAG
D.P. Vipra College
Bhaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

GRANT RECEIVED ASST.PROFESSOR LIST SESSION- 2017-18

S.NO	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT
1	Dr. Mrs. Sunanda Tijare	Assistant Professor	Economics
2	Dr. K.B. Singh	Assistant Professor	Sociology
3	Dr. Vimal Kumar Patel	Assistant Professor	Geography
4	Dr. Sadhna Shome	Assistant Professor	Sociology
5	Dr. Ramadhar Prasad Pandey	Assistant Professor	Economics
6	Dr. Mrs. Anju Shukla	Assistant Professor	Sociology
7	Dr. Sanjay Kumar Tiwari	Assistant Professor	English
8	Dr. K.K. Sharma	Assistant Professor	Economics

Principal

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

NON- GRANT RECEIVED ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2017-18

S.NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT
9	Mr. Subir Sen	Assistant Professor	Commerce
10	Dr. R.N. Yadav	Assistant Professor	Geography
11	Mr. Sonal Tiwari	Assistant Professor	Commerce
12	Dr. M.L. Jaiswal	Assistant Professor	Botany
13	Dr. Vivek Ambalkar	Assistant Professor	Physics
14	Dr. Shushma Sharma	Assistant Professor	Sociology
15	Dr. Taru Tiwari	Assistant Professor	History
16	Mr. Khagendra Soni	Assistant Professor	Commerce
17	Mr. Balraj Motwani	Assistant Professor	Psychology
18	Dr. Sunita Yadav	Assistant Professor	Political Science
19	Mr. A. Sri Ram	Assistant Professor	Commerce
20	Mr. Jayanta Roy	Assistant Professor	Commerce
21	Dr. Renu Nayar	Assistant Professor	Chemistry
22	Dr. Manish Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
23	Dr. Oorjaranjan Sinha	Assistant Professor	English
24	Dr. Ashish Sharma	Assistant Professor	English
25	Dr. M.S. Tamboli	Assistant Professor	Political Science
26	Mrs. Snehlata Mishra	Assistant Professor	Mathematics
27	Dr. Shubhrajya Panday	Assistant Professor	Microbiology
28	Mrs. Shruti Somvanshi	Assistant Professor	Biotechnology
29	Mr. Deepak Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
30	Mr. Nidhish Choubey	Assistant Professor	Electronics
31	Dr. Rashmi Sharma	Assistant Professor	History
32	Dr. Abha Tiwari	Assistant Professor	Political Science
33	Mr. Ashutosh Pandey	Assistant Professor	Mathematics
34	Dr. Suchi Chaudhari	Assistant Professor	Psychology
35	Mrs. Rajni Kujur	Assistant Professor	Sociology
36	Dr. Shikha Pahare	Assistant Professor	Botany
37	Mrs. Smritirani Prakash	Assistant Professor	History

38	Dr. Durgasharan Chandra	Assistant Professor	Physics
39	Mrs. Toshima Mishra	Assistant Professor	Zoology
40	Mr. Vishwas Victor	Assistant Professor	Computer Science
41	Miss. Richa Handa	Assistant Professor	Computer Science
42	Dr. Suruchi Mishra	Assistant Professor	Hindi
43	Mr. Laxmiprasad Karsh	Assistant Professor	Hindi



Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)


Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2017-18

S.NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT
44	Mrs. Kiran Dubey	Assistant Professor	Public Administration
45	Miss. Poonam Shukla	Assistant Professor	Computer
46	Miss. Namrata Pradhan	Assistant Professor	Computer
47	Miss. Rumi Sarkar	Assistant Professor	Computer
48	Miss. Phushpa Patel	Assistant Professor	Computer
49	Mrs. Pragya Bhatt	Assistant Professor	Computer
50	Miss. Neha Bole	Assistant Professor	Computer
51	Mr. Lavraj Vishwakarma	Assistant Professor	Zoology
52	Mr. Anil Kumar Sahu	Assistant Professor	Zoology
53	Mr. Motilal Patle	Assistant Professor	Botany
54	Miss. Anamika Dubey	Assistant Professor	Botany
55	Mr. Pradeep Jaiswal	Assistant Professor	Chemistry
56	Mr. Nishal Deniel Gir	Assistant Professor	Chemistry
57	Miss. Shraddha Agrawal	Assistant Professor	Chemistry
58	Miss. Munnnavari	Assistant Professor	Mathematics
59	Miss. Pooja Sahu	Assistant Professor	Mathematics
60	Miss. Megha Upadhayay	Assistant Professor	Physics
61	Miss. Shristi Verma	Assistant Professor	Psychology
62	Miss. Rashmi Sharma	Assistant Professor	Microbiology
63	Miss. Volga Vyas	Assistant Professor	Microbiology
64	Mr. Himanshu Trivedi	Assistant Professor	Microbiology
65	Miss. Akanksha Sharma	Assistant Professor	Biotechnology
66	Miss. Akanksha Tiwari	Assistant Professor	Biochemistry
67	Mr. Anshul Gorha	Assistant Professor	Geography
68	Mr. Sumit Kumar Soni	Assistant Professor	Geography
69	Miss. Nisha Banjare	Assistant Professor	Geography
70	Mrs. Anchal Srivastava	Assistant Professor	Hindi
71	Miss. Shaili Ojha	Assistant Professor	Hindi
72	Miss. Ekta Mishra	Assistant Professor	Hindi

73	Miss. Ritu Pandey	Assistant Professor	Hindi
74	Mrs. Asha Rai	Assistant Professor	Economics
75	Miss. Shweta Shriwas	Assistant Professor	Economics
76	Miss. Pooja Bhagwani	Assistant Professor	English
77	Miss. Anju Halwai	Assistant Professor	English
78	Miss. Kajal Thakur	Assistant Professor	Commerce
79	Miss. Nita Tiwari	Assistant Professor	Commerce
80	Miss. Nishtha Verma	Assistant Professor	Commerce
81	Miss. Jennifer Lewis	Assistant Professor	Commerce
82	Mr. Rupendra Sharma	Assistant Professor	Political Science
83	Mr. Jumana Rajas	Assistant Professor	Psychology
84	Miss. Kena Dubey	Assistant Professor	Electronics
85	Mrs. Gurvinder Kaur	Assistant Professor	History
86	Miss. Reena Tamrakar	Assistant Professor	Geography
87	Miss. Anjali Vaishnav	Assistant Professor	Physics
88	Mr. Bhagwat Kaushik	Assistant Professor	Physics


Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

GRANT RECEIVED ASST.PROFESSOR LIST SESSION- 2018-19

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	Dr. Mrs. Sunanda Tijare	Principal	Economics
2	Dr. K.B. Singh	Assistant Professor	Sociology
3	Dr. Vimal Kumar Patel	Assistant Professor	Geography
4	Dr. Sadhana Shome	Assistant Professor	Sociology
5	Dr. Ramadhar Prasad Pandey	Assistant Professor	Economics
6	Dr. Mrs. Anju Shukla	Assistant Professor	Sociology
7	Dr. Sanjay Kumar Tiwari	Assistant Professor	English
8	Dr. K.K. Sharma	Assistant Professor	Economics

Principal

D.P. Vipra College

PRINCIPAL

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

NON- GRANT RECEIVED ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2018-19

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
9	Dr. R.N. Yadav	Assistant Professor	Geography
10	Dr. M.L. Jaiswal	Assistant Professor	Botany
11	Dr. Vivek Ambalkar	Assistant Professor	Physics
12	Dr. Shushma Sharma	Assistant Professor	Sociology
13	Dr. Taru Tiwari	Assistant Professor	History
14	Mr. Khagendra Soni	Assistant Professor	Commerce
15	Mr. Balraj Motwani	Assistant Professor	Psychology
16	Dr. Sunita Yadav	Assistant Professor	Political Science
17	Mr. A. Sri Ram	Assistant Professor	Commerce
18	Mr. Jayanta Roy	Assistant Professor	Commerce
19	Dr. Renu Nayar	Assistant Professor	Chemistry
20	Dr. Manish Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
21	Dr. Oorja Ranjan sinha	Assistant Professor	English
22	Dr. Ashish Sharma	Assistant Professor	English
23	Dr. M.S. Tamboli	Assistant Professor	Political Science
24	Mrs. Snehlata Mishra	Assistant Professor	Mathematics
25	Dr. Shubhrajya Pandey	Assistant Professor	Microbiology
26	Mrs. Shruti Somvanshi	Assistant Professor	Biotechnology
27	Mr. Deepak Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
28	Mr. Nidhish Choubey	Assistant Professor	Electronics
29	Dr. Rashmi Sharma	Assistant Professor	History
30	Dr. Abha Tiwari	Assistant Professor	Political Science
31	Mr. Aashutosh Pandey	Assistant Professor	Mathematics
32	Dr. Suchi Choudhari	Assistant Professor	Psychology
33	Mrs. Rajni Kujur	Assistant Professor	Sociology
34	Dr. Shikha Phare	Assistant Professor	Botany
35	Mrs. Smritirani Prakash	Assistant Professor	History
36	Mrs. Toshima Mishra	Assistant Professor	Zoology
37	Mr. Vishwas Victor	Assistant Professor	Computer Science
38	Miss. Richa Handa	Assistant Professor	Computer Science

39	Dr. Suruchi Mishra	Assistant Professor	Hindi
40	Mr. Laxmiprasad Karsh	Assistant Professor	Hindi
41	Mr. Subir Sen	Assistant Professor	Commerce
42	Dr. Durgasharan Chandra	Assistant Professor	Physics


Principal

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)


Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2018-19

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
43	Mrs. Kiran Dubey	Assistant Professor	Public Administration
44	Dr. Sumit Kumar Soni	Assistant Professor	Geography
45	Miss. Reena Tamrkar	Assistant Professor	Geography
46	Miss. Monika Singh Thakur	Assistant Professor	Commerce
47	Miss. Archana Singh Thakur	Assistant Professor	Hindi
48	Mr. Jumana Rajas	Assistant Professor	Psychology
49	Mr. Mayank Kr. Chandra	Assistant Professor	Chemistry
50	Mr. Lavraj Vishvkarma	Assistant Professor	Zoology
51	Mr. Abhishek Singh	Assistant Professor	Computer Science
52	Mrs. Amrita Pandey	Assistant Professor	Computer Science
53	Miss. Anupama Pandey	Assistant Professor	Computer Science
54	Miss. Neha Bole	Assistant Professor	Computer Science
55	Mr. Gendlal Banjare	Assistant Professor	Geography
56	Mr. Rupendra Sharma	Assistant Professor	Political Science
57	Miss. Anjali Vaishnav	Assistant Professor	Physics
58	Mr. Bhagwat Kaushik	Assistant Professor	Physics
59	Mrs. Asha Rai	Assistant Professor	Economics
60	Mr. Saujanya Tiwari	Assistant Professor	Zoology
61	Miss. Ritu Upadhayay	Assistant Professor	Mathematics
62	Mrs. Munavvari	Assistant Professor	Mathematics
63	Miss. Kena Dubey	Assistant Professor	Electronics
64	Mr. Nishal Deniel Gir	Assistant Professor	Chemistry
65	Mr. Yupesh Kumar	Assistant Professor	History
66	Miss. Rashmi Sharma	Assistant Professor	Microbiology
67	Miss. Volga Vyas	Assistant Professor	Microbiology
68	Mr. Niraj Soni	Assistant Professor	Microbiology
69	Miss. Akanksha Sharma	Assistant Professor	Biotechnology
70	Miss. Sunita Sahu	Assistant Professor	Biochemistry
71	Miss. Namrata Jolhe	Assistant Professor	Chemistry

72	Miss. Anamika Dubey	Assistant Professor	Botany
73	Mr. Motilal Patle	Assistant Professor	Botany
74	Miss. Ekta Mishra	Assistant Professor	Hindi
75	Miss. Shaili Ojha	Assistant Professor	Hindi
76	Miss. Anju Halwai	Assistant Professor	English
77	Miss. Jharna Patel	Assistant Professor	English
78	Miss. Anjana Bose	Assistant Professor	English
79	Miss. Gayatri Verma	Assistant Professor	Psychology
80	Mr. Rajdeep Sahu	Assistant Professor	Geography
81	Miss. Kajal Dwivedi	Assistant Professor	Economics
82	Miss. Hema Vastrakar	Assistant Professor	Computer
83	Miss. Vandana Bhagat	Assistant Professor	Computer
84	Miss. Deepmala Kushwaha	Assistant Professor	Commerce
85	Miss. Kanchan Panik	Assistant Professor	Commerce
86	Miss. Anuja Jani	Assistant Professor	Commerce
87	Miss. Prachi Tiwari	Assistant Professor	Botany
88	Miss. Asmana Baghel	Assistant Professor	Physics
89	Mr. Abhishek Patel	Assistant Professor	Computer
90	Mr. Pradeep Jaiswal	Assistant Professor	Chemistry


Principal
 D.P. Vipra College
 Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
 D.P. Vipra College
 Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

GRANT RECEIVED ASST.PROFESSOR LIST SESSION- 2019-20

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	Dr. Mrs. Anju Shukla	Principal	Sociology
2	Dr. K.B. Singh	Assistant Professor	Sociology
3	Dr. Vimal Kumar Patel	Assistant Professor	Geography
4	Dr. Sadhana Shome	Assistant Professor	Sociology
5	Dr. Sanjay Kumar Tiwari	Assistant Professor	English
6	Dr. K.K. Sharma	Assistant Professor	Economics
7	Dr. Ramadhar Prasad Pandey	Assistant Professor	Economics

Principal

D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

NON- GRANT RECEIVED ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2019-20

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
8	Dr. R.N. Yadav	Assistant Professor	Geography
9	Dr. M.L. Jaiswal	Assistant Professor	Botany
10	Dr. Vivek Ambalkar	Assistant Professor	Physics
11	Dr. Taru Tiwari	Assistant Professor	History
12	Dr. Sushma Sharma	Assistant Professor	Sociology
13	Dr. Khagendra Soni	Assistant Professor	Commerce
14	Dr. Sunita Yadav	Assistant Professor	Political Science
15	Mr. A. Sri Ram	Assistant Professor	Commerce
16	Mr. Jayant Roy	Assistant Professor	Commerce
17	Dr. Manish Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
18	Dr. Renu Nayar	Assistant Professor	Chemistry
19	Dr. Oorja Ranjan Sinha	Assistant Professor	English
20	Dr. Ashish Sharma	Assistant Professor	English
21	Dr. M.S. Tamboli	Assistant Professor	Political Science
22	Mrs. Snehlata Mishra	Assistant Professor	Mathematics
23	Dr. Shubhraj Pandey	Assistant Professor	Microbiology
24	Mrs. Shriti Somvanshi	Assistant Professor	Biotechnology
25	Mr. Deepak Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
26	Mr. Nidhish Choubey	Assistant Professor	Electronics
27	Dr. Rashmi Sharma	Assistant Professor	History
28	Dr. Abha Tiwari	Assistant Professor	Political Science
29	Dr. Aashutosh Pandey	Assistant Professor	Mathematics
30	Mrs. Rajni Kujur	Assistant Professor	Sociology
31	Dr. Shikha Pahare	Assistant Professor	Botany
32	Mrs. Smritirani Prakash	Assistant Professor	History
33	Mrs. Toshima Mishra	Assistant Professor	Zoology
34	Mr. Vishwas Victor	Assistant Professor	Computer Science
35	Miss. Richa Handa	Assistant Professor	Computer Science
36	Dr. Suruchi Mishra	Assistant Professor	Hindi
37	Mr. Balraj Motwani	Assistant Professor	Psychology

38	Dr. Suchi Chaudhari	Assistant Professor	Psychology
39	Mr. Subir Sen	Assistant Professor	Commerce
40	Dr. Durgasharan Chandra	Assistant Professor	Physics


Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2019-20

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
41	Mrs. Kiran Dubey	Assistant Professor	Public Administration
42	Mr. Pradeep Jaiswal	Assistant Professor	Chemistry
43	Mrs. Reena Tamrakar	Assistant Professor	Geography
44	Mr. Yupesh Kumar	Assistant Professor	History
45	Mr. Rupendra Sharma	Assistant Professor	Political Science
46	Mrs. Asha Rai	Assistant Professor	Economics
47	Miss. Archana Singh Thakur	Assistant Professor	Hindi
48	Miss. Anju Halwai	Assistant Professor	English
49	Miss. Jharna Patel	Assistant Professor	English
50	Mr. Santosh Ku. Dhruw	Assistant Professor	Geography
51	Mr. Mudit Mishra	Assistant Professor	English
52	Mr. Gendlal Banjare	Assistant Professor	Geography
53	Miss. Neelima Kesharwani	Assistant Professor	Economics
54	Miss. Ritu Pandey	Assistant Professor	Hindi
55	Miss. Anupama Pandey	Assistant Professor	Computer Science
56	Miss. Neha Bole	Assistant Professor	Computer Science
57	Mrs. Minita Khanuja	Assistant Professor	Computer Science
58	Miss. Vandana Bhagat	Assistant Professor	Computer Science
59	Miss. Monika Verma	Assistant Professor	Computer Science
60	Mrs. P. Usha Bharti	Assistant Professor	Computer Science
61	Mr. Brijesh Kumar	Assistant Professor	Computer Science
62	Mr. Bhagwat Kaushik	Assistant Professor	Physics
63	Miss. Varsha Rani Dubey	Assistant Professor	Physics
64	Miss. Sapna Mishra	Assistant Professor	Physics
65	Miss. Akansha Rathore	Assistant Professor	Physics
66	Miss. Volga Vyas	Assistant Professor	Microbiology
67	Mr. Niraj Soni	Assistant Professor	Microbiology
68	Miss. Madhu Varma	Assistant Professor	Chemistry
69	Mr. Mayank Kr. Chandra	Assistant Professor	Chemistry
70	Miss. Varsha Rani Patel	Assistant Professor	Chemistry

71	Mr. Motilal Patle	Assistant Professor	Botany
72	Miss. Anamika Dubey	Assistant Professor	Botany
73	Miss. Prachi Tiwari	Assistant Professor	Biotechnology
74	Miss. Barkha Halwai	Assistant Professor	Mathematics
75	Mr. Tarun Ku. Vishwas	Assistant Professor	Mathematics
76	Mr. Lav Raj Vishwakarma	Assistant Professor	Zoology
77	Mr. Soujanya Tiwari	Assistant Professor	Zoology
78	Miss. Akansha Sharma	Assistant Professor	Biotechnology
79	Miss. Neha Meghani	Assistant Professor	Biochemistry
80	Miss. Ritika vishwakarma	Assistant Professor	Commerce
81	Miss. Snighdha Chowdhary	Assistant Professor	Commerce
82	Miss. Bharti Sahu	Assistant Professor	Commerce
83	Miss. Ankita Pandey	Assistant Professor	Commerce
84	Mr. Gurudeo Kumar	Assistant Professor	Commerce
85	Mr. Shishir Shukla	Assistant Professor	Management
86	Mrs. Amrita Pandey	Assistant Professor	Computer Science



Principal

D.P. Vipra College

PRINCIPAL

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

GRANT RECEIVED ASST.PROFESSOR LIST SESSION- 2020-2021

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	Dr. Mrs. Anju Shukla	Principal	Sociology
2	Dr. K.B. Singh	Assistant Professor	Sociology
3	Dr. Vimal Kumar Patel	Assistant Professor	Geography
4	Dr. Sadhana Shome	Assistant Professor	Sociology
5	Dr. Sanjay Kumar Tiwari	Assistant Professor	English
6	Dr. K.K. Sharma	Assistant Professor	Economics
7	Dr. Ramadhar Prasad Pandey	Assistant Professor	Economics

Principal

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

NON- GRANT RECEIVED ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2020-2021

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
8	Dr. R.N. Yadav	Assistant Professor	Geography
9	Dr. M.L. Jaiswal	Assistant Professor	Botany
10	Dr. Vivek Ambalkar	Assistant Professor	Physics
11	Dr. Taru Tiwari	Assistant Professor	History
12	Dr. Sushma Sharma	Assistant Professor	Sociology
13	Dr. Khagendra Soni	Assistant Professor	Commerce
14	Dr. Sunita Yadav	Assistant Professor	Political Science
15	Mr. A. Sri Ram	Assistant Professor	Commerce
16	Mr. Jayant Roy	Assistant Professor	Commerce
17	Dr. Manish Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
18	Dr. Renu Nayar	Assistant Professor	Chemistry
19	Dr. Oorja Ranjan sinha	Assistant Professor	English
20	Dr. Ashish Sharma	Assistant Professor	English
21	Dr. M.S. Tamboli	Assistant Professor	Political Science
22	Mrs. Snehlata Mishra	Assistant Professor	Mathematics
23	Dr. Shubhrajya Pandey	Assistant Professor	Microbiology
24	Mrs. Shriti Somvanshi	Assistant Professor	Biotechnology
25	Mr. Deepak Tiwari	Assistant Professor	Chemistry
26	Mr. Nidhish Choubey	Assistant Professor	Electronics
27	Dr. Rashmi Sharma	Assistant Professor	History
28	Dr. Abha Tiwari	Assistant Professor	Political Science
29	Dr. Ashutosh Pandey	Assistant Professor	Mathematics
30	Mrs. Rajani Kujur	Assistant Professor	Sociology
31	Dr. Shikha Pahare	Assistant Professor	Botany
32	Dr. Smritirani Prakash	Assistant Professor	History
33	Mrs. Toshima Mishra	Assistant Professor	Zoology
34	Mr. Vishwas Victor	Assistant Professor	Computer Science
35	Dr. Richa Handa	Assistant Professor	Computer Science
36	Dr. Suruchi Mishra	Assistant Professor	Hindi

37	Dr. Durgasharan Chandra	Assistant Professor	Physics
38	Mr. Subir Sen	Assistant Professor	Commerce



Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2020-2021

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
39	Mrs. Kiran Dubey	Assistant Professor	Public Administration
40	Mr. Pradeep Jaiswal	Assistant Professor	Chemistry
41	Mrs. Reena Tamrakar	Assistant Professor	Geography
42	Mr. Yupesh Kumar	Assistant Professor	History
43	Miss. Anupama Pandey	Assistant Professor	Computer Science
44	Mr. Brijesh Kumar	Assistant Professor	Computer Science
45	Mr. Bhagwat Kaushik	Assistant Professor	Physics
46	Miss. Sapna Mishra	Assistant Professor	Physics
47	Miss. Neha Meghani	Assistant Professor	Biochemistry
48	Mr. Motilal Patle	Assistant Professor	Botany
49	Miss. Prachi Tiwari	Assistant Professor	Biotechnology
50	Mr. Gurudeo Kumar	Assistant Professor	Commerce
51	Miss. Bharti Sahu ✱	Assistant Professor	Commerce
52	Miss. Archana Singh Thakur ✱	Assistant Professor	Hindi
53	Mrs. Asha Rai ✱	Assistant Professor	Economics
54	Miss. Anjali Sona	Assistant Professor	Computer Science
55	Mr. Ishwar Suryawanshi	Assistant Professor	Computer Science
56	Miss. Richa Sharma ✱	Assistant Professor	Computer Science
57	Mr. Shishir Shukla	Assistant Professor	Management
58	Miss. Hema Vastrakar	Assistant Professor	Computer Science
59	Mrs. Ankita Mishra	Assistant Professor	Management
60	Mr. Niraj Soni	Assistant Professor	Microbiology
61	Mr. Nareshwar Nirnenjak ✱	Assistant Professor	Psychology
62	Mr. Yogesh Dhruw ✱	Assistant Professor	Commerce
63	Mr. Mayank Kr. Chandra ✱	Assistant Professor	Chemistry
64	Miss. Varsha Rani Dubey	Assistant Professor	Physics
65	Mr. Rupendra Sharma	Assistant Professor	Political Science
66	Mr. Gendlal Banjare	Assistant Professor	Geography
67	Miss. Neelima Kesharwani ✱	Assistant Professor	Economics

68	Miss. Anju Halwai	Assistant Professor	English
69	Miss. Varsha Singh	Assistant Professor	Computer Science
70	Mr. Lav Raj Vishwakarma	Assistant Professor	Zoology
71	Miss. Volga Vyas	Assistant Professor	Microbiology
72	Miss. Amita Pandey	Assistant Professor	Commerce
73	Mr. Jitendra Kumar Sahu	Assistant Professor	Mathematics
74	Mr. Kailash Dewangan	Assistant Professor	Mathematics
75	Mr. Topeshwar Yadav	Assistant Professor	Botany
76	Mr. Lokesh Kumar	Assistant Professor	Hindi
77	Miss. Uma Dhirhe	Assistant Professor	Computer Science

Principal
Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix III

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2016-17

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY
SVATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

... R R D E E

No. 762/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K.B. Singh, a candidate for appointment,
is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in
this college until further orders in the scale of pay
of Rs. 620-1500 with usual A.D.A. and other allowances, with
effect from the 15th November 1980, subject to the following
candidates: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha Amdan Ayog, Bhopal & Ravishankar University, Raipur,
 - (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Svatak Mahavidyalaya, Bilaspur.
- and,
- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Svatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

R.V. Shukla
Principal & Secy.

Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Svatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

No. 762-A/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara,
district Bilaspur, for information and necessary action.

R.V. Shukla
Principal & Secretary.


Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Svatak Mahavidyalaya, Bilaspur.


Handwritten:
K.B. Singh
11.11.80

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KAM BHUSAN SINGH
BHAGIRATHI SINGH

09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPSP2613J


 Signature



7917 0040 5555
मेरा आधार, मेरी पहचान

7917 0040 5557/1957
TYPE / NAME



इस कार्ड को खोने / गंने पर कानूनसूचक करें / नोट करें
 -अपका बैंक लेखा खराब है, पुराने एन.ए.डी.एन.
 नोलेखीमजील संकायके तहत
 बनेर दे लिखोम एन.ए.डी.एन. के नजदीक
 बनेर पुनः 411045


*If this card is lost / someone's lost card is found,
 please inform / return to:
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL
 3rd Floor, Sapphire Chambers,
 New Banner Telephone Exchange,
 Banner, Pune - 411 045*

Tel: 91-20-27213181 Fax: 91-20-2721 8051
 e-mail: unit5@nsdl.co.in

7917 0040 5555

7917 0040 5557/1957
TYPE / NAME

7917 0040 5557/1957
TYPE / NAME



T-19

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVINDIA BODY
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.
(406001.)

ORDER

No. 273/Estt/83, dated Bilaspur, the 18th August 1983
Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection
Committee, as a Lecturer in Geography, in an official capacity,
in this college until further orders in the sanctioned scale of
pay of Rs. 700-1500 with usual domestic allowances, with effect
from the 18th August 1983 subject to the following conditions:

- (1) That the appointment is subject to the approval
of the M.P. Uchcha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal,
and the Guru Chaudan University, Ujjain, Madhya Pradesh
and
- (2) That he abide by the service conditions applicable
to the employees of the Govindia Body, D.P. Vipra College,
Bilaspur.

Self
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary,
Govindia Body,
D.P. Vipra College,
Bilaspur.

No. 273/Estt/83., dated Bilaspur, the 18th August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,
Bilaspur, for information and necessary action. He will please
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his
agreement to the above terms and conditions. Joining report
may also please be submitted in triplicate.
Copy to Shri C.S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,
Bilaspur, for information.

R.N. Shukla
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary.

[Signature]

स्थायी खाता संख्या

/PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AGRPP8200C



नाम /NAME

VIMAL KUMAR PATEL

पिता का नाम /FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर /SIGNATURE

जयशंकर प्रसाद, जयपुर

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JALPUR

कार्यालय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर, म०प्र०.

क्रमांक 381/स्था/84. दिनांक 23/11/2023

निम्न लिखित अभ्यर्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर धेज्जमान 700-40-1100-5-1300 असेलमेंट-50-1600 प्रर रुपये पर देय मंत्रगार्ह भत्ता एवं अन्य भत्ता सपित, पदभार ^{उपभार} करने की तिथि से शिक्कुरि नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक अभ्यर्थी का नाम पद नाम विषय

1. कु. साधना बोस व्याख्याता समाजकार्य

2. श्रीमती मधु दोरार्धराज ---"--- अध्यापिका

3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

1. म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्वामीदास विद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होंगी।

2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होंगी।

एवं

उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उक्त अभ्यर्थी शामिल रहेंगे।

सही

प्राचार्य एवं सचिव,

प्रशासन समिति,

म०प्र० विष्णु महावि० बिलासपुर.

(10/11/2023)

पु. क्रमांक 381-D/स्था/84.

दिनांक

प्रतिक्रिया :-

1. श्रीमान् सचिव, म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।

2. श्रीमान् कुलसचिव, गुस्वामीदास विद्यालय, बिलासपुर।

3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचनाओं।

4. कुमारी साधना बोस, द्वारा श्री श्री.के. बोस, वरिष्ठ नं. 536/4, आर.टी.एस. कालोमी, बिलासपुर।

5. श्रीमती मधु दोरार्धराज, द्वारा श्री एस.बी. दोरार्धराज, डिप्टी चोक इंजीनियरिंग बोला नं. 1048, रेलवे कालोमी, बिलासपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(R. V. Shrivastava)

प्राचार्य एवं सचिव,

प्रशासन समिति,

म०प्र० विष्णु महावि० बिलासपुर.

(G) 3

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME

BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962

Permanent Account Number

AVRPS0169E

Sadhana Shome

Signature



In case this card is lost / found, kindly inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, UTISEL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/ लौटाएं :
आयकर पैन सेवाएँ यूनिट, UTISEL
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सीडी बी बेलपुर,
नवी मुंबई - 400 614.

नाथलिन, प्राचार्य, तथा सचिव उ०पी० वि० महाविद्यालय, किलासपुर

:: आ-दे-रा ::

क्रमांक २४७/८० किलासपुर, दिनांक १३ नवम्बर, ८७

एक महाविद्यालय की चयन समिति द्वारा चयन किये गये वदाभिनाथी श्री रामाधार प्रसाद बाण्डेय, जिनकी नियुक्ति स्थगित प्रशासन समिति की बैठक दिनांक ११.११.८७ में अनुमोदित की गई; एक महाविद्यालय में "वर्धासाहस" विषय के व्याख्याता पद पर वर्तमान वेतन स्तर ७००-४०-११००-५०-१३००-अनुसूची-५०-१६०० के अंतर्गत प्राथमिक वेतन तथा संस्था द्वारा किये जा रहे अर्थात् भत्ता के साथ इस कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिशीलना पर नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

- १.- नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारियों द्वारा कितना कोई कारण बताये। महीने की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
- २.- यह नियुक्ति आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री बाण्डेय पदों स्वयं के अन्यायिक मुद्दों पर निर्धारित पत्र पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो समिति के संहिता की शर्तों को बाधित करता हो।
- ३.- श्री बाण्डेय महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शक्तित होंगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों की अवकाश सेवा की शर्तों, घाल-चलन एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता हो। यह नियुक्ति आदेश म०प० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

सही/-

सचिव एवं सचिव

प्रशासन समिति

प्राचार्य, उ०पी० वि० महाविद्यालय, किलासपुर

(म०.१०१)

क्रमांक २४७/८० किलासपुर, दिनांक १३ नवम्बर, ८७

प्रतिलिपि=

श्री रामाधार प्रसाद बाण्डेय, पिता श्री कालिका प्रसाद बाण्डेय द्वारा एस०पी०शामा-३४ ए विद्यालयनगर किलासपुर [म०प०] को सूचना दी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोक्षित। क्या जाप करने पद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

R.V. Shukla

सचिव एवं सचिव

प्रशासन समिति

प्राचार्य, उ०पी० वि० महाविद्यालय, किलासपुर

(म०.१०१)

Handwritten signatures and dates: 10/11/87, 10/11/87, 10/11/87

Handwritten signatures and dates: 10/11/87, 10/11/87

प्राचार्य
उ०पी० वि० महाविद्यालय
किलासपुर [उत्तर-समक]

आदेश

क्रमांक -----/स्था/१०

बिलासपुर, दिनांक -14-----/1/१०

इस महाविद्यालय को पयन सौगति द्वारा पयन विधे गर पदाभिन्ताणे
शु. अशु तिलहारी, जिनकी नियुक्ति प्रशासन समिति को बैठक दिनांक- 12-11-१०
में अनुमोदित भी गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. स्त. के. शर्मा के निष्ठा से
तरफ्त हुये नियुक्ति पद पर समाजकार्य विभाग के अन्तर्गत सहा. प्राध्यापक के
पद पर, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्याग में 13-11-१०
शु. जी. सी. वेतन मान 2200-75-2000-100-4000 के अंतगत प्रारीम्भ वेतन तथा
अनुभव द्वारा विधे जा रहे मंथनार्थ भरता के साथ एक वर्ष के लिये पौसीक्षा पर
नियुक्ति विधा जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति दिती भी पक्ष द्वारा नियुक्ति विधे गये व्यक्ति या नियुक्ति अधिकारी
द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त की जा
सकती है।
2. यह नियुक्ति तभी मान्य होगी, जब शु. अशु तिलहारी पांच रुपये के अन्यायक
मुद्रांक पर विद्योदित प्रथम पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो
सौगति के सीहता को शर्तों को बंधित करता हो।
3. शु. अशु तिलहारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित
होगे, जो महाविद्यालय के धर्मधारियों को अथवा सेवा की शर्तों, पाल चलन
एवं अनुशासन से संबंध में प्रभाव डालता हो।

शु. अशु के आदेशानुसार

शु. अशु
प्रभारी प्राचार्य,

शु. जी. सी. वेतन महाविद्यालय,

शारिका पसाव विम महाविद्यालय,

बिलासपुर, दिनांक 14/1/१०

पृष्ठानुक्रम क्रमांक 605/स्था/१०


प्रौढीलीप :-

1. श्रीमान् सौध म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन
है कि नियुक्ति का अनुमोदन में विधान का बड करे।
2. कुशापव- गुरु दासोदाश विष्णुविद्यालय बिलासपुर को सुपन्थे।
3. शु. अशु तिलहारी- श्री हलधर प्रसाद तिलहारी ग्राम पास्ट बमोरा तखतील
जजिमोर जिला बिलासपुर को सुपन्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोपस्थ।
दृष्टा अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करें।

प्रभारी प्राचार्य,


शु. जी. सी. वेतन महाविद्यालय,
शारिका पसाव विम महाविद्यालय,
बिलासपुर

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AEPPS2610M

 नाम /NAME
ANJU SHUKLA

पिता का नाम /FATHER'S NAME
HAALAD PRASAD SHUKLA

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH
30-06-1981

हस्ताक्षर /SIGNATURE


Anju Shukla
आयकर आयुक्त, जबलपुर
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR

(7522 + 2021)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पू.१।

आदेश क्रमांक - 10 - स्था. 97

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी हेतु वयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद रिक्त पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते हैं :-

१११ उनकी जन्म तिथि 10.10.1965 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पृथक् महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.पू. शासन, उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

११२ उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

११३ श्री संजय कुमार तिवारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाप्प बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रकृति

अभिलेख वेदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

बिलासपुर

प्रमुख

प.क. 21/4/97 स्था. 97

प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय

द्वारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय

बिलासपुर (म.पू. १)

दिनांक 21/4/97

बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

१११

श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 मेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10 13

// 2 //

21.4.97

॥ 2 ॥

कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबद्धता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥ 3 ॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन के साथ वेतन पर्ची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥ 4 ॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय को सूचनार्थ।

सही

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय,
बिलासपुर। म.पु.।

ने मदेव
[Signature]
21.4.97

//ना मदेव//

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SANJAY KUMAR TIWARI
MAHESH PRASAD TIWARI

10/01/1965
Permanent Account Number

ADCPT7057P



[Handwritten Signature]
Signature

आदेश

=====

डा. कृष्ण कुमार शर्मा वल्लभ श्री एम.पी. शर्मा, एम.ए., एम.फिल, पी.एच.डी. {अर्थशास्त्र} सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38 दिनांक 11.8.95 एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वैतनमान 2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में निम्नलिखित अनुबंधों में नियुक्त किया जाते हैं।

टीप :

=====

- §1§ उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97 के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म.पू. शासन उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा मान्य किया है।
- §2§ उनकी सेवाएं यदि परिवीक्षा अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हें कार्यकाल कार्यविधि से बिना कोई पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं तथा संतोष जनक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई करण की पात्रता होगी।
- §3§ डा. के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाॅम्प बाण्ड पर सेवा इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेंगे।

उत्त/

प्राचार्य,

द्वारिका प्रसाद विष्णु महावि.

बिलासपुर (म.पू.)

पृष्ठांकन क्रमांक -----/स्था./१७

दिनांक : 1.9.97

प्रतिलिपि :-
=====

- ॥ 1 ॥ डा. के. के. शर्मा लक्ष्मण सहायक प्राध्यापक डी.पी. विपु महाविद्यालय की आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश के तहत आप अपना कार्यभार शीघ्र ग्रहण कर पदभार करने का प्रत्यवेदन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पत्रों के लिए भिजवाया जा सके। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त पुमाना पत्र उपाधि मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिरक्षण/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
- ॥ 2 ॥ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि. वि. बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/बकादमी/चयन समिति/१७ दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।
- ॥ 3 ॥ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/१५ महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8.8.97 के संदर्भ में डा. के. के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का प्रत्यवेदन आपकी उचित समय पर वेतनपत्रों हेतु भिजवाया जायेगा।
- ॥ 4 ॥ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, दारिका पुसाद विपु महावि. बिलासपुर।

संलग्न : कुछ नहीं।

डा. के. के. शर्मा
प्राचार्य,
दारिका पुसाद विपु महावि.
बिलासपुर (मि १०)

//नामदेव//

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सुबीर सेन को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 252/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, कार्यालय को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रूपनारायण यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


RUP NARAYAN YADAV

RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K


Signature



11042006

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **सोनल तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

शुक्ल

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. *263* /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, *वाणिज्य* को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

शुक्ल
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(6)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एल. जायसवाल** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्रचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 30 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत

पता:

आत्मज: सी पी जायसवाल,
निराला नगर, पुराना बस
स्टेड के पास, राजयोग केंद्र
की गली, विलासपुर,
विलासपुर(न.नि.),
विलासपुर,
छत्तीसगढ़ - 495001

Address:

S/O: C P Jaiswal, nirala nagar,
purana bus stand ke pass,
rajyog kendra ki gali, Bilaspur,
Bilaspur (M. Corp), Bilaspur,
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

MEERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

(9)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक: 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **विवेक अंबलकर** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **भौतिकशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. **MC** -/स्थापना/2003-04

दिनांक: 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

97 288

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VIVEK AMBALKAR
MORESHWAR AMBALKAR
17/09/1965
Payers's Account Number
AUIPA8608G
Signature: 

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



इस कार्ड के खोने / गंभीर खराब होने पर / लोप पर
आपका इन सेवा कार्ड पर एनएसडीएस
दोसरी नवीन, सकार चंब्रेस,
बानेर टेलिफोन एक्चेंज के नजदीक,
बानेर, पुणे - 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:
Income Tax EAS Services Unit, NSDL,
2nd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8081 Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: info@nsdl.co.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 18/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुभमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 406 /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :




- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आरक्षित विधि
INCOME TAX DEPARTMENT
SUSHMA SHARMA
SHYAMLAL CHATURVEDI
04/09/1989
Permanent Account Number
CSHP59649L

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



S Sharma
08/06/2019

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन रहने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ac

o/w

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 381-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/w

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

12

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **खगेन्द्र कुमार सोनी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. ~~23~~ 24/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~वाणिज्य~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **बलराज मोटवानी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **मनोविज्ञान** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

o/c
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य/सचिव
डी.पी.प्रशासन समिति
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 365/---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य/सचिव
डी.पी.प्रशासन समिति
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / घाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं

आयकर सेवा इकाई, एनएसडीएल
तीसरी मंजिल, सफायर चेंबरी
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुना-411045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411045

Tel: 91-20-2721 8081 / 91-20-2721 8081
e-mail: info@nsdl.co.in

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

Signature



14062018

Sunita Yadav
06/02/19

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

Subject - Commerce

Faculty - Commerce

List of Research Supervisors/Co-supervisors with seats finally allotted to them.

S.No.	Name	Designation	Affiliation	No. of Seats available with the supervisor
1	Dr. Sudhir Kumar Sharma	Professor	Govt. J.P. Verma College, Bilaspur	04
2	Dr. Satish Kumar Agrawal	Professor	Govt. M.D.P. College, Katghora	03
3	Dr. S.K. Sharma	Professor	P.N.S. College, Bilaspur	03
4	Dr. Rajesh Kumar Shukla	Asst. Professor	CMD College, Bilaspur	03
5	Dr. Sharad Chandra Bajpai	Asst. Professor	CMD College, Bilaspur	03
6	Dr. H.L. Agrawal	Asst. Professor	CMD College, Bilaspur	03
7	Dr. Aditya Kumar Dubey	Asst. Professor	CMD College, Bilaspur	03
8	Dr. Shobhit Kumar Bajpayee	Asst. Professor	Govt. Bilasa Girls P.G. College, Bilaspur	01
9	Dr. Smt. Jaya Agrawal	Asst. Professor	Govt. J.P. Verma College, Bilaspur	03
10	Dr. V.M. Dandekar	Asst. Professor	Govt. M.M.R. College, Champa	03
11	Dr. Sanjay Singh	Asst. Professor	CMD College, Bilaspur	03
12	Dr. Sharad Kumar Dewangan	Asst. Professor	D.P. Vipra College, Bilaspur	03

u.h. 10.2.16


Registrar

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **ए. श्रीराम** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वयंकीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्वयंकीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पत्र द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के अंतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक प्राचार्य एवं सचिव

डी.पी. विप्र महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर (छ.ग.)

पुनः प्रेषण क्र. 2003/स्थापना/2003-04

परिचालन

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, पूरव पाठशाला विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनाओं।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, पी.के.इया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रबंधपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति

डी.पी. विप्र महाविद्यालय


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

DGBPS9294G



नाम / Name
Ayyagari Sri Ram

पिता का नाम / Father's Name
Ayyagari Jagan Mohan Rao

28082018

जन्म की तारीख /
Date of Birth
01/03/1974

J

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **जयन्त राय** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 282/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E



15022013

M

Signature

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती **रेणु नायर** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 186-/-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT




भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RENU NAYAR
KHARATI LAL CHOPRA

17/11/1970
Permanent Account Number
AMDPN6486C

Signature

29122010



Handwritten signature

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रशासन सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 176- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती **ऊर्जा रंजन सिन्हा** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **अंग्रेजी साहित्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 250/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार
Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971
महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा,
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02
आर.के. नगर बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp).
Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811

1847
1800 300 1847

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

(19)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशीष शर्मा** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

O/C



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 216/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number

DKSPS1864P

Signature



17052011

For College

7/2/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए/डॉ. **एम.एस. तम्बोली** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


16/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :



- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14


मधुसुदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुरुष / Male

4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

आसकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
MADHUSUDAN TAMBOLI
RAMSAHAY TAMBOLI
27/01/1964
Permanent Account Number
ANEPT 2677D

भारत सरकार
GOVT OF INDIA




Signature

ANEPT 2677D

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/w
16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 26/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/w
16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **शुभजा पाण्डेय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

etc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रमाणन क्र. 180/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

etc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
TAX DEPARTMENT
SHUBHRAJA PANDEY
GIRISH CHANDRA PANDEY
27/04/1975
Permanent Account Number
AVHPP1686R

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



Signature

Shrij
07/02/2021

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

91C

पृष्ठांकन क्र. 441/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राप्त
Shit
31/9/03

शही/-
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Handwritten signature

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRUTI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973

Permanent Account Number

EUEPS6495H

Handwritten signature
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/97619/00581

To
श्रुति सोमवंशी

Shruti Somvanshi

W/O: Ravi Singh

14 Dr. sangal gali veen kurl

vinoba nagar

Bilaspur

Bilaspur

Bilaspur Bilaspur

Chhatisgarh 495001

9827110995

154708580
ML547085807FT



कार्यालय प्राचार्य डॉ. प्रकाश प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक ---16/6/03---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दीपक मिश्रा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से व्यक्तनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक ---16/6/03---

पुर्वांकन क्र. 208/स्थापना/2003-04
प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
DEEPAK TIWARI
गिरजा शंकर तिवारी
GIRJA SHANKAR TIWARI
09/05/1965
Permanent Account Number
AVOPT0989G
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
21052014

Prof. Deepak Tiwari
Deptt. of Chemistry
D.P. Veda College

(25)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **निधीष चौबे** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
Principal
D.P.V.P.G. College
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 424 ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
Principal
D.P.V.P.G. College
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 518-स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~रश्मि शर्मा~~ इतिहास को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

Handwritten signature
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

525
पृष्ठांकन क्र. 518-स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Handwritten initials

Handwritten signature
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



05052011

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाने
आयकर पैन सेवा इकाई एन एस डी एल
तीसरी मंजिल, सफायर चेंबर्स
बानेर टेलिफोन एक्चेंज के नजदीक
बानेर, पुना - 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 3080, Fax: 91-20-2721 3081
e-mail: unitinfo@nsdl.co.in

रश्मि शर्मा



कार्यालय प्राचार्य

द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रघुनंदन प्रसाद शर्मा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

सा
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 38/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

सा
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04 19-1/6

दिनांक | 18/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **श्वेता श्रीवास्तव** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **प्राणीशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अंकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)



प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 9-1-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 18/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


PRINCIPAL
D. P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR (C.G.)


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(27)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **आभा दुबे** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 70/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


(28) (21)




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature

10052011

28

कार्यालय प्राचार्य
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 18/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशुतोष पाण्डेय** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनाार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
28/04/1977
Furnishment Account Number
AXHP3462E

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072008

Signature

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुचि सिन्हा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

MC

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 353/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(29)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 413- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


RAJNI KUJUR

STANISLAS KUJUR

11/11/1973

Permanent Account Number

BIUPK5121J


Signature



Rajni Kujur

20

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती **शिखा पहारे** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **वनस्पतिशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 46-स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि:

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एम. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
10/10/18

08/10/18
सूचना अधिकारी
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

80
24

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT OF INDIA

शुद्धा राशि
JAGGE
10/10/1965
Particulars Account Number
BANK 00437M

Signature



(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 542/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक 23-6-2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी अफक~~ ~~इतिहास~~ को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

543 के 549


पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :


दिनांक 23-6-2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
Principal
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

28
↓
25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 118-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्यी
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सम्मान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 70 447 01- 20/9/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 447/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd
22.09.03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
TOSHIMA MISHRA
KRISHNA MURARI SHARMA
15/08/1974
Permanent Account Number
BLKPM2849H

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

08042011

Signature 






CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नेट
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



130716

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. विश्वास विकटर, उम्र 34
चर्च के पीछे, मुंगेली
जिला- मुंगेली (छ.ग.) पिन - 495334

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - विश्वास विकटर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.07.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1. Shri. Shri. Soneashi
2. Shri. M. L. Saini

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
[Signature]
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

130718
130718



SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संशोधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़नाकर स्वयंपूर्णक करण करण कला
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/मुद्रा किया।

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत
GOVT OF INDIA

VISHWAS VICTOR

VIJAY VICTOR

01/07/1982
Permanent Account Number
AQSPV2824R



Signature




06/02/19

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Notarized

अरुण सिंह
नो. 10
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. किरण दुबे, उम्र 41

कतियापारा, बिलासपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोक प्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



070616

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.06.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :
1. Shri. Shri. Somesh
2. M.L. Saini

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....[Signature].....


07.06.16

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PERSON NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संश्लेषित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शकपूर्वक कानून का ज्ञान कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंकन किया।

[Signature]
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



26
↓
32




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KIRAN DUBEY
CHANDRA KUMAR DUBEY
19/07/1975



Account Number
BY 08730J

Signature



CF On Rupee Two Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नो.
बिलासपुर



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 31 वर्ष
निवासी- वार्ड नं. 3, मोहनपुर, फुलवारी थाना
लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिन- 495115

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Govt. of India

गवाह :-

1 Shri Shri Sonawshi


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2 M. M. L. Jaiswal

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



200816

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दो समक्ष गवाहों पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर स्वयंपूर्वक कथन आज कल
आर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/कंपूट किया।


अरुण सिंह
जी.पी.
बिलासपुर


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

MOTI LAL PATIL
KISHUN RAM PATIL

27/03/1985
 Permanent Account Number
COFPP4164M


Signature: 



[Handwritten signature]



Please take this card to your bank/merchant/agent in form of attachment
 Income Tax PAN System - Call 1311311
 Plot No. 11, Sector 11, Gurgaon
 New Delhi - 400 614

इस कार्ड को बैंक/वाणिज्य/एजेंट पर कृपया संलग्न करें/लगाएं।
 आयकर पैन सिस्टम - कॉल 1311311
 प्लॉट नंबर - 11, सेक्टर 11, गुरुगढ़
 नवी दिल्ली - 400 614



[Handwritten signature]

CF On Rupee
& Notation
affixed / Notation
Rupees 10/-



ह. सि. वि.
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. लवराज विश्वकर्मा उम्र 29 वर्ष
निवासी- वार्ड. नं. 2, विद्याविहार कॉलोनी, मरवाही
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495118

200816

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. लवराज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :

1

Shruti Sonarsui

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


2

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

200816



SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष उपरोक्त पर संघीकृत व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर अपव्ययक तबल आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अडूक किया।

[Signature]

बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

LAV RAJ VISHWAKARMA

HEMRAJ VISHWAKARMA

14/01/1987


Permanent Account Number

AWQPV4796E

Lav Raj
Signature




0032415



SELF ATTESTED

Lav Raj

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



20 03 16



CANCELLED
(Contract for Teaching)

अरुण सिंह
नोडरी
प्रथम पक्षकार (छ.ग.)


— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. सुमीत कुमार सोनी उम्र 34 वर्ष
निवासी— राजाराम मंदिर के सामने, गोड़पारा
जिला—बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. सुमीत कुमार सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :

1. Chaiti Chaiti Sonuwar

Chaiti Sonuwar
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय...
बिलासपुर (छ.ग.)

2. M.L. Dulew

M.L. Dulew
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SIGNATURE ATTESTED




200816

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस पत्रावली पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर समयपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह कोरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)




2008 16



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रीति पटेल उम्र 16 वर्ष
निवासी- म.नं. 33, शिवम् वाटिका कॉलोनी, भोपका
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. प्रीति पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Dr. of India


गवाह 1 Dr. Shilpa Sonuwar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
कार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2 M.L. Sahu

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

200816




SIGNATURE ATTESTED
SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
आर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

जगज सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. विजेता सिंह ठाकुर उम्र 24 वर्ष
निवासी- राजपारा, सारंगगढ़
जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496445



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. विजेता सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :

1. Shri. Shri. Somesh

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED

2. [Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

200816


[Signature]
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अखिल सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व 200819
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो. हेमपुष्पा चन्द्रा उम्र 25 वर्ष
निवासी- जूना बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. हेमपुष्पा चन्द्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Govt. of India

गवाह :

1. Dr. Prati Someshwar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी. विप्र. महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

2. M. L. ...

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....P.L......



SIGNATURE ATTESTED
SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
सहकर/पढ़कर अपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुल किया।

शुभम सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नाटरी
विलासपुर (छ.ग.)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय 200816
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा मित्रा उम्र 33 वर्ष
निवासी- विनोबा नगर, गायत्री मंदिर के पास, गली नं. 2
जिला-विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. नेहा मित्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह 1 Shruti Somwathi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2 M. L. J. J. J.

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Mishra

200816

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / IMPRESION


दोरे समक्षके धर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर.....अपसपूर्वक कथन साज कडा
आर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूत किया ।

NOTARY
200816

अरुण सिंह
नोदरी
बिलासपुर (छ.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)



200816



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - डॉ. सुरुचि मिश्रा उम्र 36 वर्ष
निवासी- निर्मला नगर, पुराना बस स्टैण्ड
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - डॉ. सुरुचि मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह

1 Shri Shri Someshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2 M.L. Dabul

SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

200816



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष जो दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाने शपथपूर्वक वचन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT
सुरुची मिश्रा
TRIBHUVAN NATH SHUKLA
28/02/1980
PAN Card No. AEC0114N0000000
BCBPM2755E

भारत सरकार
GOVT OF INDIA



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
अरुण सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)



200816




प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो. रीना ताम्रकार उम्र 26 वर्ष
निवासी- दुर्गा मंदिर, जबाली पुल के पास
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह

1. *Shruti Somwathi*

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2. *M. M. C. D. D.*

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Vij

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष पर प्रस्तोच पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपना/उनका कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया।




200816

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

1
If On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)




(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. य
जिला - विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सुरभि दुबे, उम्र 23
दयालबंद,
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सुरभि दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह :
1. Shruti Sonawani

2. M. C. Jadhav

[Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.सिप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Sunehi

200816



SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संघटित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर स्वयंपूर्वक तय्यद ज्ञान कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया।

[Signature]
अरुण सिंह
नोचरी
बिलासपुर (उ.प्र.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)




12 0 0 8



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. दीपिका दर्शन, उम्र 24
गायत्री मंदिर के पास, विद्यानगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - दीपिका दर्शन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
 - यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NO. 1

गवाह : 1. Shri Shrite Sonegami

2. Dr. M. C. Saini

[Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.सिप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]

200815




SIGNATURE ATTESTED
SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
उपरि उक्त हस्ताक्षर पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/सुझकर/समझकर/समझकर आज कल
और इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर/अंकित किया।

Aarun Singh
बिलासपुर (उ.प्र.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

असुरी
मेव
बिलासपुर (छ.ग.)



200816



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. वोल्गा व्यास उम्र 28 वर्ष
निवासी- वार्ड नं. 12, व्यापार बिहार रोड, संजय अपार्टमेंट
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. वोल्गा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, नय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह


1




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.ग.)

2




द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



200816

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

ने मैंने इनके द्वारा दिये गये हस्ताक्षर/अंगुली छापों को
पढ़कर/समझकर पढ़कर/समझकर पढ़कर/समझकर पढ़कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुली छाप दिए हैं।




आनंद सिंह
नोटरी
बिलासपुर (उ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
सेवक
बिलासपुर (छ.ग.)



अध
(Contract for Teaching)




- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय 200816
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. निशा बंजारे उम्र 24 वर्ष
निवासी- ग्राम केरवा, टेंगनमाड़ा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495116

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. निशा बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY
G


गवाह
1 Shri. Shri. Sonwashi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी. विप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED

2 M. C. ...

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Nisha



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष पर उक्तके पर संबंधित व्यक्ति
पढ़कर/पढ़ाकर स्वेच्छपूर्वक कथन जाय क...
जोत इस बरतद्विज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


200816

अरुण सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
मिस्ट्री
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED
अध
(Contract for Teaching)



200816



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. मेघा पाण्डेय, उम्र 26
अज्ञेय नगर, व्यवहार नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मेघा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1

Shri. Shri. Someni

2

M. M. L. Saini

SIGNATURE ATTESTED

[Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Mugh




200816

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पक्षकार शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

[Signature]
अरुण सिंह
नॉटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed
अरुण सिंह
नेत्री
बिलासपुर (छ.ग.)



200616



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रदीप जायसवाल उम्र 26 वर्ष
निवासी- जायसवाल गली, नं. 07 अरसमेंटा
जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) पिन- 495671

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. प्रदीप जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

14/8/16
TAR

गवाह :
1 Dr. M. L. Jaiswal

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

2 Dr. M. L. Jaiswal

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

200816

SIGNATURE ATTESTED




SUBSCRIBED AND SWORN
TO BEFORE ME BY THE
SIGNER(S) NAMED
HEREIN AND I HAVE
PUBLISHED THE NAMES
AND RESIDENCES OF
THE SIGNER(S) NAMED
HEREIN AND I HAVE
SOLEMNLY AFFIRMED
AND SWORN TO THE
TRUTH OF THE
FORGONE STATEMENTS.

अलग सिंह
चौटरी
विलासपुर (छ.ग.)


CF On Rupee- Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अंशुल गौरहा
बिलासपुर (छ.ग.)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंशुल गौरहा उम्र 29 वर्ष
निवासी- मिश्रा गली, नया सरकण्डा, सीपतरौड
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अंशुल गौरहा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :
1.  Dhriti Sumanishi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2.  M.M.L. Saini


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLV AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दो समक्ष गवाहों पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।



Pankaj Singh
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupee 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नमन गुप्ता उम्र 27 वर्ष
निवासी- कमलराज के पास, गोड़पारा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. नमन गुप्ता को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह

1. *Dr. Shilpi Sonuasthi*

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.कि.म.वि.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2. *Dr. Arun Singh*

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....
.....

200816 SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन किया है
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/मुद्रा किया है।

अरुण सिंह


नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)




CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
देवी
बिलासपुर (छ.ग.)



200816



अ (Contract for Teaching) क

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. शैली ओझा उम्र 30 वर्ष
निवासी- म.नं. 217, सतबहिनिया मंदिर के पास, देवरीखुर्द
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. शैली ओझा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
 - यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझाकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Govt. of India

गवाह :-

Prati Omil Somesh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED

M.L. Jain

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]




200816

ONLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/लंबूवा किया।

अमृता सिंह
नोटीरी
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)


- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अनन्या भट्टाचार्य उम्र 24 वर्ष
निवासी- नेहरू नगर, प्रजापति कॉलोनी एफ 2
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अनन्या भट्टाचार्य को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
 - यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
 - यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



200816



अनूप सिंह
नोडरी
प्रथम पक्षकार बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - डॉ. आंचल श्रीवास्तव, उम्र 30

नेहरू नगर, बिलासपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - डॉ. आंचल श्रीवास्तव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह

1


Dr. Shri. Somuashi

Dr. M. L. Jaiswal SIGNATURE ATTESTED

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

उक्त सनद इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक रूप से जान कक्षा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
अधीक्षी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. आकांक्षा तिवारी उम्र 22 वर्ष
निवासी- जी.वी. 17, गीतांजली बिहार, नेहरूनगर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. आकांक्षा तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोकेमेस्ट्री विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1

Dr. P. K. Somwathi

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

2

Dr. M. C. Singh

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. Singh




200816

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
ने समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्वयंपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Twofold
& Notarial Stamp of Rupees
affixed / Not affixed
अनुबंध पत्र
बिलासपुर (छ.ग.)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय 0816,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मुनव्वरी उम्र 30 वर्ष
निवासी- हाउस नं. 337, वार्ड नं. 10,
पी.एन.एस. कॉलेज के पास, राजेन्द्र नगर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. मुनव्वरी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Dr. Shree Suresh Chandra

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.सी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2

M.M.L. Jaiswal

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

M.M.L. Jaiswal

200816

SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दो समक्ष हस्ताक्षर पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर स्वयंपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूठा किया।

अरुण सिंह
नटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अशोक सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



अध

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. आशा रॉय उम्र 46 वर्ष
निवासी- एफ 58 विजयापुरम सीपत रोड, सरकण्डा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. आशा रॉय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY


गवाह :

1 Shri. Shri. Somesh


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2 Shri. M. C. Singh


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





200816

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
श्री समस्त इस दस्तावेज पर स्वयंसेवक व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अकृष्ण सिंह
नॉटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp or Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नेवरी
बिलासपुर (छ.ग.)




(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय 200816

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. दिशा धुप्पड़ उम्र 29 वर्ष
निवासी- शिवाजी मार्ग, टिकरा पारा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. दिशा धुप्पड़ को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Govt. of India

गवाह

1. Shri. Shri. Suresh Chandra डी.पी. त्रिप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य


2. Shri. M. S. Singh

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Suresh

200816

SIGNATURE ATTESTED




SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूषण किया।

अरुण सिंह
नॉटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



अरुण सिंह
नोब्ली
प्रथम पक्षक बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


200816

द्वितीय पक्षकार — प्रो. ज्योति श्रीवास उम्र 26 वर्ष
निवासी- तिलक नगर चांटापारा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित


शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. ज्योति श्रीवास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार को यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :

1 Shri. Shri. Somnesh

[Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.प्र.)

2 M.L. Dubal

SIGNATURE ATTESTED

200816

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के सनद इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज बना
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

[Signature]
अरुण सिंह
रोड
बिलासपुर (छ.प्र.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोडलरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

1200816




- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, गिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. पूनम शुक्ला उम्र 27 वर्ष
नियासी- झोपड़ा पारा,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. पूनम शुक्ला को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :

1

Shri Shreli Soneishi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
...डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2

Dr. M. L. Soneishi

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Shreli


200816

SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

नेरे तमक्ष इ दस्तावेज पर संबधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आज करा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुली किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



अरुण सिंह
नोचरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)


प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अनुपमा टोपों, उम्र 27
जोरापारा, सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनुपमा टोपों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1. Shri. Shri. Somneshi


2. M. L. ...

SIGNATURE ATTESTED

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डॉ. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
...

22 08 16




SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.प्र.)

Stamp On Rupee & Notarial Stamp of Rupees 10
affixed / Not affixed

अध्यापन
विभाग (छ.ग.)




220816



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अनामिका दुबे, उम्र 24
वार्ड नं. 55, बैमा मार्ग, देवेन्द्र नगर, सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनामिका दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पतिशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1 Dr. Shri Somashi

2 M.L. Desai

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
PA abey

220816




SOLENNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PERSON NAMED
SIGNED / THIS IMPRESSION
मेरे समक्ष श्री. सोमशि पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/सूचिपूर्वक कथन आज कथन
और हस्ताक्षर/सोमशि किये।
BEFORE ME
SOLENNLY AFFIRMED OR SWORN

अशोक सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रथम पक्षकार



220816
- प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजना बोस, उम्र 39

मकान नं.-ए-101, कृष्णा अपार्टमेंट विद्या नगर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजना बोस को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह श्री श्रील सोमेश्वरी

2. श्री M. C. Singh SIGNATURE ATTESTED

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
श्री



22.08.16

SOLENNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
संनद इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर समयपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/लंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोदरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees In
& Notarial Stamp of
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. जैस वर्गिस, उम्र 25
उस्तापुर, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - जैस वर्गिस को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.11.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1. Chit Somwashi

2. Dr. M. L. Daul


Chit Somwashi
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. M. L. Daul
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

04/11/16

SIGNATURE ATTESTED


SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दो समक्ष में दस्तावेज पर संकेचित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ने के बाद अपनी हस्ताक्षर/अंगूठा आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

04 11 16



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रूमी सरकार, उम्र 30
हेमू नगर, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूमी सरकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार कें द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.11.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1. Shri. Shri. Someash
2. M. M. D. D.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Ranjit Jankar

04/11/16 SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष उपरोक्त पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर (अपना कलम)
और इस वस्तुविषय पर हस्ताक्षर/अंगुली किया।



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Twelve &
& Notarial Stamp of Rupees 10
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नेहरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व. 220816

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो. रश्मि शर्मा, उम्र 29

एम.आई.जी.-69 के पीछे नेहरू नगर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रश्मि शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह
1. Dr. Shri Somesh
2. Dr. M.L. Dand

Dr. Somesh
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डॉ. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Rashmi


220816 SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दोरे समक्ष एवं ज्ञाते पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जमूा किया।

अरुण सिंह
नॉटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



24 08 16



अक्षय सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)


(Contract for Teaching) पत्र

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. चन्द्रशेखर व्यास, उम्र 25
वार्ड नं.-06, चकरभाठा, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - चन्द्रशेखर व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायनशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 24.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह
1. Shri Shri Somnath
Govt. M. L. Singh
SIGNATURE ATTESTATION

24 08 16



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे सनद इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़ कर/पढ़कर सपथपूर्वक कत्रन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नेटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

[Signature]


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.सिप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not. Stamp
अरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)




(Contract for Teaching)



230816

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. आकांक्षा शर्मा, उम्र 22
मकान नं.-09, बार्ड नं.-54, जोरापारा रोड सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आकांक्षा शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक्नोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :
1. Shri. Shri. Someshwar
2. M.L. Sarda

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डॉ. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]

230816

SIGNATURE ATTESTED




SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THROUGH IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संश्लेषित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज वाक्य
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
बिलसपुर (छ.ग.)




(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा रजक, उम्र 25
करबला रोड, कोदू चौक, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नेहा रजक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कंप्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 24.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह : 1 Shri. Shri. Somnath

2 M.L. Dand

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
N. Prasad


24 08 16 SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / IN THE IMPRESSION
मेरे समक्ष के दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन जाण कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूषण किया।



अरुण सिंह
नोरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



प्रथम पक्षकार -
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)


प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

300816

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नम्रता प्रधान, उम्र 25
देवरीखुर्द, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नम्रता प्रधान को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कंप्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 30.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह
1. श्री श्री सोमेश्वरी
2. श्री M.L. Dule

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्रधानी
डी.पी.विप्र.महविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
AP




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

300816

अरुण सिंह
नोबरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Twelve affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed


अरुण सिंह
बिलासपुर



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

300816

द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोनिका शर्मा, उम्र 24
अश्विनी विहार,
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोनिका शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 30.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह
1. Shri. Somnashi
2. M.L. Singh

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी. विप्र. गढ़विद्यालय.....
विलासपुर (उ.प्र.)
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]

300816

SIGNATURE ATTESTED




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED FOR HIS IMPRESSION
के समक्ष एवं स्वेच्छया से संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक वचन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

[Signature]
नोटरी
विलासपुर (उ.प्र.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
गोदरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

2 0 8 1 6

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गुरविन्दर कौर, उम्र 25
पंजाबी कॉलोनी, दयालबंद
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गुरविन्दर कौर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 24.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह

1. श्री. श्री. Sonwari

2. श्री. M. L. ...

SIGNATURE ATTESTED


(Handwritten Signature)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य
डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
 बिलासपुर (छ.ग.)

24 08 16

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE PERSON NAMED SIGNED / TRACED IMPRESSION
 श्री. पति का हस्ताक्षर / श्री. पति का हस्ताक्षर का प्रमाण


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
(Handwritten Signature)



अरुण सिंह
 नोटरी
 बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अशोक सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)




(Contract for Teaching)

01091



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रश्मि श्रीवास, उम्र 25
भारतीय नगर,
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रश्मि श्रीवास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह

1. श्री श्री सोनवानी

2. श्री श्री श्री

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



01 09 16


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस शर्तिका पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शावपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

श्री श्री सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed


अरुण सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रीति गुप्ता, उम्र 25
ए-113, फेस नं.-1, राजकिशोर नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रीति गुप्ता को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कंप्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.09.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह
1. Shri. Dhruv Somwathi

2. M.L. Dand

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
P. Gupta




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर स्वयंपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अ. सिंह
नॉटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

असा
बिलासपुर




(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नम्रता जोल्हे, उम्र 23
मकान नं.-65 बिचपारा, हिरीगोदाम
जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन - 496001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नम्रता जोल्हे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायनशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 03.12.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1 Shri. Shri. Somesh

2 Dr. M. L. Jaiswal

[Handwritten Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डा. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
N. Jaiswal

031216

SIGNATURE ATTESTED



SUBSCRIBED AND SWORN
BEFORE ME THIS 3rd DAY OF DECEMBER 2016
SIGNATURE AND IMPRESSION
मेरे समक्ष इस अनुबंध पत्र, चतुर्थ व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर साक्षर/अक्षर के रूप में
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/हस्ताक्षर

अरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupee
& Notarial Stamp
affixed / Not affixed



सूर्या सिंह
नाथी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

22 08 16

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सूर्या शर्मा, उम्र 22
यू.डी.एम. हॉस्पिटल के सामने
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सूर्या शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2016 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह
1. श्री श्री. सोमेश्वरी

2. श्री. म. ल. शर्मा

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के सम्मुख एवं शतावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर अभ्यर्थात्क कथन आज कल
22 08 16 और इस शतावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।
अरुण सिंह
बिलासपुर (उ.प्र.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2017-18

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001

OFFICE OF THE PRINCIPAL, D.P.VIPRA COLLEGE, HILASPUR (M.P.)

Statement of fixation of Pay in the revised U.C.C. scales vide Govt. of Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Shopt No. 3305/30-1/88 dated 3/8 Nov. 1988.

1. Name of the Officer. :----- Smt. Sunanda Mishra -----
2. Designation :--- Asstt. Professor in Economics
3. Date of ~~Entry~~ entry in Govt. Service or Date of Selection of PSC. (Whichever is Later). : 1.1.1979
4. (a) Permanent/Occasional : Permanent.
- (b) Scale of pay in the Existing UGC SCALES. : Rs. 700-1600
5. (a) Date from which new scale is opted. : 1.1.87
- (b) New Scale of Pay : 3000-5000
6. (a) Pay in the old scale as on date mentioned in column 4 (b) : 1020-00
- (b) DA/ADA/AADA/on 1st Jan.85: 1450 ₹253 (243+1207)
- (c) Existing Emoluments(a+b) : 2470-00
- (d) Add 20% of Basic Pay : 204-00
- (e) Total (c+d) : 2674-00
- (f) Total pay fixed in new Scale on stage on 1.1.87 or option date on the scales. 2200-4000/-
3000-5000/-
3700-
7. Bunching and stepping up under Rule 25 Read with note therein. :
8. Any other item including Ph.D; M.Phil with date PH.D date
9. Pay fixed in the New Scale on: 3000-00 1.1.87 or on the date of option.
10. Date of next increment. 1.1.88 is 3100-00

Revised pay to Rs. _____

[Signature]
Principal
D.P.Vipra College, Hilaspur (M.P.)

FOR USE IN THE OFFICE OF THE J.C.P., SENIOR

Pay fixed at Rs. _____ from _____
with the next date of increment on _____ Scale _____

checked by _____

[Signature]
Assistant Director

[Signature]

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY
SNATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

- O R D E R -

No. 767/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K.B. Singh, a candidate for appointment, is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in this college until further orders in the scale of pay of Rs. 620-1800 with usual A.D.A. and other allowances, with effect from the 15th November 1980, subject to the following candidates: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha Amdan Ayog, Bhopal & Ravishankar University, Raipur,
- (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

and,

- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

R.V. Shukla
Principal & Secy.

Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.


No. 762-A/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara, district Bilaspur, for information and necessary action.

R.V. Shukla
Principal & Secretary.


Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

Handwritten note:
K.B. Singh
11.11.80

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
KAVI BHUSAN SINGH
BHAGIRATHI SINGH
09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPPS2613J

 Signature


7017 0046 5355
मेरा आधार, मेरी पहचान

इस कार्ड को खोने / पाउने पर कृपया सूचित करें / चेतावनी
 आयकर पैन सेवा कार्ड (पैन एसडी) एन
 तीसरा मंजिल, सप्टाबाइर चैंबर
 नॉर्थवैस्ट बिल्डिंग, एनएच 47
 बॉम्बे, गुजरात - 400 045
 If this card is lost / someone's tax card is found,
 please inform / return to:
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL,
 3rd Floor, Saptahaire Chambers,
 Near Banner Telephone Exchange,
 Banner, Pune - 411 045
 Tel: 91-20-2721 8181 Fax: 91-20-2721 8081
 (e-mail) inmnl@nsdl.co.in


7017 0046 5355

7-5

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVERNMENT BODY,
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.
(406001.)

IN O R D E R

No. 232/Estt/83, dated Bilaspur, the 18th August 1983

Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection
Committee, as a Lecturer in Geography, in an official capacity,
in this college with further orders in the sanctioned scale of
pay of Rs. 700-1600 with usual domestic allowance, with effect
from the 18th August 1983 subject to the following conditions:

- (1) That the appointment is subject to the approval
of the N.P. Uchcha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal,
and the Guru Ghandan University, Bilaspur
and
- (2) That he abide by the service conditions applicable
to the employees of the D.P. Vipra College,
Bilaspur.

Self
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary,
D.P. Vipra College,
Bilaspur.

No. 232/Estt/83., dated Bilaspur, the 19th August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,
Bilaspur, for information and necessary action. He will please
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his
agreement to the above terms and conditions. Joining report
may also please be submitted in triplicate.

Copy to Shri C.S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,
Bilaspur, for information.

R.N. Shukla
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary.

[Signature]

स्थायी लेखा संख्या

/PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AGRPP8200C



नाम /NAME

VIMAL KUMAR PATEL

पिता का नाम /FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर /SIGNATURE

V Patel

असुरज कुमार, जयपुर

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR

कार्यालय, प्राचार्य, टारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर, म०प्र०.

क्रमांक 381/स्था/84. दिनांक 21/11/2020

निम्न लिखित अभ्यर्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर धेनमान 700-40-1100-3-1300 असेसमेंट-50-1600 पर रुपये पर देय मंत्रगार्ह भत्ता एवं अन्य भत्ता सपित, एकभार ^{75एफ} करने की तिथि से नियुक्ति नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक अभ्यर्थी का नाम पद नाम विषय

1. कु. साधना बोट व्याख्याता समाजकार्य

2. श्रीमती मधु दोराईराज ---"--- श्रीजी

3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी।

1. म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्खासीदास विद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होगी।

2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होगी।

एवं

उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उक्त अभ्यर्थी शोषित रहेंगे।

सही
प्राचार्य एवं सचिव,
प्रशासन समिति,

म०प्र० विष्णु महावि० बिलासपुर

क्रमांक 381-D/स्था/84.

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् सचिव, म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।

2. श्रीमान् कुलसचिव, गुस्खासीदास विद्यालय, बिलासपुर।

3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचनाओं।

4. कुमारी साधना बोट, द्वारा श्री बी.के. बोट, वधाट्टर नं. 536/4, आर.टी.एस. कालोनी, बिलासपुर।

5. श्रीमती मधु दोराईराज, द्वारा श्री एस.बी. दोराईराज, डिप्टी चोक हजीनियर हौस, बंगला नं. 1048, रेडवे कालोनी, बिलासपुर।

को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राचार्य एवं सचिव,
प्रशासन समिति,
म०प्र० विष्णु महावि०, बिलासपुर

(G) (3)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME

BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962

Permanent Account Number
AVRPS0169E

S. S. Bose

Signature



*In case this card is lost / found, kindly inform / return to :-
Income Tax PAN Services Unit, UTIISL,
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.
यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/सौंपाएं :-
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTIISL,
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलपुर,
नवी मुंबई-400 614.*

:: आ-दे-रा ::

क्रमांक २४६ अथा०/८० कितासपुर, दिनांक नवम्बर, ८७

सं महा विद्यालय की चयन समिति द्वारा चयन किये गये वदाभिलाषी श्री रामाधार नुसाद बाण्डेय, जिसकी नियुक्ति स्थगित प्रशासन समिति की बैठक दिनांक ११.११.८७ में अनुमोदित की गई, सं महा विद्यालय में "उपशास्त्र" विषय के व्याख्याता पद पर वर्तमान वेतन स्तर ७००-४०-११००-५०-१३००-१५५०-१८०० के अंतर्गत प्राथमिक वेतन तथा संस्था द्वारा किये जा रहे इत्यादि भत्ता के साथ ०६ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिवर्द्धित पर नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारियों द्वारा किना कोई कारण बताये। महीने की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री बाण्डेय पक्ष स्वयं के अन्यायिक मुद्दांक पर निर्धारित पत्र पर अनुरोध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो समिति के संहिता की शर्तों को बाधित करता हो।
3. श्री बाण्डेय महा विद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से श्रुतित होंगे, जो महा विद्यालय के कर्मचारियों की उत्तरदायिता की शर्तों, चाल-चलन एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता हो। यह नियुक्ति आदेश म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

सही

सचिव एवं सचिव

प्रचारण समिति

प्राचार्य महाविद्यालय, कितासपुर

(म० प्र०)

क्रमांक २४७ अथा०/८७ कितासपुर, दिनांक १३ नवम्बर, ८७

प्रतिलिपि

श्री रामाधार नुसाद बाण्डेय, पिता श्री कालिका नुसाद बाण्डेय द्वारा एस०पी०शर्मा-३४ ए विद्यानगर कितासपुर (म०प्र०) को सूचना दी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जगेष्ठित किया जाय करने पद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

R.V. Shukla

सचिव एवं सचिव

प्रचारण समिति

प्राचार्य महाविद्यालय, कितासपुर

(म० प्र०)

Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

Handwritten signatures and notes in the middle of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

10 13

// 2 //

21.4.97

॥ 2 ॥

कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबद्धता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥ 3 ॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन के साथ वेतन पत्र जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥ 4 ॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय को सूचनार्थ।

सही

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति,

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय,
बिलासपुर। म.पं. 1.

ने गजराया
[Signature]
21.4.97

//ना मदेव//

--:: 0 ::--

आदेश

प्रमाणिका - /स्था/१०

बिलासपुर, दिनांक - 14 - 11 - 90

इस महाविद्यालय को पथन समिति द्वारा पथन किये गए पदाभिभावो
शु. अशु तिवारी, जिनको नियुक्ति प्रशासन समिति को बैठक दिनांक- 12-11-90
में अनुमोदित भी गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. एच. के. वर्मा के निधन के
परिणत हुए निधनोपपन्न पद पर समाजशास्त्र विषय के अस्सिस्टेंट सहा. प्राध्यापक के
पद पर, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्यागा में 13-11-90
यु. पी. सी. वेतन मान 2200-75-2000-100-4000 के अंतिम प्रारीम्भक वेतन तथा
अभिया द्वारा किये जा रहे मंथनार्थ भरता के साथ स्व वर्ष के लिये पीपीआ पर
नियुक्ति किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति पत्रों को पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या नियुक्ति अधिकारी
द्वारा अपना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त को जा
सकती है।
2. यह नियुक्ति तभी मान्य होगी, जब शु. अशु तिवारी पांच रुपये के अन्यायिक
मुद्दा पर नियुक्ति पर प्रत्येक वर्ष अनुबंध बस्तापर करके प्रमाणित करेंगे, जो
समिति के सीइटा को शर्तों को बंधित करता है।
3. शु. अशु तिवारी महाविद्यालय के सभी निधनों एवं पीपीनयमों से शासित
होंगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों को अपराध सेवा की शर्तों, पालन चलन
एवं अनुशासन से संबंध में प्रभाव डालता है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

शु. प्रभाकर प्रसाद,
श्री. पी. के. महाविद्यालय,
व्यवस्थापक शिक्षक महाविद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90


पृष्ठानुक्रम प्रमाणिका - 605 - /स्था/१०

प्रौद्योगिकी :-

1. श्रीमान् सीधम म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन
है कि नियुक्ति का अनुमोदन के निम्नाने का बस्ट करें।
2. कुशापव - गुरु छासोदास विद्यालय बिलासपुर को सुपनाथ।
3. शु. अशु तिवारी - श्री इलाहर प्रसाद तिवारी ग्राम पास्ट बमोरा तखतील
जाजिगौर जिला बिलासपुर को सुपनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीन।
सुपना अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करें।

शु. प्रभाकर प्रसाद,
श्री. पी. के. महाविद्यालय,
व्यवस्थापक शिक्षक महाविद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AEPPS2610M




नाम /NAME
ANJU SHUKLA

पिता का नाम /FATHER'S NAME
HAALAD PRASAD SHUKLA

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH
30-06-1981

हस्ताक्षर /SIGNATURE



आयकर अधिकारी, जबलपुर
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR

(752 + 2021)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पु.।

आदेश क्रमांक - 10 - स्था. / 97

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अग्रिजी हेतु वयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के पद ~~बिना~~ पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते हैं :-

§ 1 § उनकी जन्म तिथि ~~10.10.1965~~ ^{10.10.1965} है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पृष्ठ महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.पु.शासन, उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

§ 2 § उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

§ 3 § श्री संजय कुमार तिवारी पद भार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेम्नीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रकृति ~~अभिलेख~~ के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

प्रमुख के

प.क. 21/4/97 स्था. / 97

प्राचार्य ~~अभिलेख~~

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय

बिलासपुर म.पु.।

दिनांक 21/4/97

बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

§ 1 §

श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 गेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पद भार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SANJAY KUMAR TIWARI
MAHESH PRASAD TIWARI

10/01/1985
Permanent Account Number

ADCPT7057P



[Handwritten Signature]
Signatures

आदेश
=====

डा. कृष्ण कुमार शर्मा वत्स श्री एम.पी. शर्मा, एम.ए., एम.फिल,
पी.एच.डी. {अर्थशास्त्र} सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम
स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के
पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38
दिनांक 11.8.95 एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वेतनमान
2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत
भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवर्द्धिता अवधि
पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में नियमित अनुबंधों में नियुक्त किया
जाते हैं।

टीप :
=====

§1§ उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन
इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97
के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित
नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म.पु. शासन उनके पत्र
क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा
साध्य किया है।

§2§ उनकी सेवाएं यदि परिवर्द्धिता अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हें
कार्यालय कार्यालय में बिना कोई पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकती
सकती है तथा संतोष जनक परिवर्द्धिता अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई
करण की पात्रता होगी।

§3§ डा. के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की
अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा
इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हेतु
प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-
प्राचार्य,
द्वारिका प्रसाद विष्णु महावि.
बिलासपुर (म.पु.)
दिनांक 11/2/97 पर

पृष्ठांकन क्रमांक -----/स्था./१७

दिनांक : 1.9.97

प्रतिलिपि :-
=====


१११ डा. के. के. शर्मा सदर्थ सहायक प्राध्यापक डी.पी. विपु महाविद्यालय की आचार्यक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश के तहत आप अपना कार्यभार सीधे ग्रहण कर पदभार करने का प्रतिलेखन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पत्रों के लिए भिजवाया जा सकें। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्र उपाधि मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिरक्षण/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

१२१ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि. वि. बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/बकादमी/चयन समिति/१७ दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।

१३१ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8.8.97 के संदर्भ में डा. के. के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का प्रतिलेखन

आपको उचित समय पर वेतनपत्रों हेतु भिजवाया जायेगा।

१४१ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, दारिका प्रसाद विपु महावि. बिलासपुर.


डा. के. के. शर्मा
दारिका प्रसाद विपु महावि.
बिलासपुर (क्र. १०)

संलग्न : कुछ नहीं.

//नाभदेव//

कार्यालय प्राचार्य

द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16.6.2013

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सुबीर सेन को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 252--/स्थापना/2003-04

दिनांक 16.6.2013

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वाणिज्य को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.-----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रूपनारायण यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RUP NARAYAN YADAV


RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K

Rup Narayan
Signature



11042008

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सोनल तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।




(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 263 /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- वाणिज्य ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यवाही नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति

डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(6)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एल. जायसवाल को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्रचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 30 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **विवेक अंगलकर** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **भौतिकशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति


डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. -स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एन. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति

डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

27 28

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

VIVEK AMBALKAR
MORESHWAR AMBALKAR

17/09/1965
Pan/Date of Birth/Account Number

AUIPA8608G

Signature

CP02/FU

इस कार्ड को खोने / गंभीरतापूर्वक सुरक्षित करें / नोटाई।
अधिक विवरण के लिए, कृपया निम्नलिखित
संख्याओं पर संपर्क करें।
बोर्ड ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एंड स्टडीज,
आयकर, जे।। - 411045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:
Income Tax PAN Services Unit, NSDL,
3rd Floor, Sapignac Chambers,
Near Dnyanesh Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8040 Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: paninfo@nsdlco.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 406/-/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



SSR
06/02/2019

11

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **तरू तिवारी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ac

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 381/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Signature

Handwritten signature and text: *श्री. नंद किशोरी*

Notary stamp: **Attested True Copy**
SURENDRA SHARMA
NOTARY

Notary stamp: **Jaraut Dist. - Bilaspur**
9 MAY 2016

Notary stamp: **बिलासपुर विश्वासपत्र व पंजीयन**
557

12

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **खगेन्द्र कुमार सोनी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 291/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, **वाणिज्य** को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

KHAGENDRA KUMAR SONI

NANKI RAM SONI

14/04/1966

Permanent Account Number

DSXPS7110D

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



29102011



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **बलराज मोटवानी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. ³⁴⁵----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनाार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

13

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशांसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री ए. श्रीराम को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वविक्रीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्वविक्रीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पुनः प्रकाशित क्र. 2003/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, मुख्य प्राध्यापक विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनाार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, टोकड़िया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रशासन, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
DGBPS9294G



पिता का नाम
AYYAGARI SRI RAM

पिता का नाम
AYYAGARI JAGAN MOHAN RAO

28082018

वसुली तिथि
Date of Birth
01/03/1974

J

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **जयन्त राय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 288/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E

M
Signature



15022013

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती रेणु नायर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc



 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 1864- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
RENU NAYAR
KHARATI LAL CHOPRA
17/11/1970
Permanent Account Number
AMDPN6486C
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
29122010



Renu Nayar

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 176-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2110/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार
Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971
महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा,
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02
आर.के. नगर बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp),
Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशीष शर्मा** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

O/C



 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2166/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number

DKSPS1864P

Signature



17052011

For College

7/2/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एस.तम्बोली** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं संचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं संचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

भारत
भारत
Ministry of India


पता: स/ओ. पी.एस. तम्बोली, शिव हनुमान मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर(म.प्र.), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001



Address: S/O. P.S. Tamboli-Near Shiv Hanuman Mandir- Tilak Nagar, Bilaspur(m. Corp), Bilaspur, Bilsapur, Chhattisgarh, 495001

4112 5267 1018

1947 help@ucidai.gov.in www.ucidai.gov.in

28-14


मधुसुदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुरुष / Male

4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
MADHUSUDAN TAMBOLI
RAMSARAY TAMBOLI
27/01/1964
Permanent Account Number
ANEP T 2677 D

भारत सरकार
GOVT OF INDIA




SIGNATURE

ANEP T 2677 D

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 86/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. शुभजा पाण्डेय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 180-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SHUBHRAJA PANDEY

GIRISH CHANDRA PANDEY

27/04/1975
Permanent Account Number
AVHPP1686R

Signature



Girish
07/02/2024

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

शही/-
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांक क्र. 441/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्राप्त
Shit
31/9/03

Chandel

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRITI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973

Permanent Account Number

EUEPSS6495H

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार
Government of India

ताम्रकत क्रमा / Enrollment No.: 2017/97619/00581

TO

श्रिती सोमवंशी

Shriti Somvanshi

W/O: Ravi Singh

14 Dr. sangal gali veen kuni

vinoba nagar

Bilaspur

19/07/2014

Bilaspur

Bilaspur Bilaspur

Chhatisgarh 495001

9827110995

154708580

ML54708580FT



कार्यालय प्राचार्य
प्रो. प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक ---16/6/03---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. /श्री/कु./श्रीमती दीपिका मिश्रा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।


- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक ---16/6/03---

प्रकाशन क्र. 208/स्थापना/2003-04
प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, प्रशासन को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
DEEPAK TIWARI
गिरजा शंकर तिवारी
09/05/1965
Permanent Account Number
AVOPT09RS3G
Signature
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
21082014

Prof. Deepak Tiwari
Deptt. of Chemistry
D.P. Veda College

25

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 17/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **निधीष चौबे** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 421--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुचि सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

MC

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 353 /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 518- /स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती रश्मि शर्मा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(Signature)
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 525 /स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(Signature)
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

(Handwritten initials)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



05052011

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाने
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एन डी एल
तीसरी मंजिल, सफाई चेंबरस,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुणे - 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
Please inform / return to:

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 5080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: taxinf@nsdlco.in

रश्मि शर्मा

(27)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **आभा दुबे** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. ~~20~~ /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


(28) (21)




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature

10052011

कार्यालय प्राचार्य
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशुतोष पाण्डेय** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003


- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
26/04/1977
Permanent Account Number
AYKP3462E

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072008

Signature

(29)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 413-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAJNI KUJUR

STANISLAS KUJUR

11/11/1973

Permanent Account Number

BIUPK542JJ

Signature



22062009

Rajni Kujur

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/06/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

प्रतिलिपि: क्र. 46-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस्. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु

16/06/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
01/08/18

सूचना अधिकारी
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
01/08/18

24

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHAKTI PALACE
JACOB
10/11/1965
Banking Account Number
01 12345678
Signature

भारत सरकार
GOVT OF INDIA



(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 542/स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी~~ ^{अक} ~~अक~~ को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं प्रशासन P.G. College
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

543 से 549

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28

↓

25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 118-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



स्थायी खाता संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AGKPC4131C

नाम / Name

DURGASHARAN CHANDRA

पिता का नाम / Father's Name

ISHWARI LAL CHANDRA

जन्म की तारीख / Date of Birth

23/10/1966

*For EPP office
21-10-19
14/10/19*

(2) शिरा

हस्ताक्षर / Signature

Shir



29082017

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 to 447 dt- 20/9/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 447/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd
22.09.03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
 INCOME TAX DEPARTMENT
 TOSHIMA MISHRA
 KRISHNA MURARI SHARMA
 15/08/1974
 Permanent Account Number
BLKPM2849H


भारत सरकार
 GOVT. OF INDIA


 08042011


 Signature



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

VISHWAS VICTOR

VIJAY VICTOR

01/07/1982
Permanent Account Number
AQSPV2824R


Signature




06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवरा

फोन नं. 07762-424497 . Email: dpv@prucollege@gmail.com

क्र. / 03 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित ग्राम समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री **ऋचा हाण्डा** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87/Acod./2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्त महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

6/1/20/20
Rishi

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
RISHA HANDA
HARJEET KUMAR HANDA
27/11/1982
Parliamentary Account Number
ACQPH9714G

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



96122007

Signature: *Rishi Handa*

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / ५४० / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कॉलेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
(बिलासपुर (छ.ग.))

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

पृ.क्र. / ५४१ / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकडिया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नरती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



शुचि मिश्रा

सरिता मिश्रा

INCOME TAX DEPARTMENT

GOVT OF INDIA

SURUCHI MISHRA

TRIBHUVAN NATH SHUKLA

28/02/1980

FORMER ACCOUNT NUMBER

BGBPM2755E



कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त
फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र./ 483 / स्था./ 2017

बिलासपुर दिनांक 22.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री लक्ष्मी प्रसाद कर्ष को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 22.09.2017

पृ.क्र./ 484 / स्था./ 2017


प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
[Signature]

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
01 JUL 2017
01 JUL 2017.



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्रीमति किरण दुबे उम्र 42 वर्ष,
पति श्री दीपक प्रसाद दुबे
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-951056877942


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1.  Pradeep K. Jaiswal


2.  Rishikesh Jaiswal

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



01 JUL 2017

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्वेच्छया से कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2017



26
↓
32




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


KIRAN DUBEY
CHANDRA KUMAR DUBEY
19/07/1975

Account Number
BY 08730J

Signature



CP On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



118417



अ
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)
(Contract for Teaching)
त्र

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी पी गिप महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार


प्रो पूनम शुक्ला उम 29

श्रीपद्मापारा, बिलासपुर

जिला - बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - पूनम शुक्ला को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.04.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli;


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


2  Dr. Abhishek Singh


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

110417

1. प्रथम पक्षकार/द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


SIGNED / THUMB IMPRESSION
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

110417



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नम्रता प्रधान उम्र 27
करबला रोड, कुदू चौक
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नम्रता प्रधान को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.04.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1.  Dr. M.S. Tamboli;


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2.  **SIGNATURE ATTESTED** Dr.  


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

नाम

NOTARY
BILASPUR




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति के
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Two and
& Noted Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not a Stamp

अनुबंध
नोट
बिलासपुर (छ.ग.)



12 04 17

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रूमी सरकार उम्र 32
हेमूनगर, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूमी सरकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.04.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M. S. Tamboli

2  Dr. Abha Shrivastava


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.सी.विद्युत महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....Ranjit.....

110417

SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN TO
BEFORE ME ON THE WITHIN DATED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष पर उपरोक्त पत्र संश्लिष्ट रूप में
पढ़कर/पढ़वाकर स्वेच्छया से पढ़कर और
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अनुमोदन किया।





बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10,
affixed / Not affixed

(अरुणासिंह)
श्रीमती
विलासपुर (छ.ग.)



200817



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हार्डकोर्ट रोड, विलासपुर, तार. य
जिला - विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. पुष्पा पटेल उम्र 23
तमतार बाजारगुडा, रायगढ़
जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन - 496001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - पुष्पा पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 29.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Akshay Tiwari



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्रमहाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


200817




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर, पढ़वाकर अपत्यपूर्वक कथन आण कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupee Stamp affixed
& Notarial Stamp or Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरवि सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रज्ञा भट्ट, उम्र 26
गायत्री मंदिर के पास, विनोबा नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रज्ञा भट्ट को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Govt. of India


गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abha Jiwari




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी.पी.विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
..... 

110817

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ताकर शपथपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।




अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

5 On Rupees Two
& Notarial Stamp of Rupees 10
affixed / Not affixed

अध्यापक
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला — बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. नेहा बोले उम्र 26
रामदास नगर, टिकरापारा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन — 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — नेहा बोले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.10.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abha Tiwari



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस हस्ताक्षर पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर पूर्वक कथन आज कल
और इस हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

NEHA BOLE

RAJ KUMAR BOLE

19/01/1991

Permanent Account Number
BMOPB0769G

RB

Signature




15/09/2012

Self attested
RB
05/1/19


अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

11.1 JUL 2017



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. लव राज विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष,
पिता श्री हेमराज विश्वकर्मा
निवासी- वार्ड नं 02 विंध्या विहार कालोनी मरवाही
(छ.ग.) पिन-495118
आधार नं.- 759632553693



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - लव राज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.07.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1/ (खगाराम-पन्डवंशी)

2/ (Dr. N.S. Talwar)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर/अनुबंध पत्र कथन आज कथा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

11 JUL 2017

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

LAV RAJ VISHWAKARMA

HEMRAJ VISHWAKARMA

14/01/1987
Permanent Account Number

AWQPV4796E

12/1/2015
Signature




100-2015

यदि कार्ड को खोने या चुराने का संभव है तो तुरंत
आयकर विभाग को सूचित करें।
यदि कार्ड खोया है तो
कॉपी नं. 3743 खोल नं. 14/01/87
आयकर विभाग, दीप बाजार, कोलकाता
पिन - 700016
*If this card is lost, someone has stolen it, please
inform the Income Tax Dept.
Address: 100, PAN Section Unit, NSDE
Office: 100, PAN Section Unit,
Plot No. 3743, Survey No. 14/01/87,
Model House, New Bazar, Dumrao Chowk,
Pune - 411005
Tel: 020-26111111, 26111112, 26111113, 26111114
E-mail: unit100@in.irdi.gov.in*

SELF ATTESTED

12/1/2015

affixed
affixed / Not affixed



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अनिल कुमार साहू उम्र 26
अजय किराना स्टोर के पास अमेरी
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनिल कुमार साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1.  Dr. M.S. Tandel


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (उ.प्र.)

2.  Dr. Abhe Tiwari


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


NOTAR

050817




SOLEMNLY ATTESTED
BEFORE ME
ON 05/08/2017
I, _____, District Magistrate, Vilsapur, U.P.
have seen the above named persons and they have acknowledged to me that they have read and understood the contents of the above document and they have signed and affixed their seals thereon.


प्रतिष्ठित सिंह
नोटरी
विलासपुर (उ.प्र.)

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

11 JUL 2017



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 32 वर्ष,
पिता श्री किशुन राम पाटले
निवासी- 53 वार्ड नं 03 मोहनपुर पो फुलवारी
मुंगेली (छ.ग.) पिन-495115
आधार नं.- 460943555123

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.07.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Namshi

2. Dr. P. S. T. T. T.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संव्ययित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

11 JUL 2017

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT OF INDIA

MOTI LAL PATIL
KISHIN RAM PATIL

27/03/1985

Permanent Account Number
COFPP4164M

Signature



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

आयकर सेवा केंद्र (TDS)

Sector 11, CBD, Bangalore

फोन नंबर - 460 614

आयकर सेवा केंद्र (TDS) का निवारण


आयकर सेवा केंद्र (TDS) का निवारण

आयकर सेवा केंद्र (TDS) का निवारण

आयकर सेवा केंद्र (TDS) का निवारण

On Rupees Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

(बिलासपुर)
बिलासपुर



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. ब
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अनामिका दुबे उम्र 25
वार्ड नंबर-55, बैमा रोड देवनंदन नगर फेस-2 सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनामिका दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-
1 Dr. M.S. Tawali


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विश्व महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2 Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

200817

SIGNATURE ATTESTED




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया।

नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

11.1 JUL 2017



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री मोहित राम जायसवाल
निवासी- 102 जेम्स अपार्टमेंट जरहाभाठा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-245191173107



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य


निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.07.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. 
Krun Dabey

2. 
Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLELY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे ताक्या इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर/पढ़नेपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

11 JUL 2017

IF On Request Transfers office
& Notarised by ...
10/10/17




11 10 8 17



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. निशल डेनियल गिर उम्र 31
फ्लैट नं.-331, शनि अपार्टमेंट महाराणा प्रताप चौक
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - निशल डेनियल गिर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1


Dr. M.S. Tamboli

2


Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




110817

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंकित किये।


नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Twelve affixed
a Metal Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

(अज्ञापन विधि)
मुद्रा
बिलासपुर (छ.ग.)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्रद्धा अग्रवाल उम्र 23
हाईकोर्ट रोड के पास, चकरभाठा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रद्धा अग्रवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1

 Dr. M. S. Tamboli

2

 Dr. Abha Tiwari




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....
.....

200817

SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे सामने इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन किया कदा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।



CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed
अरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. मुनव्वरी उम्र 31
मकान नं.-337 वार्ड नं. 10 पी.एन.एस. कॉलेज राजेन्द्र नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मुनव्वरी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1



Dr. M.S. Tamboli

SIGNATURE ATTESTED

2



Dr. Abhis. Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....डी.पी.विमल-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....
.....

200817

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर क्षयपूर्वक कानन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा/किता।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
(उ.ग.)



280817



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. पूजा साहू उम्र 23
मकान नं.-153 बिरा, जैजैपुर, जांजगीर चांपा
जिला- चांपा (छ.ग.) पिन - 495671

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - पूजा साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M.S. Tamboli

2 Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.सी.विप्र.महविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

280817



NOTARIAL AFFIRMATION
I hereby declare/affirm that the above is the true and correct copy of the original document as shown to me by the person named herein within my jurisdiction.
NOTARIAL AFFIRMATION
I hereby declare/affirm that the above is the true and correct copy of the original document as shown to me by the person named herein within my jurisdiction.

अनंद सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
शिव
विलासपुर (छ.ग.)



27 08 17



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मेघा उपाध्याय उम्र 26
ग्राम-हॉफा, विलासपुर
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मेघा उपाध्याय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिकशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 27.08.2017 को दो गवाहों के सामक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किराई डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनाद रहे व चवत जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.C. Tamboli


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (उ.प्र.)

2  Dr. Ashok Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




270817



NOISSERAN...
THESE ON CHECKED...
BY...

अरुण सिंह
नोदरी
विलासपुर (उ.प्र.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सृष्टि वर्मा, उम्र 27
आंसगा सिटी के पारा, राकशी रोड
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सृष्टि वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार रीगित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 31.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M. S. Tamboli

2 Dr. Abhishek Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

NO
अरु
दिलाम
Govt.


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PARTY NAMED
SIGNATURE AND ADDRESS
पक्षकारों द्वारा स्वयंसेवक के रूप में
अपना-अपना हस्ताक्षर कर कार्य कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/संकेत किया।

310817


अरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Notarial

अरवि सिंह
विलासपुर (छ.ग.)



1300017



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. रश्मि शर्मा उम्र 30
एम.आई.जी. 69 के पीछे नेहरू नगर
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रश्मि शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 30.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abha Jiwari

300817



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र-गणविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....Rashmi.....




SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़करके संपूर्णक मथन आण कडा
आर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूव किया।


अरुण सिंह
गटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

20 AUG 2017



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. बोलगा व्यास उम्र 29 वर्ष,
पिता श्री प्रमोद कुमार व्यास
निवासी- व्यापार विहार रोड संजय अपार्टमेंट बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 610661978941



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बोलगा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोवायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandravanshi

2.

A.M.S. Tabin

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप.महाविद्यालय..
विलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्म इस वक्त पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर इस अनुबंध कथन आज कथन
और इस बस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह

नोटरी


विलासपुर (उ.प्र.)

20 AUG 2017

On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



020917



अश्वि सिंह
नोटरी

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार -


प्रो. हिंमाशु त्रिवेदी उम्र 24

वार्ड नं.-01, दफाई-01 कोरिया

जिला- कोरिया (छ.ग.) पिन - 497559

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - हिंमाशु त्रिवेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M.S. Tamboli

2 Dr. Abha. Shukhi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.किस. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
..... Himan Shu

SIGNATURE ATTESTED

020917




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दोरे समक्ष से, हस्ताक्षर पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/थंगूला किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोबो
बिलासपुर



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय 2008 17
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
द्वितीय पक्षकार - प्रो. आकांक्षा शर्मा उम्र 23
मकान नं.-09, वार्ड नं.-54 जोरापारा रोड, सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आंकाक्षा शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक्नोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1

An M.S. Tambeli

2

Dr. Abha Tiwari

200817


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.मिप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


नेरे समक्ष हल दस्तावेज पर संश्लिषल व्यदित ने
पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन कलत कलत
और हल दस्तावेज पर हलतक्षर/हलतक्षर कियत ।



अनंया सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नरेश्वरी
बिलासपुर (छ.ग.)



2008 17



(Contract for Teaching)


- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. आकांक्षा तिवारी उम्र 23
जी.वी. 17, गीतांजली विहार, नेहरू नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आंकाक्षा तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोकेमेस्ट्री विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष रथान- विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सानद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह :-



Dr. M.S. Tamboli

2



Dr. Abhishek Tiwari

[Handwritten Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य

..... डी.पी.सिंह महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Handwritten Signature]

200817

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संवेक्षित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर आपसपूर्वक कथन श्राव्य काल
में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जम्बू प्रिंट किया है।

अरुण सिंह

नो/री

विलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

(अंशुल गौरहा)
बिलासपुर (छ.ग.)



अर

(Contract for Teaching)

010817



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंशुल गौरहा उम्र 30
मिश्रा गली, नया सरकण्डा सीपत रोड
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंशुल गौरहा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamheli

2  Dr. Abha Yiwani


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



010817



SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर/अपसंपूर्णक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/संकेत किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Ten Rupees only
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोतरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. सुमित कुमार सोनी उम्र 35
राजाराम मंदिर के सामने गोड़पारा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सुमित कुमार सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उरी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Govt. of India

गवाह :-

1 Dr. M.S. Tamboli

2 Dr. Abhinav Jiwani

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
डी.पी.विप्र-महा
विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....

200817

SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दोरे समक्ष दो गवाहों पर संबंधित व्यक्ति
पढ़कर / पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज
आम इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जुद्ध करेगा।

अरुण सिंह
नोदरी
विलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)



1280317

पत्र


(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. निशा बंजारे उम्र 25
ग्राम-केरवा, टेंगनमाडा, विलासपुर
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - निशा बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1


 Dr. M.S. Tamboli

SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

2

 Dr. Abha Singh


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




280817

समक्ष पढ़ाया/पढ़ाया गया है
पक्षकार/पक्षकारों के समक्ष
पढ़ाया गया है
SIGNED IN THE PRESENCE OF
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN


NOTARY
GOVT. OF INDIA




अब्हा सिंह
नोदरी
विलासपुर (छ.ग.)

On Rupees Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

200817



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. आंचल श्रीवास्तव, उम्र 39
नेहरू नगर, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आंचल श्रीवास्तव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


Govt. of India

गवाह :-

1  Dr. M.C. Tamboli


2  Dr. Abha Tiwari

200817


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य


.....डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


.....

SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THEIR IMPRESSION
मेरे समक्ष इस शरतावज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर/मुद्रांक देकर आज कहा
आर इस शरतावज पर हस्ताक्षर/मुद्रांक किया।




अरुण सिंह
चौधरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. शैली ओझा उम्र 31
217-सतबहनिया मंदिर, देवरीखुर्द
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - शैली ओझा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उररी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व सगडाकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सानद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M. S. Tamboli


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)


2  Dr. Abha Jivani

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


280817

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष पर दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/अपसमर्थक कथन आवाज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Twelve affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटेरी
विलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. एकता मिश्रा उम्र 27
एल.आई.जी. 79, दिनदयाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
भरनी, जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - एकता मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राध्यापक के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 25.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M. S. Tamboli

2 Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी.पी.विप्र-महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....

25 08 17

SIGNATURE ATTESTED


SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

नेरे समक्ष हस्तक्षेप पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



On Rupees Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed
असुम (रु. 10/-)
विलासपुर (छ.ग.)



1010917



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य, जी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. ग
जिला — विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. ऋतु पाण्डेय उम्र 22
सरस्वती शिशु मंदिर के सामने बड़ी कोणी
जिला— विलासपुर (छ.ग.) पिन — 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के सहित निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — ऋतु पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


010917

010917
SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
ने उक्त पत्र हस्ताक्षर पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वा कर स्वयंपूर्वक रूप से पढ़ा कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटेरी
विलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED


अध्या

(Contract for Teaching)

2008 17



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, सड. ब
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. आशा राय उम्र 47
एफ-58, विजयापुरम सीपत रोड, सरकम्डा
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आशा राय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M. S. Tamboli

2  Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


200817


SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे समय हए अंगुठियां कर साबित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपना/अपना हस्ताक्षर
और इस हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर/अंगुठियां कर



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



2008

अरुण सिंह
नोबरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्वेता श्रीवास, उम्र 31
शिव मंदिर, विद्या नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्वेता श्रीवास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1



Dr. M.S. Tamboli

SIGNATURE ATTESTED

2



Dr. Akhya Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



200817

NOTARY

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मैंने उपरोक्त पत्र को पढ़कर और समझकर
उसके अर्थ और प्रभाव को समझकर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/मुद्रण किया।

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees. 10/-
affixed / Not affixed

अखिल सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)



280817



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

280817

द्वितीय पक्षकार - प्रो. पूजा भगवानी उम्र 25
गांधी नगर, नेहरू नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - पूजा भगवानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उरी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.06.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आये।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tambdi

2  Dr. Abha Jiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचीय
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. Abha Jiwari

28 06 17

SIGNATURE ATTESTED

SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संकेतित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/पहचान किया।





नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)
04 SEP 2017

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजू हलवाई उम्र 22 वर्ष,
पिता श्री कोमल चंद्र हलवाई
निवासी- सुभाष नगर कॉजी हाउस के पास गोंडपारा
विलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 375845790513



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजू हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandrashekhar

2. (Mrs. Talabhi)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर स्वेच्छया से पढ़कर आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

04 SEP 2017

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

ANJU HALWAI

KRISHNA HALWAI

08/08/1995

Permanent Account Number


AORPH1416C

Anju Halwai

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



CF On Rupees Two/Five affixed /
Not affixed / Not affixed



270817




अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching) पत्र

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. काजल ठाकुर उम्र 27
ए-3, सी.एम.पी.डी.आई. कॉलोनी सीपत रोड
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - काजल ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 27.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M. S. Tamboli

2  Dr. Abhishek Singh


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


27 08 17

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PARTY NAMED
SIGNED IN MY PRESENCE
मेरे इत्ते इस पक्षावय का संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर समझकर कथन आज कल
जीर इस पक्षावय पर हस्ताक्षर/संगूठा किया।
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Metallic Stamp of Rupees 104
अरुण सिंह
नेटरी
विलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नीता तिवारी उम्र 41
भारतीय नगर, विलासपुर
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नीता तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 25.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

..... डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (उ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


.....


250817
SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कसम खाया तथा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंकन किया।


अरुण सिंह
पोस्टरी
बिलासपुर (उ.ग.)

CF On Rupee or Ten Rupee affixed
& Non-Ex. Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अलीम सिंह
मोदी
बिलासपुर (छ.ग.)



300017



(Contract for Teaching)


- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. निष्ठा वर्मा उम्र 25
मकान नं.-बी1, नेहरू नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - निष्ठा वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 30.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-
1  Dr. M.S. Tamboli


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2  Dr. Abba Tiwari


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




300817

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PARTY NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष में उक्त पक्षकार/पक्षकार के द्वारा स्विकृत किया गया
पक्षकार/पक्षकार के द्वारा स्विकृत किया गया
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/छाप किया।


अनुराग सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Notarial Stamp

अरुण सिंह
नोकी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. जेनिफर लुईस उम्र 24
वैष्णवी अपार्टमेंट, मन्नु चौक टिकरापारा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - जेनिफर लुईस को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7 यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से प्रसतुप्त होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असतुष्ट है तो उसे भी अग्रगण्य कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आदि दिनांक 22.10.2017 को दो गवाहों के सामक्ष स्थान विलासपुर में बिना किसी ढर भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आये।


NOTARY

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Ashok Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.सिंह महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


221017

SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THEIR IMPRESSION

मेरे समक्ष  के द्वारा पर हस्ताक्षरित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर अपनी/अपनी कथन जान कला
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूता किया।

अशोक-सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 SEP 2017



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.-रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 31 वर्ष,
पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा
निवासी-मकान नं 333नहरपारा भदौरा वार्ड नं 18 बहादुर
बिलासपुर जौरामनगर (छ.ग.) पिन-495550
आधार नं.- 454083213051

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. Manshi Puri

2. S.R. Chandramamshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Shyama



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तवेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कक्ष
जीर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

01 SEP 2017

भारत सरकार
COME PA DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



व्यक्तिगत खाता नंबर
Permanent Account Number Card
JIMPS14200



नाम
RUPENDRA KUMAR SHARMA

पिता का नाम
FATHER'S NAME


रुपेंद्र कुमार शर्मा
RUPENDRA KUMAR SHARMA

व्यक्तिगत खाता नंबर
Permanent Account Number Card

07/10/1986



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



अरुण सिंह
नोटरी
प्रथम पक्षकार बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. जुमाना राजस उम्र 24

तोरवा, बिलासपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - जुमाना राजस को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

..... डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



.....

120917

SOLENNLY AFFIRMED OR SORRY
DEPOSED BY THE WITNES NAMED
SIGNED IN THE PRESENCE OF
मेरे सामने प्रमाणित किया गया कि
पक्षकार/पक्षकारों द्वारा सही ढंग से
और इस पता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. केना दुबे उम्र 23
वार्ड नं. 28, हनुमान मंदिर के पास, कतियापरा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - केना दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इलेक्ट्रानिक्स विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह :-

1 Dr. M.S. Tamboli

2 Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


211017



SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दोरे समक्ष इस दस्तावेज पर संवधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर संवधपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five etc.
& Notarial Stamps of Rupees 10.
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गुरविन्दर कौर, उम्र 26
पंजाबी कॉलोनी, दयालबंद
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गुरविन्दर कौर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.10.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1

 Dr. M.S. Tambali

2

 Dr. Abhe Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
huxi


22/10/17

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

ने समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन किया है
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जुड़वा किया है।



नोटरी
बिलासपुर



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 SEP 2017

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रीना ताम्रकार उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री धनेश ताम्रकार
निवासी- काली दुर्गा मंदिर के पास, जवाली पुल के पास
बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 233684831884

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिभिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- m

1

2. Dr. M.S. Kishore

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Kishore
प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Kishore



SOLEMNL AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे सम्मुख इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर वास्तवपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 SEP 2017

CF On Rupees TwoFive affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)



28 12 17

(Contract for Teaching)


प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजली वैष्णव उम्र 26
वार्ड नंबर 46 कपिल नगर सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजली वैष्णव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिकशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.12.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1



Dr. M.S. Tamkoll


2



Dr. Abha Tildhari

SIGNATURE ATTESTED

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विश्व-भारविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




28 12 17

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED


06 DEC 2017

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विघ्न महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. भागवत कौशिक उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री जसकरन कौशिक
निवासी- चौधरी गली इमलीमाटा बंधवापारा सरकण्डा
विलासपुर(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-610614227788



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.12.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किररी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Varma & Co

2. (Dr. P. S. ...)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Bhawal



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस वक्त पर संशयित व्यक्ति ने
पक्षकार/पढ़वाकर ध्यानपूर्वक कथन आज कथा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

06 DEC 2017



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2018-19

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001

OFFICE OF THE PRINCIPAL, D.P.VIPRA COLLEGE, BHILASPUR (M.P.)

Statement of fixation of Pay in the revised U.C.C. scales vide Govt. of Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Bhopal Bhopal No. 3305/30-1/88 dated 3/8 Nov. 1988.

1. Name of the Officer. : Smt. Sunanda Nigam
2. Designation : Asstt. Professor in Economics
3. Date of ~~birth~~ entry in Govt. Service or Date of Selection of PSC. (Whichever is Latter) : 1.1.1979
4. (a) Permanent/Offering : Permanent.
(b) Scale of pay in the Existing UGC SCALES. : Rs. 700-1600
5. (a) Date from which new scale is opted. : 1.1.87
(b) New Scale of Pay : 3000-5000
6. (a) Pay in the old scale as on date mentioned in column 4 (b) : 1020-00
(b) DA/ADA/AADA on 1st Jan. 85 : 1450 ₹25% (243+1207)
(c) Existing Emoluments (a+b) : 2470-00
(d) Add 20% of Basic Pay : 204-00
(e) Total (c+d) : 2674-00
(f) Total pay fixed in new Scale on stage on 1.1.86 or option date on the scales. 2200-4000/-
3000-5000/-
3700-
7. Bunching and stepping up under Rule 25 Read with note therein. :
8. Any other item including Ph.D: M.Phil with date Ph.D date
9. Pay fixed in the New Scale on: 3000-00 1.1.87 or on the date of option.
10. Date of next increment. 1.1.88 Rs 3100-00

Revised pay to Rs.

Principals
D.P.Vipra College,
Bhilaspur (M.P.)

FOR USE IN THE OFFICE OF THE ASSISTANT DIRECTOR

Pay fixed at Rs. 3000-00 from 1.1.87
with the next date of increment on 1.1.88 Scale 3000-5000

Checked by

Assistant Director
Bhopal

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY
SNATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

- O R D E R -

No. 767/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K.B. Singh, a candidate for appointment,
is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in
this college until further orders in the scale of pay
of Rs. 620-1500 with usual A.D.A. and other allowances, with
effect from the 13th November 1980, subject to the following
conditions: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha Amdan Ayog, Bhopal & Ravishankar University, Raipur,
- (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

and,

- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

of
Principal & Secretary.

Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

No. 767-A/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara,
district Bilaspur, for information and necessary action.


of
Principal & Secretary.

Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

Handwritten note:
K.B. Singh
11.11.80

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
KAVI BHUSAN SINGH
BHAGIRATHI SINGH
09/07/1957
Permanent Account Number
AEPSS2613J
Signature
10/22/16

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



7017 0040 8888
मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
Income Tax Dept
पता: 100, 100-1000000
ए.ए.ए.ए.ए.



इस कार्ड के खोले/पाई प्रमाण/वेतन/लेटर
आयकर विभाग को भेजें। अन्यथा इसे
गोपनीय मानें।
बुकिंग टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुणे - 411 045


If this card is lost / some one's lost card is found,
please inform / return to
Income Tax, PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapfire Chambers,
Near Banner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8150 Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: nmifv@gmail.com

7017 0040 8888

आयकर विभाग
Income Tax Dept
पता: 100, 100-1000000
ए.ए.ए.ए.ए.

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



1-5

ORDER

No. 233/Estt/83, dated Bilaspur, the 13th August 1983

Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment is appointed on the basis of the recommendation of the Selection Committee, as a Lecturer in Geography in an officiating capacity, in this college with further orders in the sanctioned scale of pay of Rs. 700-1600 with usual dearness allowances, with effect from the 18th August 1983 subject to the following conditions

- (1) That the appointment is subject to the approval of the M. F. Uchha Shiksha Andan Ayog, Bhopal, and the Guru Ghasidas University, Raipur B. S. 4 and
- (2) That he abide by the service conditions applicable to the employees of the D. P. Vipra College, Bilaspur.

Self
(R. N. Shukla.)
Principal & Secretary,
D. P. Vipra College,
Bilaspur.

No. 233/Estt/83., dated Bilaspur, the 12th August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel, Bilaspur, for information and necessary action. He will please his duties as a Lecturer immediately, and subject to his agreement to the above terms and conditions. Joining report may also please be submitted in triplicate.
Copy to Shri C. S. Patel, Lecturer, D. P. Vipra College, Bilaspur, for information.

R. N. Shukla
(R. N. Shukla.)
Principal & Secretary.

[Signature]

स्थायी खाता संख्या

/PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AGRPP8200C



नाम /NAME

VIMAL KUMAR PATEL

पिता का नाम /FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर /SIGNATURE

Vipatel

जयका अशुभ, जयपुर

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JASALPUR

कार्यालय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विश्व महाविद्यालय, बिलासपुर, २०५०.

आदेश क्रमांक 381 /स्था/८४. बिलासपुर, दिनांक 23.11.1981

निम्न लिखित अभ्यर्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर धेज्जमान 700-40-1100-5-1300 असेसमेंट-30-1600 पर रुपये पर देय मंडगार्ड भत्ता एवं अन्य भत्ता सपिप्त, पदभार ^{उपभोग} करने की तिथि से नियुक्ति नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक अभ्यर्थी का नाम पद नाम विषय

1. कृ. साधना बोस व्याख्याता समाजशास्त्र

2. श्रीमती मधु दोराईराज ---"--- अध्यापिका

3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी।

1. २०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्वासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होगी।

2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होगी।

एवं

उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उपरत अभ्यर्थी शासित रहेंगे।

सही

प्राचार्य एवं सचिव,

प्रशासन समिति,

२०५० विश्व महाविद्यालय बिलासपुर

(सं. २०५०)

प. क्रमांक 381-D /स्था/८४.

दिनांक _____

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् सचिव, २०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।

2. श्रीमान् कुलसचिव, गुस्वासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।

3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचनाओं।

4. कुमारी साधना बोस, द्वारा श्री बी.के. बोस, वरिष्ठ नं. 536/4, आर.टी.एस. कालोनी, बिलासपुर।

5. श्रीमती मधु दोराईराज, द्वारा श्री एस.बी. दोराईराज, डिप्टी वोक इंजीनियर (सी) बंगला नं. 1048, रेडवे कालोनी, बिलासपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(R. V. S. 1981)

प्राचार्य, एवं सचिव,

प्रशासन समिति,

२०५० विश्व महाविद्यालय, बिलासपुर

(G) (3)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME

BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962

Permanent Account Number

AVRPS0169E

S. S. Das

Signature



*In case this card is lost / found, kindly inform / return to :-
Income Tax PAN Services Unit, UTIISL
Flat No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.*

*यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/लौटायें :-
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTIISL
फ्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, CBD बेलपुर,
नवी मुंबई-400 614.*

काथलिय, प्राचार्य, तथा सचिव उ०बी० वि० महाविद्यालय, किलासपुर

:: आ-दे-रा ::

क्रमांक 286/स्था०/80 किलासपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 87

इस महाविद्यालय की चयन समिति द्वारा चयन किये गये पदाभिज्ञा श्री रामाधार प्रसाद बाण्डेय, जिनकी नियुक्ति स्थगित प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 11.11.87 में अनुमोदित की गई, इस महाविद्यालय में "उपप्राचार्य" विषय के व्याख्याता पद पर वर्तमान वेतन स्तर 700-40-1100-50-1300-Assestment-50-1600 के अंतर्गत प्राथमिक वेतन तथा संस्था द्वारा किये जा रहे ग्रंथाई भत्ता के साथ 08 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारियों द्वारा कितना कोई कारण बताये। महीने की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री बाण्डेय बांधे स्वयं के अन्यायिक मुद्दों पर निर्धारित मुपत्र पर अनुरोध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो समिति के सहित की शर्तों को बाधित करता हो।
3. श्री बाण्डेय महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से रहित होंगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों की अवकाश सेवा की शर्तों, घाल-बलन एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता हो। यह नियुक्ति आदेश म०प० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

सही

सचिव एवं सचिव

प्रशासन समिति

प्राचार्य, उ०बी० वि० महाविद्यालय, किलासपुर

(म०प०)

क्रमांक 287/स्था०/87 किलासपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 87

श्री रामाधार प्रसाद बाण्डेय, पिता श्री कालिका प्रसाद बाण्डेय द्वारा एस०बी०शामा-34 ए विद्यालयनगर किलासपुर म०प० को सूचना दी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजिस्त कृपया जाप करने पद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

R.V. Shukla

सचिव एवं सचिव

प्रशासन समिति

प्राचार्य, उ०बी० वि० महाविद्यालय, किलासपुर

(म०प०)

Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

जाकास्य
उ०बी० वि० महाविद्यालय
किलासपुर (उत्तरांचल)

जाकास्य
उ०बी० वि० महाविद्यालय
किलासपुर (उत्तरांचल)

आदेश

प्रमाणिका - /स्था/90

बिलासपुर, दिनांक - 14 - 11/90

इस महाविद्यालय को पयन संगीत द्वारा पयन विद्ये गर पदाभिस्ताणे
श्री. अशु तिवारी , जिनको नियुक्ति प्रशासन समिति को बैठक दिनांक- 12-11-90
में अनुमोदित की गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. एच. के. वर्मा के निम्न से
परिवर्तित हुये निम्नोक्त पद पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त महा. प्राध्यापक के
पद पर, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्याशा में 13-11-90
में यु. पी. सी. वेतन मान 2200-75-2000-100-4000 के अंतर्गत प्रारंभिक वेतन तथा
विवरण द्वारा विद्ये जा रहे मर्यादा भरता के साथ एक वर्ष के लिये परीक्षा पर
नियुक्ति किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति दिवस को पक्ष द्वारा नियुक्ति विद्ये गये व्यक्ति या नियुक्ति अधिकारी
द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त की जा
सकती है।
2. यह नियुक्ति तभी मान्य होगी, जब श्री. अशु तिवारी पांच स्वयं के अन्यायिक
सुझाव पर विद्योदित प्रमथ पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो
संगीत के सीहता की शर्तों को बंधित करता है।
3. श्री. अशु तिवारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित
होंगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों को खराब सेवा की शर्तों, बाल चलन
एवं अनुशासन से संबंध में प्रभाव डालता है।

श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार

प्रभारी प्राचार्य,
श्री. पी. डी. म. महाविद्यालय,
वाराणसी पंचायत विद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90

पृष्ठानुसंधन प्रमाणिका - 605 - /स्था/90

प्रौढीलीप :-

1. श्रीमान् संधिव म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन
है कि नियुक्ति का अनुमोदन के निम्नाने का बडट करे।
2. कुशापव - गुरु घासीदास विद्यालय बिलासपुर को सुपनार्थ।
3. श्री. अशु तिवारी - श्री. हलधर प्रसाद तिवारी ग्राम पास्ट प्रभारा तहसील
जजिमौर जिला बिलासपुर को सुपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोक्ष।
सुपना अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करे।

प्रभारी प्राचार्य,
श्री. पी. डी. म. महाविद्यालय,
वाराणसी पंचायत विद्यालय,
बिलासपुर (11/90)

7

स्थायी लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AEPPS2610M





नाम / NAME
ANJU SHUKLA

पिता का नाम / FATHER'S NAME
HAALAD PRASAD SHUKLA

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH
30-06-1961

हस्ताक्षर / SIGNATURE

आयकर आयुक्त, जबलपुर
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR



(7502 + 0000)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पु.१।

आदेश क्रमांक -10-स्था. 97

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री सजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद ~~द्वारा~~ पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते हैं :-

§1§ उनकी जन्म तिथि ~~10/10/1965~~ ^{10/10/1965} है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन ~~पुष्प~~ महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.पु.शासन, उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

§2§ उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

§3§ श्री सजय कुमार तिवारी पद भार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रकृति के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

द्वारा

प.क. 21/4/97 स्था. 97

प्राचार्य

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय

बिलासपुर म.पु. 21/4/97

बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

§1§ श्री सजय कुमार तिवारी, बी-1/245 मेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पद भार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10/13

// 2 //

21.4.97

॥2॥

कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबद्धता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥3॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री सज्ज्य कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन के साथ वेतन पच्ची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥4॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, पृशासन समिति द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

सही

प्राचार्य एवं सचिव

पृशासन समिति,

द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय,
बिलासपुर। म.पं. 1.

ने गजराया
//ना मदेव//
21.4.97

--:: 0 ::--

आयकर विभाग
INCOMETAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SANJAY KUMAR TIWARI
MAHESH PRASAD TIWARI
10/01/1965
Permanent Account Number
ADCPT7057P



[Handwritten Signature]
Signature

क्रमांक -----/स्थापना/97

दिनांक : 01.09.97

आदेश
=====

डा. कृष्ण कुमार शर्मा वल्द श्री एम.पी. शर्मा, एम.ए., एम.फिल, पी.एच.डी. अर्थशास्त्र सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38 दिनांक 11.8. एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में निम्नलिखित अनुबंधों में नियुक्त किया जाते हैं।

टीप :
=====

- § 1 § उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97 के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म.पु. शासन उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा मान्य किया है।
- § 2 § उनकी सेवाएं यदि परिवीक्षा अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हे कार्यालय कार्यालय से बिना कोई पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकती है तथा संतोष जनक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई करण की पात्रता होगी।
- § 3 § डा. के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेंगी।

3d/-
प्राचार्य,
द्वारिका प्रसाद विष्णु महावि.
बिलासपुर। म.पु.।
दिनांक 01.09.97
शेव //2// पर


पृष्ठांकन क्रमांक -----/स्था./97

दिनांक : 1.9.97

प्रतिलिपि :-
=====

- ॥1॥ डा.के.के. शर्मा लक्ष्मण सहायक प्राध्यापक डी.पी.विपु महाविद्यालय की आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश के तहत आप अपना कार्यभार शीघ्र ग्रहण कर पदभार करने का पुत्रित्वेदन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पत्रों के लिए भिजवाया जा सके। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्र उपरिस्थ मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिरक्षण/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
- ॥2॥ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि.वि. बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/अकादमी/चयन समिति/97 दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।
- ॥3॥ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8.8.97 के संदर्भ में डा.के.के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का पुत्रित्वेदन आपकी उचित समय पर वेतनपत्रों हेतु भिजवाया जायेगा।
- ॥4॥ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डारिका पुसाद विपु महावि. बिलासपुर.

संलग्न : कुछ नहीं।


डा.के.के. शर्मा
डारिका पुसाद विपु महावि.
बिलासपुर (क्र. 10)

//नामदेव//

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रूपनारायण यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


RUP NARAYAN YADAV

RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K


Signature



11042006

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


RUP NARAYAN YADAV


RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K


Signature



11042006

(8)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एल. जायसवाल** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 30 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



भारतीय जनसंघ प्रमाण प्रमाणिकरण
Bharatiya Jan Sangh Praman Pramanikaran OF INDIA

पता:

आत्मज: सी पी जायसवाल,
निसाला नगर, पुराना बस
स्टैंड के पास, राजयोग केंद्र
की गली, बिलासपुर,
बिलासपुर (नि.नि.),
बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ - 495001


Address:

S/O: C P Jaiswal, nirela nagar,
purana bus stand ke pass,
rajyog kendra ki gali, Bilaspur,
Bilaspur (M. Corp), Bilaspur,
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

MEERA AADHAAR MERI PEHACHAN

स्थायी खाता संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER
ADDPJ6603Q



नाम / NAME
MURARI LAL JAISWAL

पिता का नाम / FATHER'S NAME
CHANDI PRASAD JAISWAL

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH
07-09-1904

SIGNATURE
M. L. Jaiswal

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR

28 - 2

(9)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक: 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. विवेक अंबलकर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 110- /स्थापना/2003-04

दिनांक: 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

27
200

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

VIVEK AMBALKAR
MORSHWAR AMBALKAR

17/09/1965
Permanent Account Number
AUPA3608G


Signature


AIF



1-11-2010

इस कार्ड को खोने / गाने का कृपया सूचित करें / नोट करें।
अधिकार / न संवाइकर्स / न एन एन सी एल
रीसर्चिफिकेशन / न कायम / न बरस
बाराक डिपॉजिट एन एन सी एल के नजदीक
बानर, पुणे - 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:
Income Tax, PAN Services Unit, NSDL
5th Floor, Sapphire Chambers,
Near: Banner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: inmf@nsdl.co.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.-----/स्थापना//2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशांसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 406-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SUSHMA SHARMA
SHYAMLAL CHATURVEDI
04/05/1969
Permanent Account Number
CSHPS9579L

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



Signature

S Sharma
08/06/2019

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ac

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 381-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D

Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Handwritten signature and text: *श्री - नमो श्री गुरुभ्यो*

Notary stamp: **Admitted True-Copy**
SUNENDRA SHARMA
NOTARY
Jajpur Dist. - Bilaspur
9 MAY 2016

Handwritten text: *बिलासपुर विभागाध्यक्ष*
557

12

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **खगेन्द्र कुमार सोनी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 291/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, **वाणिज्य** को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
KHAGENDRA KUMAR SONI

NANKI RAM SONI

14/04/1966


Permanent Account Number

DSXPS7110D

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



29102011



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री बलराज मोटवानी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 36-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(Handwritten signature)
16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाने

आयकर भूत सेवा इकाई, एनएसडीएल

तीसरी मंजिल, सफायर टॉवर

बाँनेर टेलिफोन एक्चेंज के नजदीक,

बाँनेर, पुणे - 411045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:

Income Tax PAN Services Unit, NSDL

3rd Floor, Sapphire Chambers,

Near Baner Telephone Exchange,

Baner, Pune - 411045

Tel: 91-20-2721 8090 Fax: 91-20-2721 8081

e-mail: trinfo@nsdl.co.in

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

Sunita Yadav
Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



14062011

Sunita Yadav
06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **ए. श्रीराम** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वविक्रीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर लेने वाला व्यय स्वविक्रीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक/स्व मंचित
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रशंसन क्र. 232/स्थापना/2003-04

परिचालन

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल मंचित, मुख्य प्राध्यापक विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनाार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)


प्राचार्य एवं मंचित
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखांकन कार्ड
Permanent Account Number Card
DGBPS9294G



TIN / Name
AAYAGARI SHI RAM

धारा का नाम / Holder's Name
AAYAGARI JAGAN MOHAN RAO

28082018

मूल्य का तिथि
Date of Birth
01/03/1974

Handwritten signature

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **जयन्त राय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठंकन क्र. 282/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्रचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E



15022013

M
Signature

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती **रेणु नायर** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc



 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 184- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




RENU NAYAR
KHARATI LAL CHOPRA

17/11/1970

Permanent Account Number
AMDPN6486C

Signature

29/12/2010



Renu Nayar

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रशासन सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 176- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 240/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार

Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971
महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा,
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02
आर.के. नगर बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
NAGAR Bilaspur, Bilaspur(m. Corp),
Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशीष शर्मा** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c



 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 छत्तीसगढ़
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 216/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 छत्तीसगढ़
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number


DKSPS1864P


Signature



17052011

For College


2/2/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एस. तम्बोली** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :



- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14


मधुसूदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुरुष / Male

4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
MADHUSUDAN TAMBOLI
RAMSARAY TAMBOLI
27/01/1964
Permanent Account Number
ANEFT 2677D

भारत सरकार
GOVT OF INDIA




Signature

ANEFT 2677D

आधिकारण
भारत
India
Address: S/O: P.S. Tamboli, Near Shiv Hanuman Mandir के पास, तिलक नगर, बिलासपुर (म.प्र.), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: S/O: P.S. Tamboli, Near Shiv Hanuman Mandir, Tilak Nagar, Bilaspur(m. Corp), Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

4112 5267 1018

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 26/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :


- (1) कुल सचिव, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-15

१. This card is valid only for the purpose for which it is issued.
 २. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ३. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ४. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ५. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ६. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ७. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ८. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 ९. It is not to be used as a receipt for any transaction.
 १०. It is not to be used as a receipt for any transaction.

सुप्रीम सिटी **श्री श्री** **भारत सरकार**
INCOME TAX DEPARTMENT **GOVT. OF INDIA**
SNEHLATA MISHRA **श्री**
JAGDISH PRASAD DAWEDI
 14/01/1976
 Permanent Account Number
AXOPM4879L

 Signature



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **शुभ्रजा पाण्डेय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **माइक्रोबायोलॉजी** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

etc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 150-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

SHUBHRAJA PANDEY

GIRISH CHANDRA PANDEY

27/04/1975
Permanent Account Number
AVHPP1686R

Signature



Girish
04/02/2024

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ⁴³⁷-----/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

शर्मा
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. ⁴⁴¹-----/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

शर्मा
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्राप्त
Shit
31/9/03

Handwritten signature

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRITI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973
Permanent Account Number
EUEPS6495H

Handwritten signature
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार
Government of India

समांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/97619/00681

To
श्रीत सोमवंशी
Shriti Somvanshi
W/O: Ravi Singh
14 Dr. sangal gali veen kuni
vinoba nager
Bilaspur
Bilaspur
19/07/2014
Bilaspur Bilaspur
Chhattisgarh 495001
9827110995
154708580



ML54708580FT



कार्यालय प्राचार्य
डॉ. प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दीपिका मिश्रा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।




(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रकाशन क्र. 208/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकीड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
DEEPAK TIWARI
GIRJA SHANKAR TIWARI
09/05/1965
Permanent Account Number
AVOPT0959G
Signature
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
21052014

Prof. Deepak Tiwari
Deptt. of Chemistry
D.P. Veda College

25

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **निधीष चौबे** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 421-1-स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 518- /स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~इतिहास~~ ~~28~~ ~~श्री~~ को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

[Signature]
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

525
पृष्ठांकन क्र. 518- /स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

[Signature]
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति V.P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

[Signature]

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



05052011

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं।

आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
तीसरी मंजिल, साफायर चेंबरस
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक
बानेर पुना - 411045

If this card is lost / some one's lost card is found,
Please inform / return to

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411045

Tel: 91-20-2721 8080 Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: unitinfo@nsdl.co.in

रश्मि शर्मा

28-20

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

DKEPS6821J

श्री. आर. पी.
RASHMI SHARMA

पति के नाम/ Father's Name
GAJANAN SHARMA

श्री. श्री. आर. पी.
Date of Birth
21/06/1985

श्री. श्री. आर. पी.
Account/Separation



(27)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **आभा दुबे** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक | 16/06/2003

पृष्ठांकन क्र. ~~20~~ /स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/w
16/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature

10052011

28

कार्यालय प्राचार्य
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशुतोष पाण्डेय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
28/04/1977
Permanent Account Number
AXMP3462E

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072008

Signature

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुचि सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 353/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नरती हेतु।


16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(29)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 413- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAJNI KUJUR

STANISLAS KUJUR

11/11/1973

Permanent Account Number

BIUPK5421J

Signature

भारत
सरकार



22082909

Rajni Kujur

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा मिन्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/06/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

क्र. 46-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/06/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
10/08/18

2024/08/18
उच्च शिक्षा अधिकारी
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

20
24

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRIJA PABARE
JAGOB
18/11/1965
Permanent Account Number
EPYV70437M
भारत सरकार
GOVT OF INDIA


SECURITY

(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 542/स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी अकक~~ ~~इतिहास~~ को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं सचिव P.G. College
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c


542 से 549

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

दिनांक 23-6-2003


- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

28
↓
25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 to 447 of - 28/9/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

447

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd
22-09-03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
TOSHIMA MISHRA
KRISHNA MURARI SHARMA
15/08/1974
Permanent Account Number
BLKPM2849H

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



08042011


Signature



कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.


क्र. / OL / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विक्टर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

पृ.क्र. / 02 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed



प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA


VISHWAS VICTOR

VIJAY VICTOR

01/07/1982
Permanent Account Number
AQSPV2824R


Signature




06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवक्त

फोन नं. 07762-424497 . Email: dpxloracollege@gmail.com.

क्र. / 03 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुमति स्वीकार करते हुए सुश्री ऋचा हाण्डा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कॉलेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति

डी.पी.विप्र महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)

डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

6/12/20
- 2020

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



RICHA HANDA

HARJEET KUMAR HANDA

27/11/1982
Permanent Account Number

ACQPH9714G

Harjeet Handa
Signature

08122097

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / ५४० / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्त महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प.क्र. / ५४१ / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकडिया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभासी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT OF INDIA

SURUCHI MISHRA

TRIBHUVAN NATH SHUKLA

28/02/1980

आयकर खाते नम्बर

BGBPM2755E



कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त
फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / 483 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 22.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री लक्ष्मी प्रसाद कर्ष को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनोंक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 22.09.2017

पृ.क्र. / 484 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नरती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
[Signature]

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16.6.2023

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सुबीर सेन को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 252/स्थापना/2003-04

दिनांक 16.6.2023

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 118-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी खाता संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AGKPC4131C

नाम / Name
DURGASHARAN CHANDRA

पिता का नाम / Father's Name
ISHWARI LAL CHANDRA

जन्म की तारीख / Date of Birth
23/10/1966

For EPF Office
21-10-19
14/10/2019

(श्री) शिरा
हस्ताक्षर / Signature



29082017

Shir

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
01 JUL 2018

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्रीमति किरण दुबे उम्र 43 वर्ष,
पति श्री दीपक प्रसाद दुबे
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-951056877942



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलारापुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सत्य रहे व कदां जरूरत पर काम आवे।

NOTION
01

गवाह :-

1. Prakash (समय के अनुसार 21/1)

2. S.R. Chandra

Prakash
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.सी.विप्र.गदाविधालय
विलारापुर (म.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
SR



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर स्वेच्छपूर्वक कथन आज यहाँ
और दस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी
विलारापुर (म.ग.)

01 JUL 2018

26
↓
32




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KIRAN DUBEY
CHANDRA KUMAR DUBEY
19/07/1975

Account Number
BY FD8730J

Signature





210318

CF On Rupee Stamp affixed
& Notarial Stamp affixed
affixed / Notarial Stamp affixed

अध्यापन

(Contract for Teaching)

अरुण सिंह
नौदरी
बिलासपुर

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार


- डॉ. सुमित कुमार सोनी उम्र 36

राजाराम मंदिर के सामने गोड़पारा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सुमित कुमार सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.03.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1  Roshini Mishra

2  Shri. Somesh


SIGNATURE ATTESTED



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.सिंह महाविद्यार्थ्य.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़पाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


210318


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

20 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. रीना ताम्रकार उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री धनेश ताम्रकार
निवासी- काली दुर्गा मंदिर के पास, जवाली पुल के पास
बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 233684831884



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Notarial



140818

अरुण सिंह
नोटरी
प्रथम पक्षकार बिलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोनिका सिंह ठाकुर उम्र 27
वार्ड नंबर 48, कृष्णा चौक सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोनिका सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकरिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1

 Poshima Mishra

2


 Shri. Somnath

SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राची

.....
डी.पी.वि.प्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दोरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक ज्ञान प्राप्त कला
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जंगूठा किया।

140818


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

Govt. of i.

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

CANCELLED

आर
पुस्तक
TEN RUPEES
त्र

130818

अरुण सिंह
नोटरी
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

वि.सि.सिंह (स.ग.)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार


-

प्रो. अर्चना सिंह ठाकुर उम्र 24
पी.एन.एस. कॉलेज के पीछे राजेन्द्र नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अर्चना सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उरही प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-


1


Poshma Mehra

SIGNATURE ATTESTED


2


Shri. Somesh


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....
डी.पी.विप्र-महाविद्यालय
विलासपुर (ड.न.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....


818081

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के लिये कि वह स्वतंत्र पर संश्लेषित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर पूर्वक समझ जान कला
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जंगल टिप्पणी।

130818


विलासपुर (ड.न.)



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTAR

गवाह :- m
1

2 (Dr. P. S. Festeria)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/अपव्यर्थक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

20 AUG 2018



Asingh
अर्चना सिंह ठण्डर
6-02-2019

CF On Rupees Ten/10/- affixed
& Notarial Stamp of Rupees-10/-
affixed / Not affixed

अध्या



अरुण सिंह
नोटरी

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार विलारापुर (छ.ग.)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारापुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. जुमाना राजस उम्र 25

तोरवा, विलासपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - जुमाना राजस को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Pashmina Anshu

2 Shruti Somwadhya

SIGNATURE ATTESTED

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
डी.पी.विद्य.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....
J. K. Singh

130810

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष इस वक्तव्य पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़पाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)




अरुण सिंह
नोटरी,
विलारपुर (छ.ग.)

12 AUG 2018




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विष महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारपुर, तह. व
जिला-विलारपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. - मयंक कुमार चन्द्रा उम्र 24वर्ष,
पिता श्री तुलसीदास चन्द्रा
निवासी-धनौरा पो परासी धनौरा विलारपुर
(छ.ग.) पिन-495118
आधार नं.- 816568687652




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मयंक कुमार चन्द्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर, (छ.ग.)

8 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी पी विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व.
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. लव राज विश्वकर्मा उम्र 31 वर्ष,
पिता श्री जेमराज विश्वकर्मा
निवासी- वार्ड नं 02 विद्या विहार कालोनी गरवाही
(छ.ग.) पिन-495118
आधार नं 759632553693


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए सविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - लव राज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर सविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, सविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में सविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

ARUN SINGH
NOTARY,
VILASPUR (C.G.)
8 AUG 2018
Govt. of India

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोगन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. (स्व. राम चन्द्रवंशी)

2. (Dr. N. S. Tuli)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शिरोबपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

18 AUG 2018

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन नं. 07752-424497 - Email- dpvipracollege@gmail.com

क्रमांक 20 / स्था. / 2016

बिलासपुर दिनांक 20.08.16

:- नियुक्ति आदेश :-

प्रति,

अतिथि प्राध्यापक
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

नवरज विश्वकर्मा

विषय:- अतिथि शिक्षक (विषय जंतु विज्ञान) के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको महाविद्यालय में स्ववित्तीय मद से संबंधित विषय जंतु विज्ञान में सत्र 2016-17 के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। आप प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे। आपको महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा निर्धारित मानदेय मुगतान किया जावेगा। (प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग को सूचनार्थ।
3. रोकड़िया, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वेतन प्रभारी लिपिक, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना शाखा प्रभारी लिपिक, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य के निजी फाईल में नस्ती हेतु।


प्रभारी प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग **भारत सरकार**
INCOME TAX DEPARTMENT **GOVT. OF INDIA**

LAV RAJ VISHWAKARMA
HEMRAJ VISHWAKARMA

14/01/1987
 Permanent Account Number
AWQPV4796E


 Signature





(The card contains text in Hindi, which is mostly illegible due to blurring and low contrast. It appears to be a duplicate or a scan of the same information as the card above.)

SELF ATTESTED

Lav Raj Vishwakarma

CF On Rupees Twelve affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



120818



अध्य

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार


- प्रो. अमृता पाण्डेय उम्र 29

वार्ड नंबर-54 अरविन्द नगर सरकण्डा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अमृता पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1  Pashima Joshi

2  Shree Somnathi

SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THINGS IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संश्लेषित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाने पर स्वेच्छया से पढ़कर, पढ़कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/छाप किया।


120818


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)




1.

6/23/19
[Signature]



अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)


12 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. - अनुपमा पाण्डेय उम्र 23 वर्ष,
पिता श्री उमाशंकर पाण्डेय
निवासी- हाउस नं 36 विलासा गुडी पुलिस लाइन
विलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 593770494706



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. B. Chandravemshi

2. Dr. J. S. Talwar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र:महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. J. S. Talwar



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष इस दस्तावेज़ पर संव्यक्त व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर के पूर्वक ध्यान आज कहा
और इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

12 AUG 2018

5 On Rupees Tax
& Notarial Stamp of
affixed / Not affixed

अध्यापक
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा बोले उम्र 26
रामदास नगर, टिकरापारा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नेहा बोले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.10.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  D. M. S. Tamboli

2  Dr. Abha Tiwari



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस हस्ताक्षर पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर, पढ़कर, समझकर एवं आज कल
और इस हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किया।


अरुण सिंह
गोदरी
बिलासपुर

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

NEHA BOLE

RAJ KUMAR BOLE

19/01/1991

Permanent Account Number
BMOPB0769G

ABole
Signature




19092012

Self attested
Bole
05/1/19

अरुण सिंह
नोटरी,
विलारापुर (छ.ग.)

7 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारापुर, तह. व
जिला-विलारापुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गेंदलाल वंजारे उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री खेलावन वंजारे
निवारी- वार्ड नं.05 पुटपुरा वेमेतरा
(छ.ग.) पिन-491340
आधार नं.- 964951794063



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गेंदलाल वंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (अगराम-चन्द्रवंशी)

2. (अगराम-चन्द्रवंशी)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


(अगराम-चन्द्रवंशी)

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

(अगराम-चन्द्रवंशी)



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर/अपना/अपना छाप आज कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

विलासपुर (छ.ग.)

7 AUG 2018

A-25

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
GENDLAL BANJARE
KHELAVIN BANJARE
04/02/1992
Permanent Account Number
CCFFB0172H

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



Signature

03662015

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)


11 3 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 32 वर्ष,
पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा
निवासी-मकान नं 333नहरपारा भदौरा वार्ड नं 18 वहादुर
विलासपुर जौरामनगर (छ.ग.) पिन-495550
आधार नं.- 454083213051



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13/08/2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आयें।

गवाह :-

1 S.R. Chandra Varma

2

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डा. पी. विप्र. महाविद्यालय
विलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

P. Shyam



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर पूर्वक ध्यान आज कहा
गौर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अपूरा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

विलासपुर (उ.प्र.)

13 AUG 2018

भारत सरकार
COMETAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

पारमार्थिक संस्था का
Paramathartha Sanstha Card
JIMBS14280


QR Code

MR. Name
RUPENDRA KUMAR SHARMA

MR. Name / Father's Name
RUPENDRA KUMAR SHARMA

MR. Name / Birth
077 04 156


Signature



CF On Rupees TwoFive affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED



28 12 17


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजली वैष्णव उम्र 26
वार्ड नंबर 46 कपिल नगर सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजली वैष्णव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिकशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.12.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Dr. M.S. Tamkall

2

Dr. Abha Tikwani

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SIGNATURE ATTESTED




28 12 17

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुली किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
विलारापुर (छ.ग.)

11 2 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारापुर, तह. व
जिला-विलारापुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. भागवत कौशिक उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री जराकरन कौशिक
निवासी- चौधरी गली इमलीभाटा बंधवापारा सरकण्डा
विलारापुर(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-610614227788



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- 

(G. M. S. Singh)


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डॉ. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2.


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

(S. Jwal)



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर अधिष्ठित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/..... स्थान आज कल
अंतर इस दस्तावेज पर असाक्षर/अगूठा किया


अरुण सिंह


नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

1 2 AUG 2018

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



1030818

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. आशा राय उम्र 48
एफ.58, विजयापुरम सरकण्डा सीपत रोड
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



समरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आशा राय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10257 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आर्जी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान अर्जित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1


 

2




Dr. M.S. Tamboli


SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....
डॉ. पी. वि. म. महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


.....




1130818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)



1140818

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. सौजन्य तिवारी उम्र 29
जी.वी.-29 गीतांजली विहार नेहरू नगर
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सौजन्य तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकरिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

2

Goshime Mishra

Shruti Somani

SIGNATURE ATTESTED

25/8/18
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Sjwanj




140818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED
CF On Rupees Two/Five
& Notatal Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नेटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)




हेतु अनुबंध पत्र

130818

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला -- बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. ऋतु उपाध्याय उम्र 27
एच.एन. सी-52, यदुनंदन नगर तिफरा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - ऋतु उपाध्याय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Roshni Mishra

Roshni Mishra

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Rishi

SIGNATURE ATTESTED

NOTA
अस
कित


130818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण-सिंह
नोटेरी,
बिलासपुर (छ.ग.)




(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मुनव्वरी उम्र 32
हाऊस नंबर-337, वार्ड नं.-10 राजेन्द्र नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मुनव्वरी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-
1 [Signature] [Signature]

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2 [Signature] [Signature] SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]

NOT


130818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगा।

[Signature]
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)



17 08 18

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. केना दुबे उम्र 24
हनुमान मंदिर के पास कतियापारा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - केना दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इलेक्ट्रानिक्स विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाब या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1

 Goshwami

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य


.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2

 Dhriti Sonu
SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

 Kul



17 08 18


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED



अध्याप

1208 : 8

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. निशल डेनियल गिर, उम्र 32
फ्लैट नंबर 331, शनि अपार्टमेंट महाराणा प्रताप चौक
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - निशल डेनियल गिर, को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1


 Poshana Prache

2

 Shri. Somendra

SIGNATURE ATTESTED



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....




120018

हरे लमदा इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2018




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- यूपेश कुमार उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री रामकुमार
निवासी-म नं 5 वार्ड नं 1 भरेवापारा कवर्धा
(छ.ग.) पिन-491559
आधार नं.- 895795017218






उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- 
1


2. 

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


..... प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अनुबंधपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2018

यदि कार्ड के छोड़ने/चाने पर कृपया सूचित करें/नोट करें:

आयकर विभाग सेवा केंद्र, एन प्रस बी ब्लॉक
नोवा सिटी, नई दिल्ली,
फ्लॉट नं. 341, ब्लॉक नं. 997/8,
पोस्ट कार्गो, जीएन बंगला चौक के पास,
पुणे - 411 016



If this card is lost / someone has lost card is found,
please inform / return to :

Income Tax Field Service Unit, NSDL,
401 Panch Mahal Building,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune - 411 016

Tel: 91-20-2781 0000, Fax: 91-20-2721 9681
e-mail: itfsc@nsdl.com

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



नाम / Name
YUPESH KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
RANKUMAR

जन्म की तारीख /
Date of Birth
04/05/1982

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AHEPY8378L



28/12/20


हस्ताक्षर / Signature

Rs. 10 Rupees Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED

अध्यापन



.250818


(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. रश्मि शर्मा, उम्र 31
एम.आई.जी. 69 के पीछे नेहरू नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रश्मि शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 25.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

[Handwritten Signature]

2

[Handwritten Signature] श्री सोमेश्वर
SIGNATURE ATTESTED

[Handwritten Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.सी.विप्र.महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Handwritten Signature]




250818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

[Handwritten Signature]
जरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


14 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. बोलगा व्यास उम्र 30 वर्ष,
पिता श्री प्रमोद कुमार व्यास
निवासी- व्यापार विहार रोड संजय अपार्टमेंट बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 610661978941



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बोलगा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सन्द् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Prasad

2. Dr. M. S. Tuli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर समयपूर्वक कथन आज कथन
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह


नोटरी

बिलासपुर (उ.प्र.)

14 AUG 2018

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

26 AUG 2018



CANCELLED




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नीरज सोनी उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री सुभाष सोनी
निवासी- एस.वी.आई. बैंक के पास जनकपूर कोरिया
(छ.ग.) पिन-497778
आधार नं.- 437651217699



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नीरज सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 26.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. P. Chandavanshi


2. S. S. T. T. T.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकरपुस्तक कथन आज कक्षा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

26 AUG 2018

11-23

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT




भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

MIVPS9521H




नाम / Name
NIRAJ SONI

पिता का नाम / Father's Name
SUBHASH SONI

जन्म की तारीख /
Date of Birth
09/06/1994

19102019


हस्ताक्षर / Signature

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
विलारपुर (उ.प्र.)

CANCELLED

अध्यापक

(Contract for Teaching)

1130018


प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी पी विप महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारपुर, तह. व
जिला - विलारपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. आकांक्षा शर्मा, उम्र 24
हाऊस नं. 09, वार्ड नं.54 चौबे कॉलोनी सरकण्डा
जिला- विलारपुर (उ.प्र.) पिन - 49001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आकांक्षा शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक्नोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1


 Poshima Mishra


 Shri. Someswar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.सी.वि.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






130818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह-
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

1131018




प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सुनीता साहू, उम्र 24
वार्ड नंबर 02 कोनहेजिरिहा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 49001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सुनीता साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोकेमेस्ट्री विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1

2

 Gopal Prasad


 Dhruv Sonawat


SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....डी.पी.किप्र..सहाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



.....



130818


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Two affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
केटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)



अध्यापक

(Contract for Teaching)

130818




प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नम्रता जोल्हे उम्र 25
मकान नंबर-65, बीजपारी, हिर्री
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नम्रता जोल्हे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.10.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1



2




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






13 10 18

भारत सरकार द्वारा अस्तित्व पर सहायता प्रदान करने के लिए
ने दस्तावेज/पत्राचार आभारपूर्वक देखने कर
आज दिनांक 13.10.2018 पर हस्ताक्षर/अनुमति देना।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF C ... Five a
& Notation Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



140818




अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. अनामिका दुबे 27 वर्ष,
निवासी—वार्ड नं. 55 बैमा मार्ग देव नंदन नगर
बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. अनामिका दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Prakash Mishra

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.सहाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2

Shruti Singh

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Hubey




14 08 18

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. त्रिप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 33 वर्ष,
पिता श्री किशुन राम पाटले
निवासी- 53 वार्ड नं 03 मोहनपुर पो फुलवारी
मुँगेली (छ.ग.) पिन-495115
आधार नं.- 460943555123



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिष्मक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

MOTI LAL PATLE
KISHUN RAM PATLE

27/03/1965
 Personal Account Number
GOFPP4164M

Signature: 



[Handwritten signature]


In case this card is lost, kindly inform nearest tax
 authority. PAN Service Cell, UTIES,
 Sector 11, CRD Building,
 Chandigarh - 400 614.

इस कार्ड को खोने/पातले पर कृपया सूचित करें/कोटेशन :
 आयकर सेवा सेल, यूपीएस,
 सेक्टर नं. 11, सीआरडी भवन,
 चण्डीगढ़ - 400 614.

[Handwritten signature]

CF On Rupees Twelve affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण-सिंह
नोदरी,
बिलासपुर (छ.ग.)



14 08 18


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला — बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. एकता मिश्रा उम्र 28
एल.आई.जी.-79 दिनदयाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भरनी
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — एकता मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10257 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.डी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छांडने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— विलासपुर में विना किसी डर, नय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-


1



2


 Dr. M. S. Jambeli



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


14 08 18

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED

अध्यापन कार

140818


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. शैली ओझा उम्र 32
सरबहनियों मंदिर के पास देवरीखुर्द
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - शैली ओझा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10257 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आर्.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1


 Prakash Kumar


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य


.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


SIGNATURE ATTESTED

2

 Dr. M.S. Tamboli


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





14 Aug 18

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


जसवंत सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

16 AUG 2018

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. ब.
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजू हलवाई उम्र 23 वर्ष,
पिता श्री कामल चंद्र हलवाई
निवासी- सुभाष नगर कॉलोनी हाउस के पास गोंडपारा
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 375245790513

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजू हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह डी.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

16
AUG 2018

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझाकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. S.R. Chandraiah

2. (Dr. M. S. ...)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शेरनापूर्वक कथन आज कक्षा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

16 AUG 2018

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

ANJU HALWAI

KRISHNA HALWAI

08/08/1995

Permanent Account Number


AORPH1416C

Anju Halwai

Signature


भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


14 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर. तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- झरना पटेल उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री ईश्वर प्रसाद पटेल
निवासी- रविन्द्रनाथ टैगोर नगर मंगला चौक
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-271607990552



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - झरना पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chamba Singh

2. Dr. P. S. Chamba Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....
.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

भरे सनद् इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर कथन आज कला
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी


बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2018

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED



अध्यापन

140818

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

—

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार

—

प्रो. अंजना बोस उम्र 41

मकान नंबर-ए-101, कृष्णा अपार्टमेंट विद्यानगर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजना बोस को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1

 Goshima Ashu


2

 Shriti Sonu
SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





14/08/18

मैंने सनदा इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED

अध्य



1140818


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. गायत्री वर्मा उम्र 30
नारियल कोठी दयालबंद
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गायत्री वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निम्नांकित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Pashwan Mishra

2  Dhruv Soni



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डॉ. पी. विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



140818




भरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On
& Notarial Stamp of Rupee
affixed / Not affixed
अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED

अध्यापक



180818


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. राजदीप साहू उम्र 26
कश्यप कॉलोनी, गली नं. 3 गीतांजली नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - राजदीप साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1  Goshina Mehe

2  Shril Somesh


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी.पी.विद्य-महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

SIGNATURE ATTESTED



18 08 2018

1. प्रत्येक पक्षकार/अपक्षकार को पढ़कर पता
करना है कि प्रत्येक पक्षकार/अपक्षकार को
पढ़कर पता कर लेना है कि प्रत्येक पक्षकार/अपक्षकार को



अनुराग सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notatal Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED

अध्यापन का



280818

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. काजल द्विवेदी उम्र 38
बोरसी बस्ती, वार्ड नं. 49 दुर्ग
जिला- दुर्ग (छ.ग.) 491001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - काजल द्विवेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 28.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1


[Signature]

2

[Signature] SIGNATURE ATTESTED

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]




280818

मैंने समझ इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक अपना वर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अनुमति किया।

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
18 AUG 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य जी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- हेमा वस्त्रकार उम्र 23 वर्ष,
पिता श्री श्रवण वस्त्रकार
निवासी- वार्ड नं 36 पंप हाडस नं 1 के पास देवरीडी
तोरवा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495004
आधार नं.- 748883273789


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - हेमा वस्त्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

m.

1

[Signature]

2. *[Signature]*

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]
प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (उ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अक्षरपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (उ.ग.)


18 AUG 2018

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
HEMA VASTRAKAR
SHRAVAN VASTRAKAR
07/05/1995
PAN Number
AYPPV9089B
Signature
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
भारत
भारत
036/2016

A - 09

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. वंदना भगत उम्र 25
अभिषेक विहार, फेस नं. 02 मकान नं. 174 मंगला
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - वंदना भगत को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1

 Pradeep Prakash

2

 Shri. Somnath


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....जी.पी.विश्व महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SIGNATURE ATTESTED

170818

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुल किया।


अनुराग सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

CXXPB9335H

पति / नाम
VANDANA BHAGAT

पति का नाम / Father's Name
RAM BILAS BHAGAT


जन्म तिथि / Date of Birth
25/01/1979



Vandana
आयकर / Signature

Vandana

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
असुग
नेटरी
बिलासपुर



090818

(Contract for Teaching)


प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. दीपमाला कुशवाहा उम्र 28
गोडपारा आर्य समाज मंदिर के सामने
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के सहित निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - दीपमाला कुशवाहा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.08.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1

 Toshima Prisha


2

 Shri. Meera **SIGNATURE ATTESTED**


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्रदाय

.....
डी.पी.वि. नरसिंह
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


.....




090818

। 11111111/11111111 11 11111111 1111
11 1111 11111111 111111/111111 11
111111 111111 11 11111111 1111 111111 1111

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संदर्भित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शब्दपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुली किया।


नाटरी
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हे



(2008 18)


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला -- बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. कंचन पनिक उम्र 29
वार्ड नं. 07, ओमनगर जरहाभाठा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - कंचन पनिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.03.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर नियमित शिथिल ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-


1


Poshina Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2


Dr. M. S. Tamhali


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

DETESTED SIGNATURE ATTESTED



2008 18

NOTARY

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अनुराग सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)


Notarially attested & Notarial Stamp of Registrar
affixed / Not affixed
अनुबंध
नं. 10
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

200818

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अनुजा जानी उम्र 26 वर्ष
निवासी- बी. 104 शिवाजी मार्ग, टिकरा मार्ग
अम्बा अपार्टमेंट जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अनुजा जानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)
08 SEP 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्राची तिवारी उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री युगल किशोर तिवारी
निवासी- कुम्हारपारा जरहाभाटा विलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 263801728835

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह इ.पी.एफ.एवं इ.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।



अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.09.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. (M.S. T. B. L.)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Rochu



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

08 SEP 2018



INDIAN AIR FORCE

BRACHI TIWARI
YUGAL KISHOR TIWARI

10/10/1992


Permanent Account Number

AQWPT1758C

Signature



Two Rupees Two/Five affixed
Stamp of Rupees 10/-
Cancelled / Not affixed




अरुण सिंह अए
बेहरी
विलासपुर (छ.ग.) (Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अश्मना बघेल उम्र 26 वर्ष
निवासी- हाउस नं. 121 मेन रोड नांदघाट
जिला-बेमेतरा (छ.ग.) पिन- 491335

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अश्मना बघेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।





7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.09.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Toshima Mishra



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2  Shri. Somesh द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



080918

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष पर दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर समझपूर्वक कथन आज काल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/ठांगूठा किया।



बी
(छ.ग.)

NOTARY
अल्प
विस्तार
Govt



Dr. R. S. ...
& Notarial Stamp of Rupees 100
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
बिपी
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)

111018



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अभिषेक पटेल उम्र 25 वर्ष
निवासी- गली नं. 2 शुभम बिहार, राजीव नगर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित


शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अभिषेक पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.10.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Roshni Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2  Shri. Somesh द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


111018

SIGNATURE ATTESTED


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITNIN NAMED
S/O TO GOVT. EMPLOYEES
मेरे समक्ष पर स्थापित किये गये
पढ़कर/पढ़कर के रूप में
अतः इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर ।

अरुण सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)




अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 DEC 2018



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री मोहित राम जायसवाल
निवासी- 102 जेम्स अपार्टमेंट जरहाभाठा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-245191173107



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.12.2018 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. [Signature]
Kman Dubey

2. [Signature]
Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर पूर्वक फयन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 DEC 2018



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2019-20

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY
SNATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

O R D E R

No. 767/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K.B. Singh, a candidate for appointment,
is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in
this college until further orders in the scale of pay
of Rs. 820-1500 with usual A.D.A. and other allowances, with
effect from the 15th November 1980, subject to the following
candidates: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha & Madan Ayog, Bhopal & Ravishankar University, Raipur,
 - (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.
- and,
- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.


of
Principal & Secy.
Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

No. 767-A/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara,
district Bilaspur, for information and necessary action.

of
Principal & Secretary.
Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

Snatak Mahavidyalaya
K.B. Singh
11.11.80

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
KAVI BHUSAN SINGH
BHAGIRATHI SINGH
09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPPS2613J

 Signature


7017 0040 5585
मेरा आधार, मेरी पहचान

If this card is lost / someone's lost card is found,
 please inform / return to:
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL,
 3rd Floor, Sapphire Chambers,
 Near Haver Telephone Exchange,
 Baner, Pune - 411 045
 Tel: 91-20-2721-3180, Fax: 91-20-2721 8081
 e-mail: info@nsdl.co.in

7017 0040 5585
मेरा आधार, मेरी पहचान

T-19

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVERNING BODY,
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.
(406001.)

ORDER

No. 233/Estt/83, dated Bilaspur, the 18th August 1983
Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection
Committee, as a Lecturer in Geography, in an officiating capacity,
in this college until further orders in the sanctioned scale of
pay of Rs. 700-1600 with usual domestic allowances, with effect
from the 16th August 1983 subject to the following conditions:

- (1) That the appointment is subject to the approval
of the N.P. Uchcha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal,
and the Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.S.)
and
- (2) That he shall be by the service conditions applicable
to the employees of the D.P. Vipra College,
Bilaspur.

Self

(R.N. Shukla.)

Principal & Secretary,

D.P. Vipra College,

Bilaspur.

सहायक प्रिन्सिपल

18th August 1983

No. 233/Estt/83, dated Bilaspur, the 21st August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,
Bilaspur, for information and necessary action. He will please
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his
agreement to the above terms and conditions. Joining report
may also please be submitted in triplicate.
Copy to Shri C.S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,
Bilaspur, for information.

R.N. Shukla

(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary.

[Signature]

स्थायी खाता संख्या

/PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AGRPP8200C



नाम /NAME

VIMAL KUMAR PATEL

पिता का नाम /FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर /SIGNATURE

V Patel

(Signature)

जयराज कान्होलकर, जयपुर

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR

कार्यालय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विश्व महाविद्यालय, बिलासपुर, म०प्र०.

क्रमांक 381 /स्था/84. बिलासपुर, दिनांक 21.11.1983

निम्न लिखित अभ्यर्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर येजमान 700-40-1100-3-1300 असेसमेंट-50-1600 पर रुपये पर देय मंत्रगार्ह भत्ता एवं अन्य भत्ता सपिप्त, पदभार ^{उपस्थापक} करने की तिथि से नियुक्ति नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक अभ्यर्थी का नाम पद नाम विषय

1. **कु. साधना बोंस** व्याख्याता समाजकार्य

2. **श्रीमती मधु दोराईराज** ---"--- अध्यापिका

3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी।

1. म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुरुदासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होगी।

2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होगी।

एवं

प्रति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उपर्युक्त अभ्यर्थी साक्षित रहेंगे।

सही
प्राचार्य एवं सचिव,

प्रशासन समिति,

द०प्र० विश्व महावि० बिलासपुर

(100/84)

पु. क्रमांक 381-D /स्था/84.

दिनांक -----

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् सचिव, म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।

2. श्रीमान् कुलसचिव, गुरुदासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।

3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचनाार्थ।

4. कुमारी साधना बोंस, द्वारा श्री बी.के. बोंस, पचाट नं. 536/4, जार.टो.पत.कालोना, बिलासपुर।

5. श्रीमती मधु दोराईराज, द्वारा श्री एम.बी. दोराईराज, डिप्टी चोफ इंजीनियरिंग कोला नं. 1048, रेल्वे कालोना, बिलासपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही

प्राचार्य एवं सचिव,

प्रशासन समिति,

द०प्र० विश्व महावि०, बिलासपुर

6 5

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME

BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962

Permanent Account Number

AVRPS0169E

Sadhana Shome

Signature



In case this card is lost / found, kindly inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, UTIISL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/लौटायें :
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTIISL
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सीडी बी बेलपुर,
नवी मुंबई-400 614.

आदेश

क्रमांक -----/स्था/90

बिबलासपुर, दिनांक - 14 - 11 - 90

इस महाविद्यालय की पथन संगति द्वारा पथन विधे गर पदाभिवाणे
शु. अशु तिवारी, जिनकी नियुक्ति प्रणालन संगति को घेठक दिनांक- 12-11-90
में अनुमोदित की गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. एस. के. वर्मा के निम्न ले
तरफत ह्ये नियुक्ति पद पर समाजशास्त्र विषय के अन्वयक सहा. प्राध्यापक के
पद पर, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्यागा में 13-11-90
यु. पी. सी. वेतन मान 2200-75-2800-100-4000 के अंशगत प्रारीम्भ वेतन तथा
विभा द्वारा विधे जा रहे मंथार्थ भरता के साथ एक वर्ष के लिये पौखीका पर
नियुक्ति विधा जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति दिती मो पक्ष द्वारा नियुक्ति विधे गये व्यक्ति या नियुक्ति अधिकारी
द्वारा विना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त की जा
सकती है।
2. यह नियुक्ति सभी गान्य होगी, जब शु. अशु तिवारी पाच स्वये के अन्यायक
मुद्राक पर नियुक्ति पर प्रमथ पर अनुबंध बस्ताकर करके प्रमाणित करेगी, जो
संगति के सहिता को शर्तों को बौधत करता हो।
3. शु. अशु तिवारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित
होगी, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों को अपना सेवा की शर्तों, पाल चलन
एवं अनुशासन से संबंध में प्रभाव कालता हो।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

शुद्धि -
प्रभारी प्राचार्य,
श्री. पी. त्रिपुरा महाविद्यालय,
शारिका पसाव विम महाविद्यालय,
बिबलासपुर, दिनांक 14/11/90


पृष्ठान्न क्रमांक 605 /स्था/90

प्रौढीलिपि :-

1. श्रीमान् सौध म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर नियुक्ति
है कि नियुक्ति का अनुमोदन के नियमाने का बस्ट करे।
2. कुंक्षापव - गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिबलासपुर को सुपनार्थ।
3. शु. अशु तिवारी - श्री हलधर प्रसाद तिवारी ग्राम पास्ट बमोरा तक्षती
जाजगौर जिला बिबलासपुर को सुपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु औपस्थ।
दृष्टा अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करे।

प्रभारी प्राचार्य,
श्री. पी. त्रिपुरा महाविद्यालय,
शारिका पसाव विम महाविद्यालय,
बिबलासपुर, दिनांक 14/11/90


स्थायी लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AEPPS2610M




नाम / NAME
ANJU SHUKLA

पिता का नाम / FATHER'S NAME
HAALAD PRASAD SHUKLA

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH
30-06-1961

हस्ताक्षर / SIGNATURE


Anju Shukla
आयकर अधिकारी, जबलपुर
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR



(750 + 1000)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पु.।

आदेश क्रमांक -10-स्था./97

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अग्रिजी हेतु वयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के पद ~~पर~~ पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते हैं :-

§ 1 § उनकी जन्म तिथि ~~10.10.1965~~ ^{10.10.1965} है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पृष्ठ महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.पु.शासन, उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

§ 2 § उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

§ 3 § श्री संजय कुमार तिवारी पद भार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टा म्प बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रुक्ति के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

प.क. 21/4/97 स्था./97

प्राचार्य

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पु.। दिनांक 21/4/97 बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

§ 1 § श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 गेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पद भार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10 13

// 2 //

21.4.97

॥ 2 ॥

कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबद्धता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥ 3 ॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन के साथ वेतन पर्ची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥ 4 ॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरासासन समिति द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय को सूचनार्थ।

सही

प्राचार्य एवं सचिव

पुरासासन समिति,

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय,
बिलासपुर। म.पं.।

मे. म. म. म.
21.4.97

//नामदेव//

-:: 0 ::-

जायकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SANJAY KUMAR TIWARI
MAHESH PRASAD TIWARI

10/01/1985
Permanent Account Number

ADCPT7057P

Sanjay Kumar
Signature



आदेश
=====

डा० कृष्ण कुमार शर्मा वल्द श्री एम.पी. शर्मा, एम.ए., एम.फिल,
पी.एच.डी. अर्थशास्त्र सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम
स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के
पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38
दिनांक 11.8.95 एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वैतनमान
2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत
भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि
पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में नियमित लिखित अनुबंधों में नियुक्त किया
जाते हैं।

टीप :
====

॥1॥ उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन
इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97
के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित
नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म.पू. शासन उनके पत्र
क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा
साध्य किया है।

॥2॥ उनकी सेवाएं यदि परिवीक्षा अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हें
कार्यालय कार्यालय में बिना लोड पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकती
सकती है तथा संतोष जनक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें रथाई
करण की पात्रता होगी।

॥3॥ डा० के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की
अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा
इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के रथाई अभिलेख हेतु
प्रस्तुत करेंगे।

Self-

प्राचार्य,

द्वारिका प्रसाद विष्ट महावि.

बिलासपुर (म.पू.)


पृष्ठांकन क्रमांक -----/स्था./97

दिनांक : 1.9.97

प्रतिलिपि :-
=====

- ॥1॥ डा.के.के. शर्मा सदर्थ सहायक प्राध्यापक डी.पी.विपु महाविद्यालय की आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि इस आदेश के तहत आप अपना कार्यभार शीघ्र ग्रहण कर पदभार करने का प्रत्येदन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पवर्षी के लिए भिजवाया जा सके। पदभार ग्रहण करते समय हे अपना समस्त प्रमाण पत्र उपाधि मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
- ॥2॥ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि.वि. खिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/अकादमी/चयन समिति/97 दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।
- ॥3॥ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8.8.97 के सदर्थ में डा.के.के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का प्रत्येदन आपकी उचित समय पर वेतनपवर्षी हेतु भिजवाया जायेगा।
- ॥4॥ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, द्वारिका पुसाद विपु महावि. खिलासपुर।

संतान : कुछ नहीं।


 डा.के.के. शर्मा
 द्वारिका पुसाद विपु महावि.
 खिलासपुर (म.प्र.)

//ना मदेव//

:: आदेश ::

क्रमांक २४७-स्था०/८० विकासपुर, दिनांक १३ नवम्बर, ८७

इस महाविद्यालय की चयन समिति द्वारा चयन किये गये पदाभिभाषी श्री रामाधार प्रसाद बाण्डेय, जिसकी नियुक्ति स्थगित प्रशासन समिति की बैठक दिनांक ११.११.८७ में अनुमोदित की गई, इस महाविद्यालय में "अधीनस्थ" विषय के व्याख्याता पद पर वर्तमान वेतन स्तर ७००-४०-११००-५०-१३००-१५५०-१७०० के अंतर्गत प्राथमिक वेतन तथा संध्या द्वारा किये जा रहे भ्रूणगई भत्ता के साथ ६६ कार्यभार गृहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिचीकता पर नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारियों द्वारा किना कोई कारण बताये। महीने की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री बाण्डेय बांध स्वयं के अन्यायिक मुद्दों पर निर्धारित मुद्दों पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो समिति के सहित की शर्तों को बाधित करता हो।
3. श्री बाण्डेय महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से राजस्वित होंगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों की अवकाश सेवा की शर्तों, घाल-बलन एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता हो। यह नियुक्ति आदेश म०प० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

सही

सचिव एवं सचिव

प्राचार्य, सचिव

प्राचार्य, सचिव

(म०प०)

क्रमांक २४७-स्था०/८७ विकासपुर, दिनांक १३ नवम्बर, ८७

प्रतिलिपि=

श्री रामाधार प्रसाद बाण्डेय, पिता श्री कालिका प्रसाद बाण्डेय द्वारा एस०बी०शामा-३४ ए विद्यारामनगर विकासपुर (म०प०) को सूचना दी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजिस्त कृपया जाप करने पद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से गृहण करें।

R.V. Shinde

सचिव एवं सचिव

प्राचार्य, सचिव

प्राचार्य, सचिव

(म०प०)

Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

प्राचार्य
श्री. पी. वि. महाविद्यालय
विकासपुर (उत्तरांचल)

प्राचार्य
श्री. पी. वि. महाविद्यालय
विकासपुर (उत्तरांचल)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रूपनारायण यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


RUP NARAYAN YADAV

RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K


Signature



11042006

(8)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एल. जायसवाल** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वनस्पतिशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

डी.पी. विप्र महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 30 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

PERMANENT ACCOUNT NUMBER
ADDPJ6603Q



नाम / NAME
MURARI LAL JAISWAL

पिता का नाम / FATHER'S NAME
CHANDI PRASAD JAISWAL

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH
07-09-1904

हस्ताक्षर / SIGNATURE
M. L. Jaiswal

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JALPAIGURI

28 - 2



भारतीय जनसंख्या प्रमाण प्रणाली
भारतीय जनसंख्या प्रमाण प्रणाली OF INDIA

पता:

भात्मज: सी पी जायसवाल,
निराला नगर, पुराना बस
स्टैंड के पास, राजयोग केंद्र
की गली, बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.),
बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ - 495001

Address:

S/O: C.P. Jaiswal, Nirala nagar,
purana bus stand ke pass,
rajyog Kendra ki gali, Bilaspur,
Bilaspur(M. Corp), Bilaspur,
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

MEERA AADHAAR, MERI PEHCHAN

9

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. विवेक अंबलकर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 100- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

200

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VIVEK AMBALKAR
MORESHWAR AMBALKAR

17/09/1965
PAN: AUPA8688G

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



इस कार्ड को खोने / पाते / किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करने / लेने पर
आयकर विभाग से सूचना देनी होगी, अन्यथा दंडित होगा।
तत्पश्चात् आयकर विभाग से सूचना देनी होगी।
यदि कार्ड खोया गया है, तो इसे तुरंत नष्ट करवायें।

अधिकार, पुणे - 411 005

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:
Income Tax PAY Services Unit, NSDL
213 Floor, Sapphire Chambers,
Near Haver Telephone Exchange,
Banner, Pune - 411 045

Tel: 91-21-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: paninfo@nsdlco.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना//2003-04

दिनांक 18/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 404- /स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003




प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SUSHMA SHARMA
SHYAMLAL CHATURVEDI
04/06/1968
Registration Number
GSHRS55491

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



Signature

S Sharma
06/02/2019

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 381/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्रचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME-TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D

Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Handwritten signature and text: *श्री - नमो श्री कारी*

Notary stamp: **Accepted True-Copy**
SURENDRA SHARMA
NOTARY
Bilaspur Distt - Bilaspur

Notary stamp: **बिलासपुर न्यायालय**
बिलासपुर - 557

Date stamp: **2 MAY 2016**

12

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री खगेन्द्र कुमार सोनी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 29/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वाणिज्य को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

1.
आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KHAGENDRA KUMAR SONI


NANKI RAM SONI

14/04/1966

Permanent Account Number

DSXPS7110D

Soni
Signature



29102011

Soni

13

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं

आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल

तीसरी मंजिल, सफायर चेंबर्स,

बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,

बानेर, पुणे - 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to:

Income Tax PAN Services Unit, NSDL

3rd Floor, Sapphire Chambers,

Near Baner Telephone Exchange,

Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8081 / 91-20-2721 8081

e-mail: unit@pan.irdeto.in

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

Sunita Yadav
Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



14062011

Sunita Yadav
06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **ए. श्रीराम** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वचिरीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्वचिरीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरंत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक प्राध्यापक
विश्वविद्यालय प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पुत्रोक्त क्र. 2003/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल मंचिब, महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनाथे।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, पोस्टाधिकारी को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रबंधपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)


प्राचार्य एवं मंचिब
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी खाता संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
DGBPS9294G



नाम / Name
AYYAGARI SRI RAM

पिता / पिता का नाम / Father's Name
AYYAGARI JAGAN MOHAN RAO

जन्म तिथि / Date of Birth
01/03/1974

28082018

J

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **जयन्त राय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठानक क्र. 282/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E



15022013

M

Signature

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रशासनिक सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 176-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासनिक समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती रेणु नायर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 184-/-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2110/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार
Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971
महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा, Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02 OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
आर.के. नगर बिलासपुर, NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp),
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर, Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811

1847
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशीष शर्मा** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

O/C



 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2168/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number

DKSPS1864P

Signature



17/05/2011

For College

7/2/19

(20)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एस. तम्बोली को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14


मधुसुदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुंन / Male




4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
MADHUSUDAN TAMBOLI
RAMSAHAY TAMBOLI
27/01/1964
Permanent Account Number
ANEPT 2677D

भारत सरकार
GOVT OF INDIA






Signature

ANEPT 2677D


भारत सरकार
Ministry of India


पता: श्री र.स. तंबोले, शिव हनुमान मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर (म.प्र.), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: S/O: R.S. Tamboli, Near Shiv Hanuman Mandir, Tikik Nagar, Bilaspur (m. Corp), Bilaspur, Chhattisgarh, 495001



4112 5267 1018

1947  help@ukdal.gov.in www.ukdal.gov.in



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **शुभजा पाण्डेय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

etc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

प्रांकन क्र. 180-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

etc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SHUBHRAJA PANDEY

GIRISH CHANDRA PANDEY

27/04/1975
Permanent Account Number
AVHPP1686R

Signature



Girish
04/02/2024

कार्यालय प्राचार्यी
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

शही/-
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 441/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्राप्त
श्री
319/03

Handwritten signature

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRITI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973
Permanent Account Number
EUEPSS6495H

Handwritten signature
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/976/9/00581

TO
श्रुति सोमवंशी
Shruti Somvanshi
W/O: Ravi Singh
14 Dr. saingal gali veen kurni
vnooba negar
Bilaspur
Bilaspur
19/07/2014
Bilaspur Bilaspur
Chhatisgarh 495001
9827110995
154708580
ML547085807F1



कार्यालय प्राचार्य
डॉ. प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक ---16/6/03---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दीपिका विजय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। अपाकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।




(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पुष्पांकन क्र. 208/स्थापना/2003-04

दिनांक ---16/6/03---

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Prof. Deepak Tiwari
Deptt. of Chemistry
D.G. Veda College

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 17/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री निधीष चौबे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 424 ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 518-स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती रश्मि शर्मा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(Signature)
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति P.G College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

525

पृष्ठांकन क्र. 519-स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(Signature)
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति V.P.G College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

(Handwritten initials)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



08052011

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाने
आयकर पैन सेवा इकाई, एनएसडीएल
तीसरी नजदीक, सफायर चेंबर,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुना - 411045

If this card is lost / someone's lost card is found,
Please inform / return to
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411045

Tel: 91-20-2721 8680, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: unit@nsdl.co.in

रश्मि शर्मा

(27)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. **आभा दुबे** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

दिनांक | 16/06/2003

पृष्ठांकन क्र. 70 /स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


(28) (21)




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature




10052011

कार्यालय प्राचार्य

रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशुतोष पाण्डेय** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :


- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
28/04/1977
Retirement Account Number
AXM-P3462E

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072008

Signature

(29)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 43-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAJNI KUJUR

STANISLAS KUJUR

11/11/1973

Permanent Account Number

BIUPK542J

Signature

भारत
सरकार



22062009

Rajni Kujur

30

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/16/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

क्र. 46-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु

0/16/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
01/08/18

01/08/18
उच्च शिक्षा अधिकारी
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

50
24

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT OF INDIA

INDIA 2018

JAGGE

10/11/1965

Permanent Account Number
EIN/0000000000

Signature



(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 542/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक 23-6-2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी अफक~~ ~~इतिहास~~ को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं सचिव P.G. College
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

543 से 549

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


o/c
E

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

28

↓

25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सम्मान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

alc

443 to 447 dt- 20/9/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 447/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd.
22.09.03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
TOSHIMA MISHRA
KRISHNA MURARI SHARMA
15/08/1974
 Permanent Account Number
BLKPM2849H

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




 08042011


 Signature



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07762-424497 . Email- dpvlpracollege@gmail.com.

क. / OL / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विक्टर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. H7 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कॉलेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

पृ.क्र. / 02 / स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed
Sum

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

VISHWAS VICTOR

VIJAY VICTOR

01/07/1982
Permanent Account Number
AQSPV2824R


Signature




श्री
06/02/19

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवक्त

फोन नं. 07762-424497 Email- dupjpracollege@gmail.com

क. / 03 / रथा. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री ऋचा ढाण्डा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87/Acod./2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कॉलेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / रथा. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

6/1/20/20
L. K. S.

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
RICHHA HANDA
HARJEET KUMAR HANDA
27/11/1982
Permanent Account Number
ACQPH9714G

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

06122007



Signature

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvlpracollege@gmail.com.

क्र. / ५४० / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कॉलेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनोंक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

पृ.क्र. / ५४१ / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकडिया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभासे प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



भारतीय राजस्व विभाग

भारत सरकार

INDIAN TAX DEPARTMENT

GOVT OF INDIA

SURUCHI MISHRA

TRIBHUVAN NATH SHUKLA

28/02/1980

Identification Account Number

EGEPM2755E



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री बलराज मोटवानी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. प्रशासन समिति
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 365/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु पारसीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रशासक, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. प्रशासन समिति
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुचि सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

MC

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 353/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2023

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सुबीर सेन को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 252/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2023

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, कार्यालय को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 118-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


01 JUL 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्रीमति किरण दुबे उम्र 44 वर्ष,
पति श्री दीपक प्रसाद दुबे
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-951056877942



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1. S.R. Chandravanshi

2. P. S. M. (S. R. Chandravanshi)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.नहाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे सक्षम इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अनपेक्षित कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2019

26
↓
32




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KIRAN DUBEY
CHANDRA KUMAR DUBEY
19/07/1975


Account Number
BY 08730J

Signature



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 MAR 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.- प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 29वर्ष,
पिता श्री मोहित राम जायसवाल
निवासी- 102 जेम्स अपार्टमेंट जरहाभाठा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001

आधार नं.-245191173107




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.03.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1. 
Khan Dobby

2. 
Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र: महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संरक्षित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर/अपनी मुद्रा कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया



अरुण सिंह
नोटरी,

विलासपुर (छ.ग.)

13 MAR 2019

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 MAR 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रीना ताम्रकार उम्र 29 वर्ष,
पिता श्री धनेश ताम्रकार
निवासी- काली दुर्गा मंदिर के पास, जवाली पुल के पास
बिलासपुर


(छ.ग.) पिन-495001

आधार नं.- 233684831884

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य


जिम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2019




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो.— यूपेश कुमार उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री रामकुमार
निवासी—म नं 5 वार्ड नं 1 भरेवापारा कवर्धा
(छ.ग.) पिन—491559
आधार नं.— 895795017218

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1

[Handwritten Signature]

2. *(Dr. M. J. Talu)*


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

..... प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Handwritten Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

यह कार्ड के होने/पाने पर कृपया सूचित करें/सीटने:

आयकर विभाग, एन डी ई एल
बीपी सिविल, 4वीं स्तरीय,
फ्लॉर नं. 3-41, एन ई नं. 997/8,
श्रीराम मार्ग, कोय बंगला चौक के पास,
पुणे - 411 016.



If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to :

Income Tax & ESI Section Unit, NSDL,
4th Floor, Marol Sarani,
Mumbai, M.E. Survey No. 997/8,
Mumbai Cantonment, Near Deep Bangalow Chowk,
Pune - 411 016.

Tel: 91-20-2723-9000, Fax: 91-20-2721-8081
e-mail: income@nsdl.com

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT




भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AHEPY8376L



नाम / Name
YUPEND KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
RANJANAR


जन्म की तारीख /
Date of Birth
04/08/1982

हस्ताक्षर / Signature

28912334

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 SEP 2017



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.-रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 31 वर्ष,
पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा
निवासी-मकान नं 333नहरपारा भदौरा वार्ड नं 18 बहादुर
बिलासपुर जैरामनगर (छ.ग.) पिन-495550
आधार नं.- 454083213051



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किरसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. Mansu Purna

2. S.R. Chandramamshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

@Shyva



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्षकार/पढ़कार/अपना-पूर्वक कथन आज कक्षा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

01 SEP 2017

सूचना विभाग

भारत सरकार

COME TAX DEPARTMENT

GOVT. OF INDIA



स्थायी पहचान कार्ड
Permanent Identity Card
JIMPS14200



नाम
RUPENDRA KUMAR SHARMA


पिता का नाम
RUPENDRA KUMAR SHARMA

पता
077104986



Handwritten signature

CF On Rupees Two/Five affixed :-
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



1308 10308 19

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)


अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. आशा राय उम्र 49 वर्ष,
निवासी-एफ 58, विजयापुरम, सरकंडा
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. आशा राय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1.  Toshina Mishra

2.  Dr. Vivek Ambalwar


SIGNATURE ATTESTED


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


130819

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शरथपूर्वक कथन पत्र आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



1770819

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार


— प्रो. अर्चना सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष,
निवासी—वार्ड नं. 02, मस्तूरी
बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. अर्चना सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंधित पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.सहायिका.....
बिलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED


2



द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अनुमोदित किया।

170819


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



Asingh
अर्चना सिंह ठाकुर
6-02-2019


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजू हलवाई उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री कोमल चंद्र हलवाई
निवासी- सुभाष नगर कॉजी हाउस के पास गोंडपारा
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 375845790513



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजू हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. J. S. S. S. S.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.वि.प्र.महाविद्यालय
विलासपुर (उ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्षकार/पक्षकारों के पूर्व कथन आज कण
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी

विलासपुर (उ.ग.)


14 AUG 2019

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)
16 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. झरना पटेल उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री ईश्वर प्रसाद पटेल
निवासी- रविन्द्रनाथ टैगोर नगर मंगला चौक
विलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-271607990552



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - झरना पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष रथान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह :-

1. S.R. Chandravarshi




(Dr. M.S. Kishor)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस अनुबंध पत्र संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर पढ़नेपूर्वक कथन आज का
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह


नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

16 AUG 2019

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
Not / Not

अ. वि. सि. ए.
ने. ए. टी.
बिलासपुर (छ.ग.)



1170819




- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. संतोष कुमार ध्रुव उम्र 29 वर्ष
निवासी- ग्राम व पोस्ट गिरधौना, ब्लाक- तखतपुर
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. संतोष कुमार ध्रुव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

CANCELLED



370819

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. मुदित मिश्रा उम्र 31 वर्ष,
निवासी—144, वहताराई रोड गीतांजली सिटी फंस 1
बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. मुदित मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय क द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से अरंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से अरंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17/08/2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वच्छता से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व ताकत जरूरत पर काम आये।

गवाह :

1  Rohan Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी. पी. सिंह महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


2



SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






170819

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर उपस्थित व्यक्तियों में पक्षकार/पक्षकार स्वच्छतापूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुल किया।

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
7 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार :- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गेंदलाल बंजारे उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री खेलावन बंजारे
निवासी- वार्ड नं.05 पुटपुरा बेमेतरा
(छ.ग.) पिन-491340
आधार नं.- 964951794063



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गेंदलाल बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (अरुण सिंह चन्दवानी)

2. (अरुण सिंह चन्दवानी)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस अनुबंध पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

7 AUG 2019

A-25

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
GENERAL BANJARE
KHELAVN BANJARE
04/02/1992
Permanent Account Number
OCFFBDITZM


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


Signature



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

CANCELLED



230819



अरुण सिंह
नोटेरी
विलासपुर (छ.ग.)
प्रथम पक्षकार -

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)


प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार -

प्रो. निलिमा केशरवानी उम्र 36 वर्ष,
निवासी-22, शिवाजी मार्ग, तेलीपारा,
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. निलिमा केशरवानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

 Poshina Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2

 Dr. Vinod Kumar


SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



230819


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन वार
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED



25 08 19




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. रितु पाण्डेय उम्र 24 वर्ष,
निवासी—सरस्वती शिशु मंदिर के पास छोटी कोनी
बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. रितु पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 25.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1


 Goshwami

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....
डॉ. पी. विमल, महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2

 Dr. Vimal Ambalke

SIGNATURE ATTESTED


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

 Ritu




25 08 19

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुल किये।

 अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोदरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

27 JUN 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- अनुपमा पाण्डेय उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री उमाशंकर पाण्डेय
निवासी- हाउस नं 36 बिलासा गुडी पुलिस लाइन
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 593770494706

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
लिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 27.06.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandavanshi

2. (S. R. Chandavanshi)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (म.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / TIMED IMPRESSION


मेरे समक्ष इस अनुबंध पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर सनदपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (म.ग.)

27 JUN 2019

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



0 108 19



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

अछ. विद्यालय हतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा बोले उम्र 28 वर्ष,
निवासी-शिवाजी मार्ग, टिकरापारा,
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. नेहा बोले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1


 Goshime Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2


 Dr. Nivela Ambalke

SIGNATURE ATTESTED
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



010819

मैंने समक्ष दस दरमवेक पर संवेधित किये।
मैंने पढ़कर/पढ़ाकर अवश्यपूर्वक पठन कर
अजल इरतभोज पर हस्ताक्षर/अंकुश किये।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

NEHA BOLE

RAJ KUMAR BOLE

19/01/1991

Permanent Account Number

BMOPB0769G


Signature




15092012

Self attested
Neha Bole
05/1/19

On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

200819

CANCELLED



अरुण सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मिनीता खनूजा उम्र 29 वर्ष,
निवासी-कैरियर पाईट के पास दयालवंद
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. मिनीता खनूजा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

STAR
अरुण सिंह
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)
Office

On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोडल
विलासपुर (छ.ग.)



13.2.08 19

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. वंदना भगत 26 वर्ष,
निवासी-अभिषेक विहार, हाउस नं. 174, मंगला,
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. वंदना भगत को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Poshima Mishra

2  Dr. Vinod Ambekar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SIGNATURE ATTESTED

678081


120819

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया।

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

CXXPB9335H

पिता / नाम
VANDANA BHAGAT


पिता का नाम / Father's Name
RAM BILAS BHAGAT

जन्म तिथि / Date of Birth
26/01/1972


हस्ताक्षर / Signature

Vandana

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



180819

अरुण सिंह
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोनिका वर्मा उम्र 31 वर्ष,
निवासी-पुराना हाईकोर्ट रोड, बिहारी टाकिज के पास
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. मोनिका वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1 


 प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
 प्राचार्य
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)


SIGNATURE ATTESTED

2 


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


180819

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


 अरुण सिंह
 नोटरी
 बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupee 10/-
affixed / Not affixed



230819

अरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. गिष महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. पी. उषा भारती उम्र 36 वर्ष,
निवासी-डी.102 साईं निवासा विवेकानंद नगर
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. पी. उषा भारती को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1

 Pushina Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

2


 Vinod Kumar

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SIGNATURE ATTESTED


230819

दो गवाहों द्वारा दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर आवश्यक काम कर आदि दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अनुराग सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2019




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- बृजेश कुमार उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री जोहन प्रसाद
निवासी- वार्ड नं 4 लीला मंडली चौक भिलौनी जांजगीर
चांपा (छ.ग.) पिन-495554
आधार नं.- 649015047066



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varanshi

(Dr. M.S. Zhi)

2.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bejesh Kumar



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह


नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)


14 AUG 2019

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. भागवत कौशिक उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री जसकरन कौशिक
निवासी- चौधरी गली इमलीभाटा वंधवापारा सरकण्डा
विलासपुर(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-610614227788

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1. S.R. Chandra Ramshi

2. Dr. P.S. T...

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bh...




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर स्वेच्छया से कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
23 AUG 2019




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. वर्षा रानी दुबे उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री बालमुकुन्द दुबे
निवासी- वार्ड नं. 02 खरौद जॉजगीर चांपा
(छ.ग.) पिन-49555
आधार नं.-554978884979



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - वर्षा रानी दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandavanshi

2. (Dr. M.S. Talwar)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.सी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर धारणपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

23 AUG 2019

A-42

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA




VARSHA RANI DUBEY

BALMUKUND DUBEY

20/01/1996
Permanent Account Number


BPUPD9611N

Varsha Rani Dubey
Signature



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

17 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सपना मिश्रा उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री केशरी कुमार मिश्रा
निवासी- साहु मोहल्ला छुरी कटघोरा कोरबा
(छ.ग.) पिन-495450
आधार नं.-881650170512



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सपना मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

A-47

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

SAPNA MISHRA

KESHRI KUMAR MISHRA

10/01/1996
Permanent Account Number
DDZPM0780G


1082010



Signature

CF On F.
& Notary
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)



130819




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. आकांक्षा राठौर उम्र 25 वर्ष,
निवासी-शिव हनुमान मंदिर तिलक नगर
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. आकांक्षा राठौर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिकी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1 

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


SIGNATURE ATTESTED

2 

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



1130819

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. बोलगा व्यास उम्र 31 वर्ष,
पिता श्री प्रमोद कुमार व्यास
निवासी- व्यापार विहार रोड संजय अपार्टमेंट बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 610661978941



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
लिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बोलगा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2. Dr. J. S. Chandra

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नीरज सोनी उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री सुभाष सोनी
निवासी- एस.बी.आई. बैंक के पास जनकपुर कोरिया
(छ.ग.) पिन-497778
आधार नं.- 437651217699



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नीरज सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. (Dr. M. S. Arora)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर मुझे कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2019

11-23

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT




भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

MIVPS9521H



नाम / Name
NIRAJ SONI

पिता का नाम / Father's Name
SUBHASH SONI

जन्म की तारीख /
Date of Birth
09/06/1994

19102010

हस्ताक्षर / Signature

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोदरी,
विलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED

14 08 19



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य सी.पी. निप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. मधु वर्मा उम्र 30 वर्ष,
निवासी—तेलीपारा, नंदू गैरेज के पीछे
विलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. मधु वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिगक अवकाश मुक्तान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार शीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 [Signature] Roshma/Noor

[Signature]
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2 [Signature] Anil Kumar Anand

SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]
Madhu


140819

1. प्रत्येक पक्षकार/पक्षकारों को पढ़ना पढ़ाना
2. प्रत्येक पक्षकार/पक्षकारों को पढ़ना पढ़ाना
3. प्रत्येक पक्षकार/पक्षकारों को पढ़ना पढ़ाना

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

23 JUN 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- मयंक कुमार चन्द्रा उम्र 25वर्ष,
पिता श्री तुलसीदास चन्द्रा
निवासी-धनौरा पो परासी धनौरा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495118
आधार नं.- 816568687652



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मयंक कुमार चन्द्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.06.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Varma

2. Dr. P. S. Chandra

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी. पी. विम. महाविद्यालय-
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्वयं पूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

23 JUN 2019

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

आयकर विभाग का
आयकर खाते संख्या कार्ड
Income Tax Account Number Card

GAAP002823

नाम / Name
MAYANK KUMAR CHANDRA

पता / Address / Address Name
TULSI BHAS CHANDRA

जन्म तिथि / Date of Birth
01/02/1994


हस्ताक्षर / Signature

2015/16



A-4

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed




अरुण सिंह
नेटरी
प्रथम पक्षक विलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षक - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. वर्षा रानी पटेल उम्र 27 वर्ष,
निवासी-छोटी कोनी भिनी डाकघर
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये सविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राध्यापक - प्रो. प्रो. वर्षा रानी पटेल को महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर सविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, सविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन विभाग में सविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 34 वर्ष,
पिता श्री किशुन राम पाटले
निवासी- 53 वार्ड नं 03 मोहनपुर पो फुलवारी
मुंगेली (छ.ग.) पिन-495115
आधार नं.- 460943555123



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 S.R. Chandavanshi

2 M.S. Tuli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र:महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

MOTI LAL PATIL
KISHUN RAM PATIL

27/03/1985

संश्लेषण Account Number
COFPP4164M

Signature




[Handwritten signature]

For assistance contact your local tax authority inform / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए
आपके स्थानीय आयकर अधिकारी से संपर्क करें / सूचना के लिए

[Handwritten signature]

On Rupee Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupee 10/-
Fixed / Not affixed

(अध्यक्ष)
बिनासपुर



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. च

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो. अनामिका दुबे उम्र 25

वार्ड नंबर-55, बैमा रोड देवनंदन नगर फेस-2 सरकण्डा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनामिका दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.08.2017 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह :-
1 Dr. M.S. Tamboli

2 Dr. Abha Tiwari

200817

SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विश्व-महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....Hubeey.....

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्राची तिवारी उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री युगल किशोर तिवारी
निवासी- कुम्हारपारा जरहागाटा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 263801728835



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandraomshi

2. S. S. T. T. T.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर कथन आज कथन
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

असेण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

14 AUG 2019

Stamps On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



18 08 19

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य ली.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. बरखा हलवाई उम्र 26 वर्ष,
निवासी-सुभाष नगर गोड़पारा
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. बरखा हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह इ.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार शीघ्रित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-


1


Poshana Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विम्व.महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

2



Dr. Vivek Ambekar

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SIGNATURE ATTESTED

16 08 19

अने समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर
दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।



अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
3 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- तरुण कुमार विश्वास उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री खिरोद विश्वास
निवासी- म.नं.54 बायसी कालोनी रायगढ
(छ.ग.) पिन-496116
आधार नं.-725497638245




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - तरुण कुमार विश्वास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. (ब्यागराम नन्दवंशी)

2. Dr. M. S. Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जगूठा किया


अरुण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

13 AUG 2019


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

11.6.AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. लव राज विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष,
पिता श्री हेमराज विश्वकर्मा
निवासी- वार्ड नं 02 विंध्या विहार कालोनी मरवाही
(छ.ग.) पिन-495118
आधार नं.- 759632553693



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - लव राज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (खगाराम-चन्द्रवंशी)

2.

(Dr. M. S. Tuli)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र. महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

(Signature)



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कथन
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

विलासपुर (छ.ग.)

11 6 AUG 2019

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

LAV RAJ VISHWAKARMA

HEMRAJ VISHWAKARMA

14/01/1987


Permanent Account Number

AWQPV4796E


Signature



100-2015




SELF ATTESTED

13/01/2019

CP On Rupee Typeline affixed
& Metal Stamp of Rupee 10/-
affixed / Not affixed

अरु-
सि
विलासपुर



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. सौजन्य तिवारी उम्र 32 वर्ष
निवासी-जी.पी. 29, गीतांजली विहार
नेहरू नगर, विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. सौजन्य तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

2




द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




16/08/19



SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY ADMITS OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष  ने
पढ़कर/पढ़ा
उपरि इस अर्थात्पत्र को हस्ताक्षर/चूक किया।




बिलासपुर



(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

11 4 0 8 1 9

द्वितीय पक्षकार

- प्रो. आकांक्षा शर्मा उम्र 25 वर्ष
निवासी- हाउस 09, वार्ड-54, जोरापारा रोड
चौवे कॉलोनी, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. आकांक्षा शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक्नोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1


.....
Dr. Poshina Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
श्री.पी.विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)


2


.....
Dr. V. V. K. Anand


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....
Atkang

148819

SIGNATURE ATTESTED




SOLEMNLY ATTESTED
BEFORE ME BY THE WITHIN SIGNED
SIGNED / THEIR'S IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संकेतित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर सामर्थपूर्वक कथन आज कहे
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/संकेतित किया।


अरुण
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

17 AUG 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा मेंघानी उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री घनश्याम मेंघानी
निवासी- सिंधी मोहल्ला मसानगंज बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-753438518415

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नेहा मेंघानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार जैव रसायन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (स्वगरीम चन्द्रवंशी)


2. (Dr. M. R. ...)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

(Signature)



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर/संकेतिक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

17 AUG 2019

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

NEHA MEGHANI

GHANSHYAM MEGHANI

18/01/1992

Permanent Account Number

BKDPM5201K

Neha

Signature




भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



21022011

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



160819



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. चित्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रीतिका विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष.
निवासी-तारबहार के पास
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निम्नादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय ने अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. रीतिका विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. सहायक वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.ए.स.आई.सी को सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक नाह में एक दिन का आकारिक अवकाश मुगताम सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सोमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह :-

1


.....


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र..महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2



.....

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



.....

160819

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन कर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



230919
230919



अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रथम पक्षकार

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)


— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— प्रो. सिग्धा चौधरी उम्र 23 वर्ष,
निवासी-कंस्ट्रक्शन कॉलोनी टिकरापारा
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. सिग्धा चौधरी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.09.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1

 Prakash Prasad


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विमल, महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2

 Dr. Vinod Kumar


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SIGNATURE ATTESTED




23 09 19

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर समझपूर्वक कथन पर आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

 अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees & Notarial Stamp of Rupees affixed / Not affixed

अनुबंध
कक्षा
विलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. भारती साहू उम्र 27 वर्ष
निवासी- वार्ड-48, भक्तमाता कर्मा, सीपत मार्ग
स्कूल चौक, चिंगराजपारा विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित


शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. भारती साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहें व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1  Toshima Mishra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.तिप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2


 Dr. Vivek Singh
160819

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PERSON NAMED
SIGNED IN MY PRESSION

मेरे समक्ष पर का पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/पढ़ किया।


डॉ. विवेक सिंह
नो. 1


A-26

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
FXUPS7821H



नाम/Name
BHARATI SAHU

पिता का नाम / Father's Name
BHAGWATI SAHU

जन्म की तारीख /
Date of Birth
22/1/1992


Bharati Sahu
हस्ताक्षर / Signature

12092020

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/सौंपें:
 आयकर सेवक इकाई, एन एस डी यूएल
 4^थ फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग,
 प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,
 मोडल कॉलोनी, नज़द डीप बंगला चौक,
 पुणे - 411 016

*If this card is lost / someone's lost card is found,
 please inform / return to:*
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL
 4th Floor, Mantri Sterling,
 Plot No. 341, Survey No. 997/8,
 Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
 Pune - 411 016


Tel: 91-20-2721-8080 Fax: 91-20-2721-8081
 e-mail: unitnc@nsdl.com



CF On Rupees Ten/Five affixes
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED



17 08 19



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. अंकिता पाण्डेय उम्र 22 वर्ष,
निवासी—वार्ड नं. 47 श्री पीतांबर पीठ नया सरकंडा
बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. अंकिता पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1




प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2




SIGNATURE ATTESTED


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



17 08 19

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति
ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन व
आज दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)




6/2/19
Handwritten signature

1.

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

17 AUG 2019

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गुरुदेव कुमार उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री राजू कॅवट
निवासी- मं नं.468 दुर्गा चौक सकराली जॉजगीर चॉपा
(छ.ग.) पिन-495688
आधार नं.- 829054926741


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गुरुदेव कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- 
1


2. Dr. P. S. Febra


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
.....प्राचार्य.....
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....
.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/संकेतपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

17 AUG 2019

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

GDHPK3053D

नाम / Name
GURUDEO KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
RAJU KEWAT

जन्म की तारीख / Date of Birth
25/12/1995

हस्ताक्षर / Signature



25092017

F On Ru. Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

श्रीरुण सिंह
नोटेरी
बिलासपुर (उ.प्र.)

~~CANCELLED~~
~~CANCELLED~~

210019




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. मिश्र नहाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. 3
जिला-बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. शिशिर शुक्ला उम्र 30 वर्ष,
निवासी-वार्ड नं. 48 शांति नगर,
बिलासपुर (उ.प्र.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक नहाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को नहाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्य के लिये सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. शिशिर शुक्ला को नहाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, सहायक वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह इं.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रबंधन विभाग में सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार नहाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय तारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्तिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार संशोधन एवं अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि यह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 27.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, गवाह या प्रलोभन के सोच-विचार से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निर्धारित किया ताकि समझ रहे व फलतः जरूरत पर काम आवे।



गवाह
1. [Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2. [Signature] SIGNATURE ATTESTED

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

27 08 19

मेरे समक्ष इस दस्तावेज को पढ़कर समझकर प्रथम पक्षकार/द्वितीय पक्षकार/गवाहों के हस्ताक्षर कर
अथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर/उत्प्रेषण किया।

[Signature]
अरुण सिंह
गोहरी
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SHISHIR SHUKLA

CHANDRA SHEKHAR SHUKLA

12/10/1989

Permanent Account Number

CVXPS7309N



Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

भारत
भारत



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affix



1820819



अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अमृता पाण्डेय, उम्र 30 वर्ष
निवासी- वार्ड-54, अरविंद नगर, सरकण्डा
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अमृता पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दयाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Poshiva Mohan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

.....
श्री.पी.वि.प्र. मारवाडियालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2

W. Virendra Singh

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....
W. Virendra Singh



020819

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED I THINK (W) PERSON
ने समझकर/पढ़कर/अपनी स्वेच्छया से व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर *W. Virendra Singh* आज कल
आर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

अस्मि सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2020-21

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY
SNATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

- O R D E R -

No. 767/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K.B. Singh, a candidate for appointment, is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in this college until further orders in the scale of pay of Rs. 620-1500 with usual A.R.A. and other allowances, with effect from the 15th November 1980, subject to the following conditions: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha & Madan Ayog, Bhopal & Ravishanker University, Raipur,
- (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

and,

- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

OR
Principal & Secretary.

Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

No. 762-A/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara, district Bilaspur, for information and necessary action.

OR
Principal & Secretary.

Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

Copy forwarded to K.B. Singh 11.11.80

आरक्षक पहिना
INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA
कवि भुसान सिंह
BHAGIRATHI SINGH
 09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPPS2613J
 0755
 Signature

आरक्षक पहिना
INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA
कवि भुसान सिंह
BHAGIRATHI SINGH
 09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPPS2613J
 0755
 Signature

आरक्षक पहिना
INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA
कवि भुसान सिंह
BHAGIRATHI SINGH
 09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPPS2613J
 0755
 Signature

आरक्षक पहिना
INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA
कवि भुसान सिंह
BHAGIRATHI SINGH
 09/07/1957
 Permanent Account Number
AEPPS2613J
 0755
 Signature

7-19

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVINDING BODY,
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.
(406001.)

ORDER

No. 273/Estt/83, dated Bilaspur, the 15th August 1985.
Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection
Committee, as a Lecturer in Geography in an official capacity,
in this college until further orders in the sanctioned scale of
pay of Rs. 700-1600 with usual dearness allowance, with effect
from the 18th August 1985 subject to the following conditions

- (1) That the appointment is subject to the approval
of the M.P. Uchcha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal,
and the Guru Charidan University, Raipur Bilaspur
and
- (2) That he abide by the service conditions applicable
to the employees of the D.P. Vipra College,
Bilaspur.

Self
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary,
D.P. Vipra College,
Bilaspur.

No. 273/Estt/83., dated Bilaspur, the 12th August 1985

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,
Bilaspur, for information and necessary action. He will please
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his
agreement to the above terms and conditions. Joining report
may also please be submitted in triplicate.
Copy to Shri C.S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,
Bilaspur, for information.

R.N. Shukla
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary.

Handwritten signature

स्थायी खाता संख्या

(PERMANENT ACCOUNT NUMBER)

AGRPPS200C

नाम NAME

VINAL KUMAR PATEL

पिता का नाम FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर SIGNATURE




आयुक्त, आय. वि. वि. वि.

COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI

कार्यालय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर, म०५०.

क्रमांक 381/स्था/84 • बिलासपुर, दिनांक 23/11/84

निम्न लिखित अभ्यार्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर वेतनमान 700-40-1100-3-1300 असेसमेंट-50-1600 पर रुपये पर वेतन संशोधन भत्ता एवं अन्य भत्ता सप्लिमेंट, परभार करने की तिथि से प्रत्येक नियुक्ति किया जाता है।

क्रमांक अभ्यार्थी का नाम पद नाम विषय

- 1. कु. साधना बोल व्याख्याता समाजकारण
- 2. श्रीमती मधु दोराईराज ---"--- - शोध
- 3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी।

- 1. म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्वासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने पर ही नियुक्तियां मान्य होगी।
- 2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होगी।

एवं

उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उक्त अभ्यार्थी शामिल रहेंगे।

प्राचार्य एवं सचिव,
प्रशासन समिति,
म०५० विश्व महाविद्यालय, बिलासपुर.

प.क्रमांक 381-D/स्था/84 • दिनांक ---
प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान् सचिव, म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।
- 2. श्रीमान् कुलसचिव, गुस्वासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
- 3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचना।
- 4. कुमारी साधना बोल, द्वारा श्री बी.के.बोल, प्लॉटर नं. 536/4, आर.टो.पत.कालोनी, बिलासपुर।
- 5. श्रीमती मधु दोराईराज, द्वारा श्री एम.बी.दोराईराज, डिप्टी चोक इंजीनियरिंग कॉलाज नं. 1048, रेलवे कालोनी, बिलासपुर।

को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

प्राचार्य एवं सचिव,
प्रशासन समिति,
म०५० विश्व महाविद्यालय, बिलासपुर

(G) (3)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME
BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962

Permanent Account Number

AVRPS0169E

S. Sadhana Shome

Signature



In case this card is lost / found, kindly inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, UTIISL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/सीटाए :
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTIISL
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सीडी बेलपुर,
नवी मुंबई - 400 614.

आदेश

प्रमाणिका/स्था/१०

बिलासपुर, दिनांक - 14 - 11/90

इस महाविद्यालय को पयन सौंगित द्वारा पयन किये गए पदाभिभावो
श. अशु तिवारी, जिनको नियुक्त प्रशासन समिति को बैठक दिनांक- 12-11-90
में अनुमोदित भी गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. एस.के. शर्मा के निम्न से
निरस्त सुधे नियमित पद पर समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत महा-प्राध्यापक के
पद पर, म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्यागा में 13-11-90
यु.पी.सी. वेतन मान 2200-75-2800-100-4000 के अन्तगत प्रारीम्भ वेतन तथा
अन्य द्वारा किये जा रहे मंजूर भत्ता के साथ एक वर्ष के लिये परीक्षा पर
नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्त किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारी
द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त की जा
सकती है।
2. यह नियुक्त सभी मान्य होगी, जब श. अशु तिवारी पांच रुपये के अन्यायक
मुद्रांक पर नियमित प्रथम पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो
संशोधन के सीहता को शर्तों को बंधित करता है।
3. श. अशु तिवारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित
होगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों को अर्थात् सेवा की शर्तों, पालन
एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार




प्रभारी प्राचार्य,
श्री.पी.एम. महाविद्यालय,
द्वारिका पंचायत वि. महाविद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90

पुष्पाक्षर प्रमाणिका/स्था/१०

प्रतीतिप:-

1. श्रीमान् सौध म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन
है कि नियुक्त का अनुमोदन के नियमाने का कट करे।
2. कुशापव- सुक घासीदास विद्यापीठ बिलासपुर को सुपनाथ।
3. श. अशु तिवारी- श्री हलधर प्रसाद तिवारी ग्राम पास्ट बमोरा तख्तित
जाजगौर जिला बिलासपुर को सुपनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीन।
दृष्टा अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करे।

प्रभारी प्राचार्य,
द्वारिका पंचायत वि. महाविद्यालय,
बिलासपुर

स्थायी लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER	
AEPPS2610M	
नाम / NAME	
ANJU SHUKLA	
पिता का नाम / FATHER'S NAME	
HAALAD PRASAD SHUKLA	
जन्म तिथि / DATE OF BIRTH	
30-06-1981	
हस्ताक्षर / SIGNATURE	
	आयकर आयुक्त, जबलपुर COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR

(7522 + 002W)

10 13

// 2 //

21.4.97

॥2॥


कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबंधिता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥3॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का पुति-वेदन के साथ वेतन पची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥4॥


माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरासासन समिति द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय को सूचनार्थ।



प्राचार्य एवं सचिव

पुरासासन समिति,

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय,
बिलासपुर। म.पु.।



//नामदेव//

--:: 0 ::--

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


सानजय कुमार तिवारी
SANJAY KUMAR TIWARI


महेश प्रसाद तिवारी
MAHESH PRASAD TIWARI

10/01/1965
Permanent Account Number

ADCPT7057P


Signature





आदेश
=====

डा. कृष्ण कुमार शर्मा वल्लभ श्री एम. पी. शर्मा, एम. ए., एम. फिल, पी. एच. डी. अर्थशास्त्र सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38 दिनांक 11.8. एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में नियमित लिखित अनुबंधों में नियुक्त किया जाते हैं।

टीप :
====

§1§ उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97 के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा मान्य किया है।

§2§ उनकी सेवाएं यदि परिवीक्षा अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हें कार्यकाल कार्यवृत्ति से बिना लोई पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं तथा संतोष जनक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई करण की पात्रता होगी।

§3§ डा. के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-
प्राचार्य,
द्वारिका प्रसाद विष्णु महावि.
बिलासपुर (म. प्र.)

पृष्ठानुक्रम क्रमांक -----/स्था./97

दिनांक : 1.9.97


प्रतिलिपि :-
=====

॥१॥ डा.के.के. शर्मा सदर्थ सहायक प्राध्यापक डी.पी.विद्यु महाविद्यालय की आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश के तहत आप अपना कार्यभार शीघ्र ग्रहण कर पदभार करने का प्रतिक्रियेदन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पत्रों के लिए भिजवाया जा सके। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्र उपरिस्थ मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिरक्षण/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

॥२॥ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि.वि. बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/बकादमी/चयन समिति/97 दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।

॥३॥ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8.8.97 के संदर्भ में डा.के.के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का प्रतिक्रियेदन ~~आपकी~~ उचित समय पर वेतनपत्रों हेतु भिजवाया जायेगा।

॥४॥ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, पुरासन समिति, द्वारिका पुसाद विद्यु महावि. बिलासपुर.


प्राचार्य,
द्वारिका पुसाद विद्यु महावि.
बिलासपुर (म.प्र.)

संलग्न : कुछ नहीं.

//नामदेव//

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **रूपनारायण यादव** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **भूगोल** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

RUP NARAYAN YADAV


RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K

Signature



11042006

6

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एल. जायसवाल** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वनस्पतिशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 30 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

PERMANENT ACCOUNT NUMBER
ADDPJ66030


MR NAME
MURARILAL JAISWAL

MR OF THE FATHER'S NAME
CHANDIPRASAD JAISWAL

DATE OF BIRTH

DATE OF ISSUE

Murari Lal Jaiswal



28 - 2



भारतीय जनसंघ प्रमाण प्रणाली
भारतीय जनसंघ प्रमाण प्रणाली

पता:

आत्मज: सी पी जायसवाल,
निराला नगर, पुराना बस
स्टैंड के पास, राजयोग केंद्र
की गली, बिलासपुर,
बिलासपुर(त.वि.),
बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ - 495001

Address:

S/O: C P Jaiswal, Nirala nagar,
purana bus stand ke pass,
rajyog kendra ke gali, Bilaspur,
Bilaspur (T. Vi.), Bilaspur,
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

MEERA AADHAAR MERI DEKHAAN

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **विवेक अंबलकर** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **भौतिकशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 406-/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



588000000
0006/02/2019

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

atc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठानक क्र. 381/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रबंधपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME-TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D

Signature



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Handwritten signature and text: $\frac{11}{21}$ - NH नि कार

Attested True-Copy
SURENDR SHARMA
NOTARY

JAMSHEDPUR DIST. - BILASPUR
9 NOV 2016

बजट विभाग, विचारसूचक व वित्त

557

दिनांक

(12)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **खगेन्द्र कुमार सोनी** को डी. पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 234/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी. पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी. पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

KHAGENDRA KUMAR SONI

NANKI RAM SONI

14/04/1986

Permanent Account Number

DSXPS7110D

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



29102011

Handwritten signature

13

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं
आयकर सेवा सेवा इकाई, एन एस डी एल
तीसरी मंजिल, सफायर चेंबर्स,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुना-411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to

Income Tax PAN Services Unit, NSDL,
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune-411 045

Tel: 91 20 2233 8100 / 2233 721 8081
e-mail: income@nsdl.com

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



14062011

Sunita Yadav
06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **ए. श्रीराम** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वचिन्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्वचिन्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अयकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पुशंकन क्र. 2003/स्थापना/2003-04
प्रमिलिनि

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, धरपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA



स्थायी पहचान पत्र
Permanent Account Number Card
DGBPS92946



नाम Name
AAYAGARI SHI RAM

पिता का नाम Father's Name
AAYAGARI JAGAN MOHAN RAO

26082018

मिति Date of Issue
07/03/1973

J

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री जयन्त राय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2003/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E



15022013

NY
Signature

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती रेणु नायर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 186-1-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT
RENU NAYAR
KHARATI LAL CHOPRA
17/11/1970
PAN Card Number
AMDPNR486C

भारत सरकार
GOVT OF INDIA
भारत सरकार
29/12/2015



Signature

Renu Nayar

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **रसायनशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रशासनिक सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 176- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 240/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार
Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971
महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा,
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02
आर.के. नगर बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp),
Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811

1847
1800 300 1847

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना//2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशीष शर्मा** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **अंग्रेजी साहित्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

O/C

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2168/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number

DKSPS1864P


Signature




भारत सरकार
GOVT OF INDIA



11/05/2017

For College


7/2/17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एस.ताम्बोली को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :


- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14

मधुसुदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुंन / Male



4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

आसकर विभाग
NORTH ZON DEPARTMENT
INDUSTRIAL AREA
WAPDA CAMPUS
Lahore




ANEPT 2677D



भारतीय डाक
India Post
भारतीय डाक

एड्रेस: एस.ओ. र.स. तंबोल, शिव मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर (म.प्र.), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: S.O. R.S. Tambol, Near Shiv Haruman Mandir, Thak Nagar, Bilaspur (m. Corp), Bilaspur, Bilsapur, Chhattisgarh, 495001



4112 5267 1018

1947  help@india.gov.in  www.india.gov.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 26/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

462

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. शुभजा पाण्डेय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 180-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shrij
07/02/2021

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

शहीर
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 441/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

शहीर
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

डा.प
शहीर
31/9/03

Handwritten signature

आपका विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRITI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973
Permanent Account Number
EUEPSS6495H

Handwritten signature
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार
Government of India

नमो कर्म / Enrollment No.: 2017/1976/19/00581

To
श्री श्री सोमवंशी
Shruti Somvanshi
W/O: Ravi Singh
14 Dr. sangal gali veen kuni
vinoba nagar
Bilaspur
Bilaspur
19/07/2014
Bilaspur Bilaspur
Chhatisgarh 495001
9827110995
154708580



MLS47085807FT



कार्यालय प्राचार्य डॉ. प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दोषक निगारी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में 221121-221122 विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रकाशन क्र. 208/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, 221121-221122 को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Prof. Deepak Tiwari
Deptt. of Chemistry
D.G. Veda College

25

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री निधीष चौबे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 421 ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 518-स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्री/कु./श्रीमती ~~रश्मि शर्मा~~ **इतिहास** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 525-स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c
S

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



05052011

इस कार्ड के खोने / कतमर कुयया सुकित करे / लोदार
आयकर पैन से ना इकाई, एनएसडीएल
तीसरी मंजील, सफायर चेंबर,
बानेर टेलिफोन एक्चेंज के नजदीक,
बानेर, पुना- 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-27230881, 27230882, 2721 8381
e-mail: unit@nsdl.com

रश्मि शर्मा

(27)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. आभा दुबे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 70/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


(28) (21)


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature


10052011



28

कार्यालय प्राचार्य
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशुतोष पाण्डेय** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **गणित** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c


(**डॉ. उमाशंकर शुक्ल**)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :



- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(**डॉ. उमाशंकर शुक्ल**)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
28/04/1977
Furnishing Account Number
AXMP345ZE

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072008

Signature

29

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(Handwritten signature)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 43 /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(Handwritten signature)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
RAJINI KUMAR



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

STANISLAS KUMAR

11/11/1973

Refund Receipt Number
BIUPR/3/211

Signature

भारत
सरकार



Rajini

कार्यालय प्राचार्य
द्वारेका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासक समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 46- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एम. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Received
10/08/18

25/08/18
जन सूचना अधिकारी
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासक समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

CO
↓
24



(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 542/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक 23-6-2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी अफक~~ ~~इतिहास~~ को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं सचिव P.G. College
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

543 & 549


पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003



प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति Principal
D.P.V.P.G. College
Bilaspur (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

28
↓
25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 70 447 01- 20/9/03

447

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd
22.09.03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 20/09/2003

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
TOSHIMA MISHRA
KRISHNA MURARI SHARMA
15/08/1974
Permanent Account Number
BLKPM2849H

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




08042011


Signature



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / ५४० / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपर्युक्त कॉलेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
(छ.ग.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. / ५४१ / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकडिया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभासी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / 01 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विक्टर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

पृ.क्र. / 02 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभात प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

साथकार विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VISHWAS VICTOR
VIJAY VICTOR
01/07/1982
Permanent Account Number
AQSPV2824R
Signature



06/02/19

42

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवृत्त

फोन नं. 07762-424407 . Email- dpylpracollege@gmail.com

क. / 03 / रथा. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री **ऋचा हाण्डा** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, **कम्प्यूटर विज्ञान** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acad. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कॉलेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

5
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / रथा. / 2017
प्रतिलिपि :-



01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

5
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

6/1/20/20
2/2/20

श्रीधर सिंह
INCOMES DEPARTMENT
RIGHANANDA
HARJEET KUMAR NANDA
27/11/1982
PAN Card Number
AOCPH9714G
Signature


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



96122937

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्रीमति किरण दुबे उम्र 45 वर्ष,
पति श्री दीपक प्रसाद दुबे
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-951056877942

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. Sharan (S.R. Chandra Varma)


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विम.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ताकर अथवा पूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020

26
↓
32



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

KIRAN DUBEY
CHANDRA KUMAR DUBEY
19/07/1975

Account Number
BY / D8730J


signature



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020

CANCELLED




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 30वर्ष,
पिता श्री मोहित राम जायसवाल
निवासी- 102 जेम्स अपार्टमेंट जरहाभाठा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-245191173107




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य लिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-

1. 

Khan Dubey

2. 


Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

..... डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया



अरुण सिंह

नोटरी


बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


10 JUL 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- रीना ताम्रकार उम्र 30 वर्ष,
पिता श्री धनेश ताम्रकार
निवासी- काली दुर्गा मंदिर के पास, जवाली पुल के पास
बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 233684831884



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :- M
1

[Signature]

2. [Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]
प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्वयं/पूर्वक कथन आज कक्ष
सौर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

CANCELLED


24 NOV 2020

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 35 वर्ष,
पिता श्री किशुन राम पाटले
निवासी- 53 वार्ड नं 03 मोहनपुर पो फुलवारी
मुंगेली (छ.ग.) पिन-495115
आधार नं.- 460943555123



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से अरांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से अरांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 24.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. D. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
.....





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शक्यपूर्वक कथन आज कता
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा है।

अरुण सिंह
नोटरी


बिलासपुर (छ.ग.)

24 NOV 2020



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

06 JAN 2021




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.- लव राज विश्वकर्मा उम्र 34 वर्ष,
पिता श्री हेमराज विश्वकर्मा
निवासी- वार्ड नं 02 विंध्या विहार कालोनी मरवाही
(छ.ग.) पिन-495118
आधार नं.- 759632553693



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - लव राज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. सागराम-पन्नवंशी

2. अरुण सिंह

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMBS IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/अपनीपूर्वक फथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

LAV RAJ VISHWAKARMA

HEMRAJ VISHWAKARMA

14/01/1987
Permanent Account Number
AWQP4796E

Signature




SELF ATTESTED

Lav Raj

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

07 JUL 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार - प्रो.- यूपेश कुमार उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री रामकुमार
निवासी-म नं 5 वार्ड नं 1 भरेवापारा कवर्धा
(छ.ग.) पिन-491559
आधार नं.- 895795017218




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


H-1



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
18 AUG 2020




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- अनुपमा पाण्डेय उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री उमाशंकर पाण्डेय
निवासी- हाउस नं 36 बिलासा गुडी पुलिस लाइन
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 593770494706




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.08.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. S.R. Chandramantri

2. [Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य
डी.पी.विप्र. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

1 8 AUG 2020

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

12 SEP 2020




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य ओ.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुसना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- बृजेश कुमार उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री जोहन प्रसाद
निवासी- वार्ड नं 4 लीला मंडली चौक भिलौनी जांजगीर
चांपा (छ.ग.) पिन-495554
आधार नं.- 649015047066



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसी भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.09.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY

गवाह :-

1. S.R. Chandra Prasad

2. Dr. J. S. Chandra

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bejesh Kumar



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर संबंधित कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

12 SEP 2020

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

11 6 NOV 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- भागवत कौशिक उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री जसकरन कौशिक
निवासी- चौधरी गली इमलीभाठा बंधवापारा सरकण्डा
बिलासपुर(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-610614227788

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandavamski

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....Burjwal.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे सम्मक्ष इस पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर व पूर्वक कथन आज का
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

16 NOV 2020

रुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

1.0 NOV 2020




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्राची तिवारी उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री युगल किशोर तिवारी
निवासी- कुम्हारपारा जरहाभाठा बिलासपुर.
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 263801728835



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 10.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandrasavarnshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी:पी:विप्र:महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अनुबंधपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,


बिलासपुर (छ.ग.)

10 NOV 2020



अरुण सिंह
नोदरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

26 NOV 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-शिशिर शुक्ला उम्र 31 वर्ष,
पिता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला
निवासी- वार्ड नं 46 शास्त्री नगर सरकण्डा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 825478178987




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - शिशिर शुक्ला को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 26.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. S.R. Chandrasekhar

2. Jr. K. S. K. K.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर पूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

[Signature]
अरुण सिंह
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

26 NOV 2020

श्री ११११

GOVT OF INDIA

श्री ११११

श्री ११११

श्री ११११

श्री ११११

श्री ११११


श्री ११११

श्री ११११

श्री ११११

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

01 DEC 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- हेमा वस्त्रकार उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री श्रवण वस्त्रकार
निवासी- वार्ड नं 36 पंप हाडस नं 1 के पारा देवरीडी
तोरवा विलासपुर (छ.ग.) पिन-495004
आधार नं.- 748883273789



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - हेमा वस्त्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.12.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1

2. (D. N. S. Chhetri)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर ✓

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर आपसे पूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह


नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

01 DEC 2020

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

13 DEC 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नीरज सोनी उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री सुभाष सोनी
निवासी- एस.बी.आई. बैंक के पास जनकपुर कोरिया
(छ.ग.) पिन-497778
आधार नं.- 437651217699

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नीरज सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिष्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.12.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandravemshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर आप-पूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

13 DEC 2020

11023


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
MIVPS9321H




नाम / Name
NIRA SONI

पिता का नाम / Father's Name
SUBHASH SONI


जन्म की तारीख /
Date of Birth
09/05/1984

12102019

हस्ताक्षर / Signature



1360220



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारापुर, तह. व
जिला-विलारापुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नरेश्वर निर्णेजक उम्र 29 वर्ष
निवारी- हाउस 129, गुरुकृपा, अग्रवाल कॉलोनी
प्रियदर्शनी नगर, विलारापुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. नरेश्वर निर्णेजक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार मनोविज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिनगर होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र गिरस्त किया जा सकेगा एवं उरही प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 16.02.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दवाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M. S. Jambali

प्रथम पक्षकार का, हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र गणविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


2 Abha Sharma

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
Nirmalsharma

16 02 20
SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PARTIES NAMED
SIGNED / ATTESTED / WITNESSED
BY ME AS A PUBLIC OFFICER / JUDGE
ON 16 FEBRUARY 2020 AT VILASAPUR (C.G.)

NOTARY
16 02 20
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Revenue Transactions
& Notarial Stamp at Raigarh
विलासपुर (ज.म.)



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. मयंक चन्द्रा उम्र 26 वर्ष
निवासी- ग्राम धनौरा, पो.- पारसी
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

800121

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. मयंक चन्द्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-दिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  O. M. S. Tambol.


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
दिलासपुर (छ.प्र.)

2  Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



040121


SIGNATURE ATTESTED

SOLELY ATTESTED OR SIGNED
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरी समक्ष हस्ताक्षरित व अंकित व
पंजीकृत/पंजीकृत न होने पर
अन्य किसी भी कारणवश





[Signature]



A-4

अरुण सिंह
नोटरी,
विलासपुर (छ.ग.)

03 JAN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.-रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 35 वर्ष,
पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा
निवासी-मकान नं 333नहरपारा भदौरा वार्ड नं 18 बहादुर
विलासपुर जैरामनगर (छ.ग.) पिन-495550
आधार नं.- 454083213051



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 03.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. Bejesh Kumar

2. Ramesh Kumar

Dr. P. V. Prasad
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Ramesh Kumar




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष एवं प्रत्यक्ष पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

Arun Singh
नोटरी


बिलासपुर (छ.ग.)

03 JAN 2021




अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

04 JAN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. गेंदलाल बंजारे उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री खेलाबन बंजारे
निवासी- वार्ड नं.05 पुटपुरा वेमेतरा
(छ.ग.) पिन-491340
आधार नं.- 964951794063

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गेंदलाल बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. (अनाराम-यन्त्रवंशी)

2. Dr. N.S. Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर अनुबंधपूर्वक कथन आज कक्षा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


04 JAN 2021

A-25

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
GENDLAL BANJARE
KHELAVN BANJARE
04/02/1992
Permanent Account Number
CCF6017241


भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA


Signature



CF On this stamp Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

आम विह
केरी
(अ.ग.)



050121



(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नीलिमा केशरवानी उम्र 34 वर्ष
निवासी- हाउस नं. 22, शिवाजी मार्ग,
टिकरा पारा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. नीलिमा केशरवानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M.S. Tambel;

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


2 Dr. Abha Singh;

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



050121
NOTARILY AFFIRMED OR SWORN
TO BE TRUE BY THE WITHIN NAMED
PERSONS BY THEIR IMPRESSION
AND SIGNATURES IN PRESENCE OF ME
AND IN FULL KNOWLEDGE OF THE
LAW AND THE CONSEQUENCES THEREOF.
[Signature]
[Signature]
विलासपुर (छ.ग.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



आ
अरुण सिंह
कोली
विलासपुर (छ.ग.)

(Contract for Teaching)

221120

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. भारती साहू उम्र 28 वर्ष
निवासी- वार्ड -48 भक्तमाता कर्मा, सीपत मा
स्कूल चौक, दिंगराज पारा विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. भारती साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




गवाह :-


1  Dr. M.S. Tamboli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)


2  Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
..... 

221120



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
NAMED (BY HIS IMPRESSION
पक्षकार/पक्षकार स्वयंपूर्ण रूप से
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुली निक्षेप।


अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

A-26

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
FXUPS7821H



नाम / Name
BHABATI SAHU

पिता का नाम / Father's Name
BHAGWATI SAHU


जन्म की तिथि / Date of Birth
22/11/1992

हस्ताक्षर / Signature
Bhabati Sahu

12092020


यदि आप इस कार्ड को खोने/पाने पर सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें/सोचें।
If you find this card lost/stolen, please inform nearest Income Tax Officer.

Income Tax PAN Service Unit, NSDL
4th Floor, Mantra Sterling
Plot No. 34, Surya Chowk, Sector 13
Medi Garden, Near Green Bungalow Chowk
Gurgaon - 122001
Phone: 011-26109600
Email: pan@nsdl.com



अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


22 NOV 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. गुरुदेव कुमार उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री राजू केंवट
निवासी- मं नं.468 दुर्गा चौक सकराली जॉजगीर चॉपा
(छ.ग.) पिन-495688
आधार नं.- 829054926741



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गुरुदेव कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

GDHPK3053D

नाम
GURUDEO KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
RAJU KEWAT

जन्म की तारीख / Date of Birth
25/12/1995


हस्ताक्षर / Signature



26082017

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

17 NOV 2020


CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा मेंघानी उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री घनश्याम मेंघानी
निवासी- सिंधी मोहल्ला मसानगंज बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-753438518415



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नेहा मेंघानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार जैव रसायन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (अमरसिंह-पट्टवंशी)

2. (Dr. M. S. Chandra)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....
Naghar



SOLENNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मुख इस दस्तावेज़ पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर/पढ़ाकर कथन आज कथन
और इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

11 7 NOV 2020

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

NEHA MEGHANI

GHANSHYAM MEGHANI

18/01/1992

Permanent Account Number

BKDPM5201K

Neha

Signature




भारत सरकार


GOVT. OF INDIA




21022011


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

11 7 NOV 2020




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सपना मिश्रा उम्र 25 वर्ष,
पिता श्री केशरी कुमार मिश्रा
निवासी- साहु मोहल्ला छुरी कटघोरा कोरबा
(छ.ग.) पिन-495450
आधार नं.-881650170512



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सपना मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 17.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज़ पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

17 NOV 2020

A-47



CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



प्रथम पक्षकार (प्रथम) प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)

231120

द्वितीय पक्षकार - प्रो. आशा रॉय उम्र 50 वर्ष
निवासी- एफ 58, विजयापुरम, सीपत रोड, सरकारण्डा
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. आशा रॉय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उरी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M. S. Tamboli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... श्री. श्री. विप्र. महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

2 Dr. Bibha Singh

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



231120

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PERSON NAMED
SIGNED /

मेरे समक्ष 23 नवंबर 2020 पर संश्लेषित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर कार्यपूर्वक समझ जान कहा
और इस प्रतावेण पर हस्ताक्षर/संगूठा किया।

अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
03 JAN 2021




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. वर्षा रानी दुबे उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री बालमुकुन्द दुबे
निवासी- वार्ड नं. 02 खरौद जॉजगीर चांपा
(छ.ग.) पिन-49555
आधार नं.-554978884979

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - वर्षा रानी दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिभिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसी भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 03.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandravanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.सिप्र:महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,




बिलासपुर (छ.ग.)


03 JAN 2021


A-42

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VARSHA RANI DUBEY
BALMUKUND DUBEY
20/01/1996
Permanent Account Number
BPUDD961N
Signature

भारत सरकार
GOVT OF INDIA




अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
05 JAN 2021




अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजू हलवाई उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री कोमल चंद्र हलवाई
निवासी- सुभाष नगर कौंजी हाउस के पास गोंडपारा
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 375845790513



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजू हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. S. B. Chandravanshi

2. Dr. M. S. Lohi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर आपपूर्वक कथन आज कण
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

05 JAN 2021

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

ANJU HALWAI

KRISHNA HALWAI

08/08/1995

Permanent Account Number


AORPH1416C

Anju Halwai

Signature


भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



CF On Rupees 10/-
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अर्चना सिंह
महोदय
विलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अर्चना सिंह टाकुर उम्र 26 वर्ष
निवासी- वार्ड -02, मस्तुरी
विलासपुर (छ.ग.) पिन- 495551

12-3-11-20


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अर्चना सिंह टाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



Asingh
अचिना सिंह ठाकुर
6-02-2019

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
06 JAN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- बोलगा व्यास उम्र 33 वर्ष,
पिता श्री प्रमोद कुमार व्यास
निवासी- व्यापार विहार रोड संजय अपार्टमेंट बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 610661978941



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बोलगा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandramamshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र:महाविद्यालय
बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्वयं/पूर्वक कथन आज कथन
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह


नोटरी

बिलासपुर (उ.प्र.)

06 JAN 2021




अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
23 NOV 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- अंजली सोना उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री गुरुबारू सोना
निवासी-हाउस नं 1227/4 रेल्वे कालोनी बंगलायार्ड
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 428857985712



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 S.R.Chandrashekhar

S.R.Chandrashekhar

2

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.मिप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Shilpa



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर, पढ़कर अपने-अपने कथन आज कक्ष
और इस वस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

23 NOV 2020

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

ANJALI SONA

GURUBARU SONA

12/06/1994

Permanent Account Number

GNUPS4527K

Anjali Sona
Signature



280121F

अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

23 NOV 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 30 वर्ष,
पिता श्री जीत राम सूर्यवंशी

निवासी- वार्ड नं 18 शारदा मंगलम डॉ राजेन्द्र प्रसाद


वार्ड जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन-495668

आधार नं.- 426897205738

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र:महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

23 NOV 2020



भारत सरकार

भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT

GOVT. OF INDIA

भारत सरकार

भारत सरकार


भारत सरकार
भारत सरकार



Signature

of the
& Notarial
affixed / Not
अलग सिद्ध
नोडरी
बिलासपुर (छ.ग.)

पत्र
(Contract for Teaching)



231120

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. ऋचा शर्मा उम्र 25 वर्ष
निवासी- अशोक नगर, सरकण्डा
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. ऋचा शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप्र. महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

SIGNATURE ATTESTED

2  Dr. Vibha Arora

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




231120

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED AND SIGNED
BEFORE ME BY THE PERSON NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पक्षकार शपथपूर्वक तमाम आज फटा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा लगाया।




अरुण सिंह
नोटेरी,
बिलासपुर (छ.ग.)
11 DEC 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.-अंकिता शर्मा उम्र 32 वर्ष,
पिता श्री कैलाश नारायण शर्मा
निवासी- बंगालीपारा गली नं 4 सरकण्डा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 413108028736




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंकिता शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 100.
affixed /

योगेश धुव
नो. 10
विलारापुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

-

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

1010121

पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारापुर, तह. व

जिला - विलारापुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार

-

प्रो. योगेश धुव, उम्र 24

करही कालोनी, मुंगेली

जिला- मुंगेली (छ.ग.) पिन - 495334




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - योगेश धुव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार शीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उररी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उरो भी अध्यापन कार्य छोडने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढकर व समझकर, पढकर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

2  Dr. Abbas Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... डी.पी.कि. महाश्वरि.....
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
..... 


010121

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION



मेरे समक्ष एवं उपरोक्त पर कृतज्ञित व्यक्ति ने
पढकर/पढकरके नामपुत्र पढकर आज कल
अतः इस पढकरके पर हस्ताक्षर किया है।




अलग सिंह
नोटरी
विलासपुर

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not

अनिल सिंह
नोडरी
विलासपुर (छ.ग.)



प्रथम पक्षकार

-

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय

11 10 12 1

पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व

जिला-विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

-

प्रो. कैलाश देवांगन उम्र 22 वर्ष

निवासी- पिपरिया, कवीरघाग (छ.ग.) पिन- 491995

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. कैलाश देवांगन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

A-39

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

GLZPD2858D



MILASH DEVANGAN

Father's Name
GRANARAM DEVANGAN

25/09/1998

Signature

408969

अरुण सिंह
नोटरी,
विलारापुर (छ.ग.)

05 JAN 2021

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलारापुर, तह. व
जिला—विलारापुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— प्रो.— वर्षा सिंह उम्र 26 वर्ष,

पिता श्री हीरेन्द्र कुमार सिंह

निवासी— एम.क्यू 13 वार्ड नं 13 दीपका कोरवा (छ.ग.)

पिन—495452

आधार नं.— 983270833869

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — वर्षा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. S.R. Chandravanshi

2. Dr. Abha Tewari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया

अरुण सिंह
नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

05 JAN 2021

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

आयकर खाता संख्या
Return/Account Number
KPNES6485A



नाम/Name
YARSHI SINGH


पिता का नाम/Father's Name
HIRENDER CHIMAR SINGH


जन्म तिथि/Date of Birth
22/08/1985

आयकर विभाग
Income Tax Department

08082020

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed


कौशली
विलासपुर (छ.ग.)

1070121

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— प्रो. अमिता पाण्डेय, उम्र 24
गोड़पारा, विलासपुर
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अमिता पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M. S. Tamboli

2 Dr. Abhishek Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य

डी.सी.विद्यार्थी महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Amita

SIGNATURE ATTESTED



070121

FORMERLY AFFIRMED OR SWORN
OR OATH BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / TIMING IMPRESSION

यदि इन शर्तों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे
पक्षकार/पक्षकार शपथपूर्वक कथन और कदा
और इस हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

अरवि सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)


1.

6/22/92
ms



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)



080121

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला - विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. जितेन्द्र कुमार साहू, उम्र 27
मंगला चौक,
जिला- विलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - जितेन्द्र कुमार साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से अरांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से अरांतुष्ट है तो उसी भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- विलासपुर में गिना किरी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-


1  Dr. M.C. Tamboli

SIGNATURE ATTESTED

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचय
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

2  Dr. Abhis Tiwari

880121

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED (THESE) INDICATION
से हस्ताक्षर करने वाले पक्षकारों के
पदनाम, पता, और इन्हें पढ़ाया गया है।
आर इत. विलासपुर (छ.ग.)






CF On Rupee or Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupee. 10/-
affixed / Not affixed

अध्यापक
जिले
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्या



(Contract for Teaching)



180121

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. टोपेश्वर यादव उम्र 33 वर्ष
निवासी- घुटकू, तखतपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495112

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. टोपेश्वर यादव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।


7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा राकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विप.गव.विद्यालय.....
विलासपुर (छ.ग.)

2  Dr. Abha Jiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


180121

SIGNATURE ATTACHED

SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर लेखित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अवश्यपूर्वक पढ़कर दाखल किया
और इस दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर लगाया।

.....
विलासपुर (छ.ग.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
असल किह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

अध
प्रो. लोकाश कुमर
खपरी
अधु लोकाश



(Contract for Teaching)



110121


- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. लोकाश कुमर उम्र 28 वर्ष
खपरी, तह. नवागढ़
जिला-बेमेतरा (छ.ग.) पिन- 491335

110121

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. लोकाश कुमर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. M.S. Tamboli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी. विप्र. महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

2 Dr. Abhis Hwar;

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



1110121


SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर क्षयपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/मुद्रा किया।

अरुण सिंह

नोटरी


बिलासपुर (छ.ग.)



GOVT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENSE

A-36

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notafel Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed


अरुण सिंह
नोटरी

प्रथम पक्षकार - विलासपुर (छ.ग.)

अध्याय

(C)



140121



प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, विलासपुर, तह. व
जिला-विलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार - प्रो. उमा धिरहे उम्र 25 वर्ष

निवासी- राजकिशोर नगर

जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. उमा धिरहे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उरी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असांतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

2

 Dr. Abha

SIGNATURE ATTESTED


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दो गवाहों के समक्ष पर संश्लिप्त व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अभूत किया।

140121


अरिफ़ ख़ान
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card


EKKPD9759M

नाम/ Name
UMA DHIRAHE

पिता का नाम/ Father's Name
LALDAS DHIRAHE

जन्म की तारीख/ Date of Birth
06/01/1995

हस्ताक्षर/ Signature



20032018

:: आ-दे-श ::

~~क्रमांक 286~~ स्था 0/80 किलासपुर, दिनांक ~~नवम्बर, 87~~

इस महा विद्यालय की वकन समिति द्वारा वकन किये गये वदाभिलाषी श्री रामाधार ब्रसाद बाण्डेय, जिनकी नियुक्ति स्थगित प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 11.11.87 में अनुमोदित की गई; इस महा विद्यालय में "उत्थापन" विषय के व्याख्याता पद पर वर्तमान स्तर 700-40-1100-50-1300-Assignment-50-1600 के अंतर्गत प्राथमिक वेतन तथा संध्या द्वारा किये जा रहे कुंहाई भत्ता के साथ 05 कार्यभार गृहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिशीला पर नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

- 1.- नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारों द्वारा बिना कोई कारण बताये। महीने की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री बाण्डेय बांधे स्वयं के अन्यायिक मुद्दा पर निर्धारित मुद्दा पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो समिति के संहिता की शर्तों को बाधित करता हो।
3. श्री बाण्डेय महा विद्यालय के सभी निष्कर्ष एवं विनियमों से शासित होंगे, जो महा विद्यालय के कर्मचारियों की अवकाश सेवा की शर्तों, चाल-चलन एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता हो। यह नियुक्ति आदेश म० प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

सही -

समर्थन एवं सचिव

प्रशासन समिति

प्रमुख प्राचार्य महा विद्यालय

(म० प्र०)

~~क्रमांक 287~~ स्था 0/87 किलासपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 87

प्रतिलिपि =

श्री रामाधार ब्रसाद बाण्डेय, जिता श्री कालिका ब्रसाद बाण्डेय द्वारा एस० पी० शर्मा-34 ए विद्यालयनगर किलासपुर (म० प्र०) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जाप करने पद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से गृहण करें।

R.V. Shukla

समर्थन एवं सचिव

प्रशासन समिति

प्रमुख प्राचार्य महा विद्यालय

(म० प्र०)

श्री. पी. वि. महा विद्यालय
किलासपुर [उत्तरांचल]

प्रमुख प्राचार्य
महा विद्यालय
किलासपुर

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 118-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर

भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT

GOVT. OF INDIA



स्थायी खाता संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AGKPC4131C

नाम / Name

DURGASHARAN CHANDRA

पिता का नाम / Father's Name

ISHWARI LAL CHANDRA

जन्म की तारीख / Date of Birth

23/10/1966

*For EPP office
21-10-19
14/10/19*

(श्री) शिवराज
हस्ताक्षर / Signature



20082017

Shiv

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **सुबीर सेन** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 252/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~वाणिज्य~~ को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)